

भारतीय स्टेट बैंक

तुलन - पत्र, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	797,35,04	776,27,77
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2	187488,71,22	143498,15,83
जमाराशियाँ	3	2044751,39,47	1730722,43,61
उधार-राशियाँ	4	317693,65,83	323344,58,61
अन्य देयताएँ और प्रावधान	5	155235,18,85	159276,08,09
योग		2705966,30,41	2357617,53,91
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियाँ	6	127997,61,77	129629,32,53
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	7	43974,03,21	37838,33,12
निवेश	8	765989,63,09	575651,78,28
अग्रिम	9	1571078,38,11	1463700,41,75
अचल आस्तियाँ	10	42918,91,79	10389,27,72
अन्य आस्तियाँ	11	154007,72,44	140408,40,51
योग		2705966,30,41	2357617,53,91
आकस्मिक देयताएँ	12	1046440,93,19	971956,00,58
वसूली के लिए बिल	-	65640,42,04	92211,64,83
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखा -टिप्पणियाँ	18		

उपरोक्त दर्शाई गई अनुसूचियाँ तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं ।

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगियाँ)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(अनुपालन एवं जोखिम)

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक
(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

निदेशक:

श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम. डी. माल्या
श्री दीपक आई. अमीन
डॉ. पुष्पेंद्र राय
डॉ. गिरीश के. आहूजा
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल
श्री चंदन सिन्हा

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष



इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेरियन के. बेबी
भागीदार: स.सं.: 016043
फर्म पंजी. सं. 04532 S

कृते बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. के. छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 008482
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: M No.083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

के. पार्वती कुमार
भागीदार: स.सं. 11684
फर्म पंजी. सं. 003089 S

कृते वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. संकर
भागीदार: स.सं. 046050
फर्म पंजी. सं. 109208 W

कृते पन्थाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आर. एन. बासु
भागीदार: स.सं.: 050430
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते एस एल छाजेड़ एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते बह्मूय्या एंड कं.
सनदी लेखाकार

एन. श्रीकृष्णा
भागीदार: स.सं.: 026575
फर्म पंजी. सं.: 000511 S

कृते एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप के. मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते एम्. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुरिन्दर के. बंसल
भागीदार: स.सं.: 014301
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 मई, 2017

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी :	5000,00,00	5000,00,00
5000,00,00,000 शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 शेयर, ₹1 प्रति शेयर)		
निर्गमित पूंजी :	797,43,25	776,35,98
797,43,25,472 इक्विटी शेयर, प्रति ₹1 (पिछला वर्ष ₹1 प्रति के 776,35,98,072 इक्विटी शेयर)		
अभिदत्त और संदत्त पूंजी :	797,35,04	776,27,77
797,35,04,442 इक्विटी शेयर, प्रति ₹1 (पिछला वर्ष ₹1 प्रति के 776,27,77,042 इक्विटी शेयर)		
उपर्युक्त में प्रति ₹ 1 के 12,70,16,300 इक्विटी शेयर (पिछला वर्ष प्रति ₹ 1 के 14,45,93,240 इक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं जो 1,27,01,630 (पिछला वर्ष 1,44,59,324) ग्लोबल डिपोजिटरी रसीदों के रूप में हैं।		
योग	797,35,04	776,27,77

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ		
प्रारंभिक शेष	50824,60,59	47839,40,98
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3145,23,08	2985,19,61
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	53969,83,67	50824,60,59
II. पूंजी आरक्षित निधियाँ		
प्रारंभिक शेष	2194,78,95	1849,51,49
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1493,38,64	345,27,46
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	3688,17,59	2194,78,95
III. शेयर प्रीमियम		
प्रारंभिक शेष	49769,47,71	41444,68,60
वर्ष के दौरान परिवर्धन	5659,92,72	8333,44,99
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	6,17,07	8,65,88
	55423,23,36	49769,47,71
IV. विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ		
प्रारंभिक शेष	6056,24,72	6172,34,71
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	757,82,36
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1627,60,78	873,92,35
	4428,63,94	6056,24,72



(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
V. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ *		
प्रारंभिक शेष	34652,72,18	30385,37,08
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3740,13,81	4267,35,10
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	38392,85,99	34652,72,18
VI. आरक्षित पुनर्मूल्यन		
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	31895,24,17	-
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	309,59,18	-
	31585,64,99	-
VII. लाभ और हानि खाते की शेष राशि	31,68	31,68
* टिप्पणी : राजस्व व अन्य आरक्षितियों में शामिल है (i) इसमें एकीकरण और विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹5,00,00 हजार (पिछला वर्ष ₹5,00,00 हजार) (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षितियाँ ₹10177,67,23 हजार (पिछला वर्ष ₹8499,18,16 हजार)		
योग	187488,71,22	143498,15,83

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क) I. माँग जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	5507,43,88	5735,58,63
(ii) अन्य से	146913,66,68	134071,44,66
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	758961,38,54	597746,06,02
III. सावधि जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	19561,05,68	6818,59,65
(ii) अन्य से	1113807,84,69	986350,74,65
योग	2044751,39,47	1730722,43,61
ख) I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	1953300,08,27	1636424,58,65
II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	91451,31,20	94297,84,96
योग	2044751,39,47	1730722,43,61

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में उधार-राशियाँ		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	5000,00,00	99154,00,00
(ii) अन्य बैंक	1475,00,00	-
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अधिकरण	69489,26,76	1902,52,33
(iv) पूंजीगत लिखत :		
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आई पी डी आई)	9265,00,00	2165,00,00
ख) गौण ऋण	32406,33,80	42374,23,80
	41671,33,80	44539,23,80
योग	117635,60,56	145595,76,13
II. भारत के बाहर उधार-राशियाँ		
(i) भारत के बाहर उधार राशियाँ और पुनर्वित्त	194059,42,77	173607,88,73
(ii) पूंजीगत लिखत		
नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आई पी डी आई)	5998,62,50	4140,93,75
योग	200058,05,27	177748,82,48
कुल योग	317693,65,83	323344,58,61
उपरोक्त I और II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं	77576,26,94	107200,77,79

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. संदेय बिल	26666,84,28	18438,45,65
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	35645,54,15	36843,46,74
III. उपचित ब्याज	13080,91,99	24934,79,20
IV. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2989,77,14	2684,95,65
V. अन्य (प्रावधान सहित) *	76852,11,29	76374,40,85
* मानक आस्तियों के लिए ₹136782356 हजार का विवेकपूर्ण प्रावधान शामिल है (पिछला वर्ष ₹11188,59,82 हजार)		
योग	155235,18,85	159276,08,09



अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	12030,31,17	15080,91,89
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशियाँ		
(i) चालू खाते में	115967,30,60	114548,40,64
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	127997,61,77	129629,32,53

अनुसूची 7 - बैंकों में जमा राशियाँ और माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमा राशियाँ		
(क) चालू खातों में	190,86,27	151,94,16
(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	6743,00,00	2972,00,00
(ख) अन्य संस्थाओं में	-	-
योग	6933,86,27	3123,94,16
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	22807,45,51	24084,90,46
(ii) अन्य जमा खातों में	4454,77,98	1144,46,21
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	9777,93,45	9485,02,29
योग	37040,16,94	34714,38,96
कुल योग (I एवं II)	43974,03,21	37838,33,12

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	575238,70,65	459552,87,65
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
(iii) शेयर	5445,69,97	3743,80,86
(iv) डिबेंचर और बांड	59847,40,25	41111,36,35
(v) अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम (इसमें सहयोगियाँ सम्मिलित)	11363,45,35	8784,23,26
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट , कमर्शियल पेपर इत्यादि)	72363,63,94	23022,78,82
योग	724258,90,16	536215,06,94

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
II. भारत के बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	8821,01,82	9969,94,18
(ii) विदेशों में स्थापित समनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम	2643,75,00	2591,72,94
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	30265,96,11	26875,04,22
योग	41730,72,93	39436,71,34
कुल योग (I एवं II)	765989,63,09	575651,78,28
III. भारत में निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	725421,41,68	537109,05,62
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यहास	1162,51,52	893,98,68
(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	योग 724258,90,16	536215,06,94
IV. भारत के बाहर निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	41815,76,58	39496,32,30
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यहास	85,03,65	59,60,96
(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	योग 41730,72,93	39436,71,34
कुल योग (III एवं IV)	765989,63,09	575651,78,28

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क) I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	73997,86,42	94360,70,33
II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	605016,33,99	589442,33,19
III. सावधि ऋण	892064,17,70	779897,38,23
योग	1571078,38,11	1463700,41,75
ख) I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1206185,33,70	1086206,36,64
II. बैंक / सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	82006,91,83	61714,99,56
III. अप्रतिभूत	282886,12,58	315779,05,55
योग	1571078,38,11	1463700,41,75
ग) I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	341257,50,06	328551,49,99
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	121630,62,69	144401,91,16
(iii) बैंक	1404,44,69	1473,74,93
(iv) अन्य	823349,18,79	725604,44,16
योग	1287641,76,23	1200031,60,24
II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से प्राप्य	87802,75,38	71628,62,37
(ii) अन्यो से प्राप्य		
(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	11672,61,58	15179,05,89
(ख) सिंडिकेट ऋण	101077,74,18	88579,38,30
(ग) अन्य	82883,50,74	88281,74,95
योग	283436,61,88	263668,81,51
कुल योग (ग) I+(ग) II	1571078,38,11	1463700,41,75



अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर परिवर्धन :		
वर्ष के दौरान	3634,58,00	3419,39,11
पुनर्मूल्यांकन हेतु	435,79,61	215,18,89
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31895,24,17	-
अद्यतन मूल्यहास	4,31,92	-
लागत पर	579,15,77	491,08,22
पुनर्मूल्यांकन पर	309,59,18	-
	35072,54,91	- 3143,49,78
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	19551,20,04	17542,35,45
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2708,13,72	2280,58,65
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	402,98,43	271,74,06
अद्यतन मूल्यहास	14583,91,16	12875,53,82
	7272,44,17	6675,66,22
III. पट्टाकृत आस्तियाँ		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	208,70,20
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	208,70,20
अद्यतन मूल्यहास, प्रावधान सहित	-	-
	-	-
IV. निर्माणाधीन आस्तियाँ (परिसर सहित)	573,92,71	570,11,72
योग (I, II, III एवं IV)	42918,91,79	10389,27,72

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
(ii) प्रोन्नत ब्याज	18658,87,85	16227,95,80
(iii) अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर काटा गया कर	8814,18,05	12698,28,68
(iv) आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	427,90,49	472,51,88
(v) लेखन सामग्री और स्टॉप	90,80,91	102,67,31
(vi) दारों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	3,91,00	3,91,00
(vii) अन्य *	126012,04,14	110903,05,84
(* नाबार्ड/ सिडबी/ एनएचबी के पास रखे गए जमा ₹59407,22,13 हजार (पिछला वर्ष ₹52401,25,93 हजार)		
योग	154007,72,44	140408,40,51

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	28971,02,14	12347,03,03
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों/ जोखिम निधि के लिए देयता	599,95,40	154,55,16
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	572601,53,62	506354,87,97
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	131207,73,38	135811,51,97
(ख) भारत के बाहर	71152,10,81	82799,97,90
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	100059,57,31	106928,52,26
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	141849,00,53	127559,52,29
* ₹139669,75,58 हजार डेरिवेटिव शामिल (पिछला वर्ष ₹ 125856,86,50 हजार)		
योग	1046440,93,19	971956,00,58



भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	175518,24,04	163998,29,75
अन्य आय	14	35460,92,75	27845,36,87
योग		210979,16,79	191843,66,62
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	113658,50,34	106803,49,21
परिचालन व्यय	16	46472,76,94	41782,36,65
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		40363,79,25	33307,15,39
योग		200495,06,53	181893,01,25
III. लाभ			
निवल लाभ (वर्ष के लिए)		10484,10,26	9950,65,37
आगे लाया गया लाभ		31,68	32,48
योग		10484,41,94	9950,97,85
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		3145,23,08	2985,19,61
पूँजी आरक्षित निधियों में अंतरण		1493,38,64	345,27,46
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		3430,54,64	4267,35,10
इस वर्ष भुगतान किया गया पिछला वर्ष का लाभांश (लाभांश पर कर सहित)		-	80
चालू वर्ष हेतु लाभांश		2108,56,29	2018,32,20
चालू वर्ष हेतु लाभांश पर कर		306,37,61	334,51,00
तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		31,68	31,68
योग		10484,41,94	9950,97,85
प्रति शेयर मूल आय		₹ 13.43	₹ 12.98
प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 13.43	₹ 12.98
विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

उपरोक्त दर्शाई गई अनुसूचियाँ लाभ और हानि खाते के अभिन्न अंग हैं।

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(अनुपालन एवं जोखिम)

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक
(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

निदेशक:

श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम. डी. माल्या
श्री दीपक आई. अमीन
डॉ. पुष्पेंद्र राय
डॉ. गिरीश के. आहूजा
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल
श्री चंदन सिन्हा

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेरियन के. बेबी
भागीदार: स.सं. 016043
फर्म पंजी. सं. 04532 S

कृते बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. के. छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 008482
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: M No.083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

के. पार्वती कुमार
भागीदार: स.सं. 11684
फर्म पंजी. सं. 003089 S

कृते वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. संकर
भागीदार: स.सं. 046050
फर्म पंजी. सं. 109208 W

कृते मनुभाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आर. एन. बासु
भागीदार: स.सं.: 050430
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते एस एल छाजेड़ एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते ब्रह्मय्या एंड कं.
सनदी लेखाकार

एन. श्रीकृष्णा
भागीदार: स.सं.: 026575
फर्म पंजी. सं.: 000511 S

कृते एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप के. मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते एम्. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुरिन्दर के. बंसल
भागीदार: स.सं.: 014301
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 मई, 2017



अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

	(000 को छोड़ दिया गया है)	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	119510,00,30	115666,01,22
II. निवेशों पर आय	48205,30,54	42303,97,93
III. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	1753,46,71	621,06,84
iv. अन्य	6049,46,49	5407,23,76
योग	175518,24,04	163998,29,75

अनुसूची 14 - अन्य आय

	(000 को छोड़ दिया गया है)	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	16276,57,34	14415,98,00
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/(हानि) (निवल)	10749,61,95	5168,79,59
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि) (निवल)	-	(151,67,43)
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ/(हानि) (निवल)	(37,05,48)	(16,69,37)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ/(हानि)	2388,44,90	1799,34,94
VI. विदेश / भारत में स्थित समनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	688,35,40	475,82,57
VII. वित्तीय पट्टे से आय	-	-
VIII. विविध आय #	5394,98,64	6153,78,57
योग	35460,92,75	27845,36,87

विविध आय में बट्टे खाते में ₹ 3476,93,83 हजार की वसूली शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 2858,61,51 हजार)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

	(000 को छोड़ दिया गया है)	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	105598,75,22	98864,98,84
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	3837,46,97	4154,29,59
III. अन्य	4222,28,15	3784,20,78
योग	113658,50,34	106803,49,21

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

	(000 को छोड़ दिया गया है)	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	26489,28,01	25113,82,46
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च	3956,86,26	3709,15,28
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री	411,17,79	376,81,38
IV. विज्ञापन और प्रचार	281,13,58	307,64,06
V. (क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	2293,30,95	1700,30,45
(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	-	-
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	86,12	63,37
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	216,10,88	197,04,21
VIII. विधि प्रभार	189,56,07	179,50,08
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	759,95,19	609,35,30
X. मरम्मत और अनुरक्षण	639,75,29	598,08,43
XI. बीमा	1929,23,12	1718,03,67
XII. अन्य व्यय	9305,53,68	7271,97,96
योग	46472,76,94	41782,36,65

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार:

बैंक के वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत लेखा की उपचय पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं। इन सिद्धांतों में प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड / दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाएँ शामिल हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं यथोचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. राजस्व निर्धारण:

- 1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को उपचय आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।
- 1.2 ब्याज/बट्टे पर आय का, लाभ और हानि खाते में उपचय आधार पर निर्धारण किया गया है, सिवाय इनके जहाँ (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से आय, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक / विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है, को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।
- 1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में लिया गया है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी वाले निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करें और सांविधिक आरक्षित निधि हेतु अंतरित की जाने वाली निवल राशि) "पूँजी आरक्षित खाते" में विनियोजित किया गया है।
- 1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन, प्राथमिक पट्टा अवधि के लिए पट्टे में बकाया निवल निवेश पर, पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - "पट्टे" के अनुसार 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है जोकि पट्टे में निवल निवेश की राशि के समान है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित है जो कि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती नमूने पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

- 1.5 "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

- क) ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।
- ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

- 1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित है, वहाँ लाभांश को उपचय आधार पर लेखे में लिया गया है।

- 1.7 समस्त अन्य कमीशन एवं शुल्क आय का निर्धारण उनके वसूली पर किया जाता है सिवाय अधोलिखित के : (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन जोकि गारंटी की पूरी अवधि के लिए है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन एवं एटीएम इंटरचेंज फीस का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है, तथा (iii) पुनर्संचित खातों पर एकमुश्त फीस, जिसे कि पुनर्संचना अवधि के दौरान संविभाजित किया जाता है।

- 1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में परिशोधित किया गया है।

- 1.9 बॉन्ड जारी करने / जमाराशियों के संबंध में भुगतान / खर्च की गई दलाली / कमीशन को संबंधित बॉन्डों एवं जमाराशियों की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हे जारी करने पर हुए खर्च को एकमुश्त प्रभारित किया गया है।

- 1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है, :-

2 निवेश :

सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन को "निपटान तिथि" (सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है।

2.1 वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) और व्यवसाय के लिए धारित (एचएफटी)।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

- i. निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, को "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ii. निवेश जिन्हें सैद्धांतिक रूप से क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, को "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iii. निवेश जिन्हें उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iv. किसी भी निवेश को उसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" या "व्यवसाय के लिए रखे गए(एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और बाद में विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप श्रेणियों में रखा गया है।
- v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।



2.3 मूल्यांकन :

- i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:
 - (क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।
 - (ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।
 - (ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।
 - (घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)ड श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारतित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी के लिए फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।
- ii. एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य में से जो न्यूनतम हो, के आधार पर किया जाता है और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यहास, यदि कोई हो तो, उसके लिए पूर्णतया प्रावधान किया गया है। हालांकि एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य के आधार पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं परिणामस्वरूप मूल्यहास यदि कोई हो, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है।
- iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया गया है।
- iv. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी : क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बचो हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है: (ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को ऐतिहासिक लागत पर मूल्यांकित किया गया है। तात्कालिक के अतिरिक्त प्रत्येक निवेश में घाटे के लिए प्रावधान किया गया है: (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।
- v. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ: एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य पर किया गया है और प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्येक समूह के केवल निवल मूल्यहास (जैसे (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर (iv) बांड एवं ऋणपत्र (v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य) का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को नजरंदाज किया गया है। मूल्यहास का प्रावधान करने पर, प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य, बाजार बही - मूल्य के अंकन के पश्चात अपरिवर्तित रहा है।
- vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को अनर्जक आस्तियाँ (वित्तीय आस्तियाँ) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद (एसआर) में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। एससी / एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) का मूल्यांकन

नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आर्बिट वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में एससी / एआरसी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना ऐसे निवेशों के मूल्यन के लिए की गई है।

- vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:
 - क) ब्याज/ किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।
 - ख) इक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ अद्यतित तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹ 1 प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।
 - ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उस इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।
 - घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।
 - ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।
 - च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों, जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।
- viii. रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेन (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:
 - क) रेपो /रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है। तथापि एकमुश्त विक्रय / क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है एवं इस तरह के अंतरणों को रेपो/ रिवर्स रेपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय / आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार लेना) एवं रिवर्स रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।
 - ख) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय / विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय / राजस्व के रूप में लेखे में लिया गया है।
- ix. बाजार से पुनः क्रय एवं प्रतिवर्ती पुनः क्रय लेन-देन के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत किए गए लेन-देन को भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में लागू दिशानिर्देशों के तहत उधार एवं ऋण लेन-देन के तौर पर खाते में लिया गया है।

3. ऋण / अग्रिम और उन पर प्रावधान :

- 3.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शनों / दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:
- सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है
 - ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" "(आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान नामे ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं ;
 - क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;
 - कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ख) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।
- 3.2 अनर्जक आस्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:
- अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है।
 - संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।
 - हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।
- 3.3 विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं और ये नीचे निर्धारित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

- अवमानक आस्तियाँ :
- कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
 - ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
 - इन्फ्लेक्स्टक्चर अग्रिम खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध हैं, से संबंधित प्रतिभूति-रहित ?ण जोखिम - 20 %

संदिग्ध आस्तियाँ :

- प्रतिभूत भाग
- एक वर्ष तक - 25%
 - एक से तीन वर्ष तक - 40%
 - तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग 100%
- हानिप्रद आस्तियाँ 100%.

- 3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।
- 3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।
- 3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुनर्संरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य के अंतर हेतु प्रावधान किया गया है जोकि संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त है। उपरोक्त के कारण अंकित मूल्य में कमी (डीएफवी) एवं छोड़े गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, तो उसे अग्रिम से घटा दिया जाता है।
- 3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वह विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।
- 3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि को वसूल किए गए वर्ष में राजस्व के रूप में स्वीकारा गया है।
- 3.9 भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्धारण करते समय इन पर विचार नहीं किया जाता है।
- 3.10 बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों में वसूली का विनियोजन यथा बकाया मूलधन या ब्याज में निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुरूप किया गया है
- क) प्रभार
- ख) अप्राप्त ब्याज/ब्याज
- ग) मूलधन

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेशों तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग केवल भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के तहत वर्णित आकस्मिकताओं के लिए किया जाता है।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। यह प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है।



6. डेरीवेटिव्स :

- 6.1 बैंक तुलन-पत्र की / तुलन-पत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलन-पत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है।
- 6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को उपचय आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/ देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।
- 6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं, उद्योग में प्रचलित सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से ठुचंत खाता कुल प्राप्यड में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरीवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती है और यदि ये डेरीवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गया हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से ठुचंत खाता सकारात्मक एमटीएमड में प्रतिवर्तित किया जाता है।
- 6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर (ओटीसी) ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।
- 6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यहास और परिशोधन:

- 7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यहास/ परिशोधन घटा कर किया गया है।
- 7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन किए गए प्रोफेशनल शुल्क शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते है।
- 7.3 इन देशी परिचालनों के संबंध में मूल्यहास की दरें और मूल्यहास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यहास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	स्ट्रेट लाइन मेथड	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जोकि कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	स्ट्रेट लाइन मेथड	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल न होने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परिवर्धन की लागत	स्ट्रेट लाइन मेथड	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टेलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन /सिक्का डिस्पेंसर / सिक्का वेंडिंग मशीन	स्ट्रेट लाइन मेथड	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	स्ट्रेट लाइन मेथड	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपस्कर	स्ट्रेट लाइन मेथड	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	स्ट्रेट लाइन मेथड	अचल आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता के आधार पर मुख्य अचल आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि इस प्रकार है : परिसर 60 वर्ष वाहन 5 वर्ष सुरक्षित जमा लॉकर 20 वर्ष फर्निचर व फिक्सचस 10 वर्ष

- 7.4 वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों (देशी परिचालनों हेतु) के मामले में, आस्ति का उपयोग वर्ष के दौरान जितने दिनों के लिए किया गया है, उसी के आधार पर मूल्यहास प्रभारित किया गया है।
- 7.5 आस्तियाँ जिनमें प्रत्येक का मूल्य ₹ 1000 से कम हो, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।
- 7.6 पट्टाकृत परिसरों के मामले में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, उसे पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को संबंधित वर्ष में प्रभारित किया गया है।
- 7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यहास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।
- 7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- 7.9 बैंक, केवल अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर विचार करता है। विगत तीन वर्षों में अर्जित की गई संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसके बाद पुनर्मूल्यांकित आस्तियों का मूल्यांकन प्रत्येक तीन वर्षों में किया जाता है।
- 7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्तियों के निवल बही मूल्य में हुई वृद्धि को लाभ और हानि विवरणों में ले जाए बिना, पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि खाता में जमा किया जाता है।
- 7.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों का मूल्यहास, आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय आस्तियों की शेष बची उपयोगिता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

8. पट्टे :

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसा कि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता :

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की गई आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव :

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

- विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (तत्काल/ वायदा) दरों का प्रयोग तुलन-पत्र की तिथि को कर दी गई है।
- विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।
- विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।
- व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।
- मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उपचय हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।
- मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन :

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन :

- असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।
- निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उपचय विनिमय अंतर - राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित में किया गया है।
- विदेशी मुद्रा में विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताओं (विदेशी स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को तुलनपत्र की तिथि पर उस देश में लागू स्पॉट दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन :

- विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।
- समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित (स्पॉट/ फॉरवाड) अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताओं को स्पॉट दर पर रूपांतरित किया गया है।
- अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रिम विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना, लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

क. नियत हितलाभ योजना

- बैंक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदानों को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक



अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान या मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि या ₹ 10 लाख की अधिकतम राशि होती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमाकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितोकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है। बैंक, एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमाकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है एवं बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रेणित बीमाकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। बीमाकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जोकि एक नियत अंशदान योजना है एवं नये कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं है। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% की राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे एवं इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या(पीआरएएन) की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि, बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख) अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमाकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को संबंधित देशों के स्थानीय विधियों/ विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया गया है।

12. आय पर कर :

आय कर व्यय, बैंक द्वारा वहन किए गए वर्तमान कर तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि होती है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण क्रमशः आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22 - "आय पर करों का लेखांकन" के अनुसार किया गया है। ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट है। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष के कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रणीत हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियां और देयताओं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमित किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है / होना निश्चित है। यदि विश्वास योग्य प्रमाण से वास्तव में यह निश्चित हो जाता है कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को भावी लाभ के सामने वसूल किया जा सकता है, तभी आगे ले जाई गई अनवशोषित मूल्यहास और कर हानियों पर आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण किया जाता है।

13. प्रति शेयर आय:

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयर धारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियां :

- 14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी ठ प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँड में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन के परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ के समाविष्ट पर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।
- 14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:
- (i) पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा
- (ii) किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-
- क) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा
- ख) दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।
ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों को दिये जाने वाले रिवाईड पॉइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. सर्राफा लेनदेन :

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों सहित सर्राफा आयात करता है। ये आयात सामान्यतः दुतरफा आधार पर होते हैं एवं ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक को इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर फीस के रूप में आय प्राप्त होती है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा/ अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इस पर अदा किए गए / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्वर्ण जमाओं, धातु (मेटल) ऋण अग्रिमों और अंतिम स्वर्ण शेषों का मूल्य तुलन-पत्र की तिथि को उपलब्ध बाजार दर के आधार पर निकाला जाता है।

16. विशेष आरक्षित निधि :

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

17. शेयर जारी करने का व्यय :

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाये गए हैं।



अनुसूची- 18 लेखा-टिप्पणियाँ

18.1 पूंजी:

1. पूंजी अनुपात:

बेसल - II के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंदे	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)		अप्रयोज्य
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	10.27%	10.41%
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	3.29%	3.53%
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात- (%)	13.56%	13.94%

बेसल - III के अनुसार

क्र. सं.	मंदे	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.82%	9.81%
(ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	10.35%	9.92%
(iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.76%	3.20%
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	13.11%	13.12%
(v)	भारत सरकार की शेरधारिता का प्रतिशत	61.23%	60.18%
(vi)	भारत सरकार द्वारा धारित शेरों की संख्या*	488,23,62,052	467,16,34,652
(vii)	बाजार से प्राप्त इक्विटी पूंजी	5,681.00	5,393.00
(viii)	अतिरिक्त टियर - 1 (एटी 1) पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित है		
	क) पीएनसीपीएस:	शून्य	शून्य
	ख) पीडीआई:	9,045.50	शून्य
(ix)	टियर - 2 पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित		
	क) ऋण पूंजी लिखत	शून्य	10,500.00
	ख) प्रिफरेंस शेर पूंजी लिखत:	शून्य	शून्य
	ज्बेमियादी संचयी प्रिफरेंस शेर (पीसीपीएस)/ प्रतिदेय असंचयी प्रिफरेंस शेर (आरएनसीपीएस)/ प्रतिदेय संचयी चप्रिफरेंस शेर (आरसीपीएस)		

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र क्र. डीबीआर सं बीपी. बीसी. 83/ 21.06.201/ 2015-16 दिनांक 1 मार्च 2016 के द्वारा बैंकों को यह विवेकाधिकार दिया है कि आरक्षित पुनर्मूल्यांकन, विदेशी मुद्रा ट्रांसलेसन रिजर्व और आस्थगित कर आस्ति पूंजी पर्याप्तता की गणना सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में की जाए। बैंक ने उपरोक्त विकल्प का प्रयोग 2016-17 की गणना के लिए किया है।

2. शेर पूंजी

- क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹5,681.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,393.00 करोड़) की आवेदन राशि प्राप्त किया है जिसमें शेर प्रीमियम के रूप में ₹5,659.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,373.34 करोड़) शामिल हैं जो भारत सरकार को दिनांक 20.01.2017 को आर्बिट्रि प्रिफरेंस के 21,07,27,400 (पिछले वर्ष 19,65,59,390) इक्विटी शेर के अधिमानी (प्रिफरेंसियल) निर्गम के बदले प्राप्त हुई है।
- ख) शेर जारी करने से संबंधित खर्च: ₹6.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.66 करोड़) शेर प्रीमियम खाते में नामे किए गए।

3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)

संमिश्र टियर-I पूंजी के अंतर्गत आने वाले एवं बकाया आईपीडीआई का ब्योरा निम्नानुसार है:

क) विदेशी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.17 को रुपए के समतुल्य	31.03.16 को रुपए के समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम के तहत जारी बॉण्ड-12वीं श्रृंखला*	15.02.2007	बेमियादी नॉन-काल 10.25 वर्ष	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2,594.00	2,650.20
एमटीएन कार्यक्रम के तहत जारी बॉण्ड -14वीं श्रृंखला#	26.06.2007	बेमियादी नॉन-काल 10 वर्ष और एक दिन	225 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,459.13	1,490.74
अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1) एमटीएन कार्यक्रम के तहत जारी बॉण्ड-29वीं श्रृंखला	22.09.2016	बेमियादी नॉन-काल 5 वर्ष	300 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,945.50	--
कुल			925 मिलियन अमेरिकी डॉलर	5,998.63	4,140.94

* यदि बैंक 15 मई 2017 को कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

यदि बैंक 27 जून 2017 से कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है, तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा।

ये बॉण्ड अरक्षित बॉण्ड हैं और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं (एसजीएक्स-बॉण्ड बोर्ड)।

ख) देशीय:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %
1	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2007-08 एसबीआईएन श्रृंखला VI (टियर-1)	165.00	28.09.2007	10.25
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009-10 श्रृंखला I (टियर-1)	1,000.00	14.08.2009	9.10
3	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009-10 श्रृंखला II (टियर-1)	1,000.00	27.01.2010	9.05
4	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अरक्षित बेसल III एटी 1	2,100.00	06.09.2016	9.00
5	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अरक्षित बेसल III एटी 1 श्रृंखला II	2,500.00	27.09.2016	8.75
6	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अरक्षित बेसल III एटी 1 श्रृंखला III	2,500.00	25.10.2016	8.39
कुल		9,265.00*		

* इसमें वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान बाजार से लिए गए ₹2,000 करोड़ शामिल हैं जिसमें एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि द्वारा किए गए ₹550 करोड़ के निवेश को आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार टियर-1 पूंजी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

4. गौण ऋण

बॉण्ड समतुल्य पर अप्रत्याभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय एवं रिडीम योग्य होते हैं।

बकाया गौण ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तारीख	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
1	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (IV) (निम्न टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.06.2018	8.95	111
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (II) (निम्न टियर II)	1,500.00	29.12.2008 29.06.2018	8.40	114
3	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2007-08 (I) (उच्च टियर II)	2,523.50	07.06.2007 07.06.2022	10.20	180
4	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2007-08 (II) (उच्च टियर II)	3,500.00	12.09.2007 12.09.2022	10.10	180
5	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (I) (उच्च टियर II)	2,500.00	19.12.2008 19.12.2023	8.90	180
6	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2013-14 (I) (टियर II)	2,000.00	02.01.2014 02.01.2024	9.69	120
7	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (III) (उच्च टियर II)	2,000.00	02.03.2009 02.03.2024	9.15	180
8	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 (V) (उच्च टियर II)	1,000.00	06.03.2009 06.03.2024	9.15	180
9	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2008-09 - एसबीआईएन (श्रृंखला VII) (उच्च टियर II)	250.00	24.03.2009 24.03.2024	9.17	180
10	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू) निम्न टियर II - बॉण्ड 2010 (श्रृंखला - II)	866.92	04.11.2010 04.11.2025	9.50	180



(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तारीख	वार्षिक ब्याज की दर %	परिपक्वता अवधि माह में
11	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 1। बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला I)	4,000.00	23.12.2015 23.12.2025	8.33	120
12	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला II)	3,000.00	18.02.2016 18.02.2026	8.45	120
13	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू) (निम्न टियर II) - बॉण्ड 2011 रिटेल (श्रृंखला - IV)	3,937.60	16.03.2011 16.03.2026	9.95	180
14	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू) (निम्न टियर II) - बॉण्ड 2011 नॉन- रिटेल (श्रृंखला - IV)	828.32	16.03.2011 16.03.2026	9.45	180
15	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला III)	3,000.00	18.03.2016 18.03.2026	8.45	120
16	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला IV)	500.00	21.03.2016 21.03.2026	8.45	120
कुल		32,406.34			

18.2 निवेश

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016* की स्थिति के अनुसार
I. निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	7,25,421.42	5,37,109.06
(ख) भारत से बाहर	41,815.77	39,496.32
ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	557.72	294.49
(ख) भारत से बाहर	85.04	59.61
iii) पुनर्संचित खातों के ब्याज पूंजीकरण की देयताएं (एल आई सी आर ए)	604.80	599.49
iv) निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	7,24,258.90	5,36,215.08
(ख) भारत से बाहर	41,730.73	39,436.71
2. निवेशों पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) वर्ष के प्रारंभ में शेष	354.10	479.90
ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	552.48	610.39
iii) घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	0	293.72
iv) घटाएं/जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन	9.73	(18.36)
v) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	254.09	460.83
vi) वर्ष की समाप्ति पर शेष	642.76	354.10

*भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र एपीएमआरडी.डीआईआरडी. 10/14.03.002/2015-16 दिनांकित 19 मई 2016 की शर्तों के अनुसार बैंक ने 3 अक्टूबर 2016 से भारतीय रिजर्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा एवं मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा को अपने रेपो/रिवर्स रेपो को क्रमशः ऋण/ उधार के रूप में मान्यता दी है जो पहले निवेश के रूप में प्रचलित थी।

टिप्पणियां :

- क) ₹ 18,676.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,827.96 करोड़) की प्रतिभूतियाँ क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईएल)/ एनएससीसीएल/एमसीएक्स/यूएसईआईएल/एनएसईआईएल/ बीएसई के पास प्रतिभूति सेटलमेंट हेतु रखी गयी है।
- ख) वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी अनुषंगियों में अतिरिक्त पूंजी लगाई है, अर्थात i) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में ₹ 4,160 करोड़ *, (गत वर्ष ₹ 799.99 करोड़) ii) एसबीआई इंडिया मैनेजमेंट सोल्युशंस प्रा. लि. में ₹ 10 करोड़, iii) एसबीआई जनरल बीमा कं. लिमिटेड में ₹ 166.50 करोड़, (74 प्रतिशत) और iv) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में ₹ 2.13 करोड़।
- * कुल ₹4,160 करोड़ के पूंजी निवेश में से ₹1760 करोड़ का भुगतान 30.03.2017 को किया गया जिसका प्रकटन हमारे बही में, "निवेश उंचत खाता" के अंतर्गत किया गया है, चूंकि वर्ष के अंत में आबंटन लंबित था।
- घ) वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 1,755 करोड़ के लाभ पर एसबीआई लाइफ इन्सुरेन्स कं. लि. के 390,00,000 इक्विटी शेयर पर बेच दिए। इसलिए बैंक की शेयरधारिता 74 प्रतिशत से घटकर 70.10 प्रतिशत हो जाएगी।
- ग) 10 नवंबर 2016 को जियो पेमेंट बैंक लिं को संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया है जिसमें एसबीआई और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिं संयुक्त साझेदार हैं और उनकी शेयरधारिता क्रमशः 30% एवं 70% है। भारतीय स्टेट बैंक ने 31 मार्च 2017 तक इस संयुक्त उद्यम में ₹ 39.60 करोड़ की पूंजी लगाई है।

2. रेपो लेनदेन ढतरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित :

वर्ष के दौरान एलएएफ सहित रेपो और प्रत्यावर्तित रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च 2017 को शेष राशि
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	99,581.36	6,673.82	74,235.72
	(-)	(99,581.36)	(17,406.51)	(99,581.36)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ	2,106.15	7,251.52	3,779.10	2,786.85
	(-)	(1,314.24)	(571.47)	(1,254.07)
रिवर्स रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	55.40	1,02,342.25	21,178.52	6,055.45
	(-)	(55,000.00)	(4,692.95)	(-)
ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ	571.45	590.18	581.28	573.39
	(-)	(-)	(-)	(-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)



3. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन - एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता - संरचना:

बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन - एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निर्गमकर्ता	राशि	प्राइवेट प्लेसमेंट की सीमा (राशि)	“निम्न निवेश श्रेणी” वाली प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	“बिना रेटिंग वाली” प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	“असूचीगत” प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*
(i)	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	47,224.95	34,926.02	836.32	462.77	762.76
		(19,718.43)	(9,452.46)	(341.83)	(176.49)	(541.78)
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	58,179.05	49,893.49	-	-	200.00
		(29,826.69)	(18,998.39)	(-)	(-)	(200.00)
(iii)	बैंक	21,201.42	8,494.71	1,331.60	23.62	2,373.63
		(15,398.01)	(1,256.40)	(1,118.15)	(23.62)	(23.62)
(iv)	निजी कारपोरेट	35,054.91	23,111.85	1,156.49	658.82	164.21
		(23,905.24)	(12,464.90)	(2,299.54)	(499.93)	(78.67)
(v)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम**	14,010.07	-	-	-	-
		(11,379.03)	(-)	(-)	(-)	(-)
(vi)	अन्य	16,328.08	-	974.89	848.03	-
		(16,825.10)	(-)	(1,219.73)	(1,147.88)	(-)
(vii)	मूल्यहास (एल आइ सी आर ए के साथ) के लिए रखा गया प्रावधान	1,247.56	-	-0.92	-	-
		(953.59)	(-)	(31.97)	(-)	(-)
	कुल	1,90,750.92	1,16,426.07	4,300.22	1,993.24	3,500.60
		(1,16,098.91)	(42,172.15)	(4,947.28)	(1,847.92)	(844.07)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

*इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, रेटेड आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें रेटिंग/लिस्टिंग दिशा-निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

ख) अनर्जक गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	146.24	401.72
वर्ष के दौरान वृद्धि	348.37	52.36
वर्ष के दौरान कमी	47.07	307.84
अंतिम शेष	447.54	146.24
रखे गए कुल प्रावधान	227.85	126.68

4 एचटीएम श्रेणी से / को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से / को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

5 प्रतिभूति रसीदों में निवेश का प्रकटन (एसआर (ओं))

(₹ करोड़ में)

विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर(ओं)	पाँच वर्षों से अधिक पहले जारी एसआर(ओं) लेकिन पिछले 8 वर्षों के अंदर	आठ वर्षों से अधिक पहले जारी एसआर(ओं)	कुल
i बैंक द्वारा विक्रय किए गए अंतर्निहित एनपीए द्वारा समर्थित एसआर(ओं) का बही मूल्य	5,497.02	-	47.06	5,544.08
प्रावधान .. (i)	-	-	47.06	47.06
ii अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए गए अंतर्निहित एनपीए द्वारा समर्थित एसआर(ओं) का बही मूल्य	19.97	2.68	-	22.65
प्रावधान .. (ii)	-	-	-	-
कुल (i) + (ii)	5,516.99	2.68	47.06	5,566.73

6 प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेचे गए अनर्जक आस्तियों के बदले में प्रतिभूति रसीदों में निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	बैंक द्वारा विक्रय किए गए अंतर्निहित एनपीए(ओं) द्वारा समर्थित		अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए गए अंतर्निहित एनपीए(ओं) द्वारा समर्थित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
31 मार्च 2017 को प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	5,544.08	5,425.63	22.65	27.19	5,566.73	5,452.82
वर्ष के दौरान प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेश का बही मूल्य	281.89	783.92	-	2.65	281.89	786.57

18.3 डेरीवेटिव्स:

क) वायदा दर करार/ब्याज दर विनिमय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
i) विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि#	1,42,876.87	1,30,624.90
ii) प्रतिपक्षों द्वारा करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियां	881.75	2,080.00
iii) विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का केन्द्रीकरण	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
v) विनिमय-बही का उचित मूल्य	52.59	946.31

#बैंक के अपने विदेशी कार्यालयों तथा अन्य बैंकों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹ 9,299.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11,232.11 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।



31 मार्च 2017 को फारवर्ड दर करार तथा ब्याज दर स्वाप की प्रकृति एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

इंस्ट्रुमेंट	प्रकृति	सं.	नोशनल सिद्धांत	बेंचमार्क	शर्तें
एफआरए	ट्रेडिंग	1	24.33	लिबोर	निर्धारित देय बनाम अस्थिर प्राप्य
एफआरए	ट्रेडिंग	1	24.33	लिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	59	2,946.96	लिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	35	609.72	अन्य	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	70	47,959.33	लिबोर	स्थिर प्राप्य बनाम अस्थिर देय
आईआरएस	हेजिंग	37	2,271.50	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम स्थिर देय
आईआरएस	हेजिंग	1	3,242.50	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम स्थिर देय
आईआरएस	ट्रेडिंग	58	7,932.00	लिबोर	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	62	8,430.17	लिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	561	24,115.00	मिबोर	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	556	26,598.00	मिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	6	200.00	मिफोर	स्थिर देय बनाम अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	7	225.00	मिफोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	57	10,680.87	लिबोर	स्थिर प्राप्य बनाम अस्थिर देय
आईआरएस	ट्रेडिंग	51	6,990.73	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम स्थिर देय
सीसीएस	हेजिंग	1	145.51	लिबोर	स्थिर प्राप्य बनाम अस्थिर देय
सीसीएस	हेजिंग	9	306.90	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम स्थिर देय
सीसीएस	हेजिंग	1	174.02	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम स्थिर देय
कुल			1,42,876.87		

31 मार्च 2016 को फारवर्ड दर करार तथा ब्याज दर स्वाप की प्रकृति एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

इंस्ट्रुमेंट	प्रकृति	सं.	नोशनल सिद्धांत	बेंचमार्क	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	5	882.30	लिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	10	355.02	अन्य	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	53	8,486.30	लिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	51	8,353.58	लिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	492	16,690.00	मिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	509	18,065.00	मिबोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	3	150.00	मिफोर	अस्थिर देय बनाम निर्धारित प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	83	49,972.29	लिबोर	स्थिर प्राप्य बनाम अस्थिर देय
आईआरएस	हेजिंग	66	4,023.47	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम स्थिर देय
आईआरएस	हेजिंग	1	3,312.75	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम अस्थिर देय
आईआरएस	ट्रेडिंग	81	13,197.83	लिबोर	स्थिर प्राप्य बनाम अस्थिर देय
आईआरएस	ट्रेडिंग	31	7,077.58	लिबोर	अस्थिर प्राप्य बनाम स्थिर देय
सीसीएस	हेजिंग	2	58.77	लिबोर	स्थिर प्राप्य बनाम अस्थिर देय
कुल			1,30,624.89		

ख) एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किए गए डेरीवेटिव्स की ब्याज-दर

(₹ करोड़ में)

क.ख. विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल राशि		
क ब्याज दर वायदे	शून्य	शून्य
ख 10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	7,819.64	235.74
2 31 मार्च 2017 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि		
क ब्याज दर वायदे	शून्य	शून्य
ख 10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूति	538.76	शून्य
3 बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज - डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि जो बकाया है और" अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं
4 बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और" अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं

ग) डेरीवेटिव्स में जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोजर)

(क) गुणात्मक जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोजर)

- बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरीवेटिव्स तथा ब्याज दर का लेनदेन करता है। बैंक द्वारा जिन ब्याज दर डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, रुपया ब्याज दर विनिमय, विदेशी मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार शामिल हैं। बैंक द्वारा जिन मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, मुद्रा विनिमय, रुपया डालर ऑप्शन और परस्पर-मुद्रा ऑप्शन शामिल हैं। बैंक के ग्राहकों को उत्पादों के विक्रय-प्रस्ताव, उनके निवेशों की बचाव-व्यवस्था करने के लिए दिए जाते हैं और बैंक ऐसे निवेशों हेतु बचाव-व्यवस्था करने के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएं निष्पादित करता है। बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलन-पत्र की मदों के लिए बचाव-व्यवस्था करने हेतु भी किया जाता है। बैंक यूएसडी/आईएनआर में विकल्प की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमाओं और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।
- डेरीवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होते हैं, अर्थात् ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही ऋण जोखिम, अर्थात् यदि प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया गया तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है। बोर्ड द्वारा यथाविधि अनुमोदित बैंक की डेरीवेटिव्स नीति में बाजार जोखिम (ग्रीक सीमा, हानि सीमा) (हानि कम करने के लिए सतर्कता बिन्दु, आंशिक राशि सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, ऋण अवधि, सीमाएं ग्राहक सटीकता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं। केवल इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरा उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरीवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया गया है। बाध्यताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित ऋण-सीमा निर्धारित किया जाता है एवं बैंक ऐसे प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आइएसडीए करार भी करता है।
- उपरोक्त जोखिमों के कुशल प्रबंधन पर बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) निगरानी रखती है। ट्रेजरी स्थित बैंक का मिड-ऑफिस एवं जोखिम नियंत्रण विभाग (एमओआरसी) जो कि अब बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कहलाता है, डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम का स्वतंत्र रूप से अभिनिर्धारण, आकलन तथा अनुवर्तन करता है एवं इन जोखिमों को नियंत्रित एवं न्यूनीकृत करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है। साथ ही बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीतिगत उपाय सुझाने के साथ-साथ नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- डेरीवेटिव्स के लिए लेखा नीतियां आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई हैं जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2016-17 की अनुसूची 17: महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।
- विदेशी कार्यालयों में ब्याज दर विनिमय का उपयोग मुख्यतः आस्ति और देयताओं की बचाव-व्यवस्था हेतु किया जाता है।
- बचाव-व्यवस्था विनिमय के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों के विनिमयों में, हमारे विदेशी कार्यालयों में जाने वाले परस्पर मुद्रा-विनिमय, जो ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में मुख्यतः विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमा राशियों की बचाव-व्यवस्था हेतु निष्पादित होते हैं, शामिल हैं।
- हमारे अधिकांश विनिमय प्रथम टियर के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ निष्पादित होते थे
- डेरीवेटिव अंतरण में स्वाप शामिल है जिसका आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकटन किया गया है। स्वाप का वर्गीकरण ट्रेडिंग या हेजिंग के रूप में किया गया है
- डेरीवेटिव सौदा केवल उन अंतर-बैंक प्रतिभागियों के साथ किया जाता है जिनके लिए प्रतिपक्षी जोखिम सीमा संस्वीकृत है। इसी प्रकार, डेरीवेटिव सौदा केवल उन कारपोरेटों के साथ किया जाता है जिनके लिए ऋण जोखिम सीमा संस्वीकृत है। डेरीवेटिव लेनदेन हेतु संपार्श्विक ऋण संस्वीकृत सीमा के रूप में मामलावार दी गई है। ऐसे संपार्श्विक आवश्यकताओं को ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित किया गया है। बैंक ने हानि को कम करने के उपाय के रूप में कुछ मामलों में लेनदेन को रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है।



(ख) मात्रात्मक जोखिम प्रकटीकरण (एक्सपोजर):

(₹ करोड़ में)

मद	मुद्रा डेरीवेटिव्स		ब्याज दर डेरीवेटिव्स	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I) डेरीवेटिव्स (आनुमानिक मूल राशि)				
(क) हेडिजिंग के लिए	6,968.86 @	17,713.28 @	54,347.59 #	55,699.48 #
(ख) क्रय-विक्रय के लिए*	2,02,472.85	2,32,714.53	88,529.27	74,925.42
(II) बाजार के बही-मूल्य के अनुसार स्थिति				
(क) आस्ति	4,675.49	3,971.40	574.79	1,642.57
(ख) देयता	1,285.33	2,145.05	565.10	369.89
(III) ऋण जोखिम	7,428.09	7,960.90	2,286.34	3,487.84
(IV) ब्याज दर (100*पीवी01) में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव				
(क) बचाव-व्यवस्था डेरीवेटिव्स पर	-0.25	-0.04	-7.60	-63.09
(ख) क्रय-विक्रय डेरीवेटिव्स पर	0.97	2.68	46.52	20.34
(V) वर्ष के दौरान (100*पीवी01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
(क) हेडिजिंग पर				
- अधिकतम	0.00	0.08	2.87	-34.14
- न्यूनतम	-0.04	-0.04	-0.64	-44.36
(ख) क्रय-विक्रय पर				
- अधिकतम	1.03	0.67	0.77	0.90
- न्यूनतम	0.04	-	-0.11	-0.05

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ प्रविष्ट स्वेप्स की ₹4,988.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7811.17 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

बैंक के अपने विदेशी कार्यालयों एवं अन्य बैंकों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹9,299.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 11,232.11 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है एवं बाजार के लिए चिन्हित भी नहीं की गई है।

* बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है। करेंसी डेरीवेटिव्स- (₹ शून्य) और ब्याज दर डेरिवेटिव्स (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

1. मार्च 31, 2017 तक ग्लोबल मार्केट्स यूनिट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप डिपार्टमेंट के बीच डेरीवेटिव्स व्यापार की बकाया अनुमानित राशि ₹ 7,571.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 19,043.28 करोड़) है और 31 मार्च 2017 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरीवेटिव्स व्यापार की राशि ₹ 16,955.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 18,071.97 करोड़) है।
2. ब्याज दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2017 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹ 53,675.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 66,453.24 करोड़) है।

18.4 आस्ति-गुणवत्ता

क) अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
i) कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	3.71%	3.81%
ii) अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (कुल)		
(क) प्रारंभिक शेष	98,172.80	56,725.34
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (नई अनर्जक आस्तियाँ)	39,071.38	64,198.49
उप-योग (I)	1,37,244.18	120,923.83
घटाएं:		
(ग) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	3,436.91	2,598.59
(घ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	894.48	4,389.18
ड) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टा खाता	शून्य	शून्य
(च) वर्ष के दौरान बट्टे खाते के कारण कमी	20,569.80	15,763.26
उप-योग (II)	24,901.19	22,751.03
(च) अंतिम शेष(I-II)	1,12,342.99	98,172.80
iii) निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	55,807.02	27,590.58
(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	3,238.02	36,192.76
(ग) वर्ष के दौरान कमी	767.66	7,976.32
(घ.) अंतिम शेष	58,277.38	55,807.02
iv) निवल अनर्जक आस्तियों की प्रावधान राशि में उतार-चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	42,365.78	29,134.76
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	35,833.35	28,005.73
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	24,133.52	14,774.71
(घ) अंतिम शेष	54,065.61	42,365.78

प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष में प्राप्त एवं स्थगित ईसीजीसी दावे शामिल हैं और बकाया समायोजन राशि क्रमशः ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 62.64 करोड़) और ₹ 1.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 67.27 करोड़) है।

- ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु विचलन से संबंधित प्रकटन जो कि अनर्जक आस्तियों (मानक आस्तियों के लिए रखे गए प्रावधान को छोड़कर) हेतु बैंक द्वारा किए गए प्रावधान जिसे आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी सं. 63/21.04.018/2016-17 दिनांकित 18 अप्रैल 2017 द्वारा आदेशित किया गया है, बैंक पर लागू नहीं है।

(ग) पुनर्संचित

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्संचना के तरीके आस्टि वर्गीकरण विवरण	सीडीआर व्यवस्था के अधीन (1)						एलएसआई ऋण पुनर्संचना के अधीन (2)							
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल			
1	1 अप्रैल 2016 को पुनर्संचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	62	3	74	3	142	186	46	123	11	366				
		(121)	(7)	(47)	(2)	(177)	(315)	(90)	(107)	(11)	(523)				
	बकाया राशि	14186.03	219.43	14045.42	236.23	28687.11	1746.93	444.99	2148.54	31.56	4372.02				
		(25,079.31)	(999.76)	(5,035.94)	(477.48)	(31,592.49)	(3,325.56)	(369.03)	(2,202.13)	(85.28)	(5,982.00)				
	संबंधित प्रावधान	779.15	13.64	411.89	0.94	1205.62	49.49	18.24	104.21	(-)	171.95				
		(1,847.05)	(103.90)	(183.40)	(47.65)	(2,182.00)	(121.85)	(9.95)	(71.77)	(-)	(203.58)				
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नए पुनर्संचित खाते	-	-	3	-	3	-	3	9	-	12				
		(2)	(-)	(3)	(-)	(5)	(22)	(5)	(10)	(1)	(38)				
	बकाया राशि	64.19	23.18	236.82	-	324.18	5135.02	51.01	138.13	-	5324.16				
		(1,679.91)	(2.46)	(393.89)	(92.71)	(2,168.97)	(143.57)	(12.54)	(28.47)	(-)	(184.58)				
	संबंधित प्रावधान	0.36	0.19	-	-	0.55	0.20	0.33	2.98	-	3.51				
		(-183.63)	(-5.69)	(46.15)	(2.58)	(-140.59)	(4.18)	(1.17)	(1.65)	(-)	(7.00)				
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	2	-1	-1	-	-	1	-	-1	-	-				
		(2)	(-)	(-1)	(-1)	(-)	(5)	(-)	(-5)	(-)	(-)				
	बकाया राशि	478.88	-79.13	-399.76	-	-	20.89	-17.31	-3.58	-	-				
		(217.44)	(-)	(107.47)	(-324.91)	(-)	(58.68)	(-14.62)	(-44.06)	(-)	(-)				
	संबंधित प्रावधान	37.06	-0.42	-36.64	-	-	-	-	-	-	-				
		(6.05)	(-)	(23.27)	(-29.32)	(-)	(2.25)	(-0.03)	(-2.22)	(-)	(-)				
4	ऐसे पुनर्संचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई हो उनके अगले वित्त वर्ष के पुनर्संचित मानक अग्रिम के रूप में दिखने की आवश्यकता नहीं है।	-17				-17	-50				-50				
		(-16)				(-16)	(-79)				(-79)				
	बकाया राशि	-1063.82				-1063.82	-271.96				-271.96				
		(-968.10)				(-968.10)	(-612.91)				(-612.91)				
	संबंधित प्रावधान	-18.74				-18.74	-2.20				-2.20				
		(-41.87)				(-41.87)	(-1.77)				(-1.77)				



क्र. सं.	पुनर्संचना के तरीके आस्ति वर्गीकरण विवरण	सोडोआर व्यवस्था के अधीन (1)					एस्पआई क्रम पुनर्संचना के अधीन (2)													
		मानक	अवमानक	सद्विध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	सद्विध	हानिकर	कुल									
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संचित खातों का डाउन ग्रेडेसन																			
	उधारकर्तियों की सं.	-16	-2	15	3	-	-25	-3	18	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(-35)	(-3)	(34)	(4)	(-)	(-31)	(-7)	(29)	(9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	बकाया राशि	-4942.66	-163.48	4860.65	245.50	-	-164.71	-54.54	206.59	12.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(-9,512.83)	(-760.38)	(10,252.24)	(20.97)	(-)	(-588.47)	(223.45)	(303.16)	(61.86)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	संबंधित प्रावधान	-288.33	-13.41	289.39	12.35	-	-8.79	1.45	7.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(-537.57)	(-80.29)	(637.83)	(-19.97)	(-)	(-33.32)	(13.96)	(19.36)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संचित खातों का अपलोखन																			
	उधारकर्तियों की सं.	-3	-	-23	-2	-28	-31	-21	-21	-2	-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(-12)	(-1)	(-9)	(-2)	(-24)	(-46)	(-42)	(-18)	(-10)	(-116)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	बकाया राशि	-1010.82	-	-1712.45	-399.14	-3122.42	-825.52	-220.09	-24.96	-37.34	-1107.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(-2,309.70)	(-22.41)	(-1,744.12)	(-30.02)	(-4,106.25)	(-579.50)	(-145.41)	(-341.16)	(-115.58)	(-1,181.65)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	संबंधित प्रावधान	-182.17	-	-303.90	-12.35	-498.42	-16.77	-9.37	-0.55	-	-26.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(-310.88)	(-4.28)	(-478.76)	(-)	(-793.92)	(-43.70)	(-6.81)	(13.65)	(-)	(-36.86)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	31 मार्च 2017 को कुल पुनर्संचना खाते (अंतिम स्थिति)																			
	उधारकर्तियों की सं.	28	-	68	4	100	81	25	128	19	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(62)	(3)	(74)	(3)	(142)	(186)	(46)	(123)	(11)	(366)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	बकाया राशि	7711.79	-	17030.68	82.59	24825.06	5640.65	204.06	2464.71	6.88	8316.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(14,186.03)	(219.43)	(14,045.42)	(236.23)	(28,687.11)	(1,746.93)	(444.99)	(2,148.54)	(31.56)	(4,372.02)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	संबंधित प्रावधान	327.32	-	360.74	0.94	689.01	21.94	10.65	113.98	-	146.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(779.15)	(13.64)	(411.89)	(0.94)	(1,205.62)	(49.49)	(18.24)	(104.21)	(-)	(171.95)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)



क्रम सं.	पुनर्संचना के प्रकार आस्टि वर्गीकरण विवरण	अन्य (3)					योग (1 + 2 + 3)				
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
1	1 अप्रैल 2016 को पुनर्संचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	301	520	2336	90	3247	549	569	2427	104	3649
		(676)	(1,273)	(1,351)	(463)	(3,763)	(1,112)	(1,370)	(1,505)	(476)	(4,463)
	बकाया राशि	23122.42	578.73	9210.75	146.17	33058.07	39178.48	1254.11	25470.39	424.81	66327.79
		(27,437.97)	(770.82)	(5,140.13)	(305.27)	(33,654.17)	(55,842.83)	(2,139.61)	(12,378.20)	(868.03)	(71,228.67)
	संबंधित प्रावधान	403.03	7.13	30.54	0.03	440.73	1232.45	38.97	603.00	0.98	1875.40
		(1,095.69)	(12.58)	(138.97)	(5.73)	(1,252.98)	(3,064.59)	(126.43)	(394.15)	(53.39)	(3,638.56)
2	चालू वित्त वर्ष के दौरान नई पुनर्संचना	7	130	63	5	205	7	133	75	5	220
		(105)	(252)	(73)	(19)	(449)	(129)	(257)	(86)	(20)	(492)
	बकाया राशि	11674.54	646.34	2029.00	6.35	14356.24	16873.75	720.53	2403.95	6.35	20004.58
		(6,497.48)	(65.63)	(284.39)	(102.82)	(6,950.32)	(8,320.96)	(80.63)	(706.75)	(195.54)	(9,303.88)
	संबंधित प्रावधान	22.76	1.05	25.60	-	49.41	23.32	1.57	28.58	-	53.47
		(15.54)	(4.62)	(3.25)	(0.18)	(23.59)	(-163.92)	(0.10)	(51.04)	(2.77)	(-110.01)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	2	2	6	-10	-	5	1	4	-10	-
		(13)	(1)	(4)	(-18)	(-)	(20)	(1)	(-2)	(-19)	(-)
	बकाया राशि	129.73	0.03	-129.45	-0.31	-	629.50	-96.41	-532.78	-0.31	-
		(373.49)	(-2.06)	(-322.69)	(-48.74)	(-)	(649.61)	(-16.67)	(-259.29)	(-373.65)	(-)
	संबंधित प्रावधान	0.96	-	-0.96	-	-	38.02	-0.42	-37.60	-	-
		(13.90)	-	(-10.94)	(-2.96)	(-)	(22.20)	(-0.03)	(10.11)	(-32.28)	(-)
4	ऐसे पुनर्संचित मानक अप्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा / अथवा जोखिम प्रधार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई हो उनको आगे वित्त वर्ष के पुनर्संचित मानक अप्रिम के रूप में दिखने की आवश्यकता नहीं है।	-19	-	-	-	-19	-86	-	-	-86	-
		(-51)	(-)	(-)	(-)	(-51)	(-146)	(-)	(-)	(-146)	(-)
	बकाया राशि	-1747.00	-	-	-	-1747.00	-3082.78	-	-	-3082.78	-
		(-3,065.11)	(-)	(-)	(-)	(-3,065.11)	(-4,646.12)	(-)	(-)	(-4,646.12)	(-)
	संबंधित प्रावधान	-20.25	-	-	-	-20.25	-41.19	-	-	-41.19	-
		(-117.18)	(-)	(-)	(-)	(-117.18)	(-160.82)	(-)	(-)	(-160.82)	(-)

Sl. No.	Type of Restructuring Asset Classification Particulars	Others (3)					TOTAL (1 + 2 + 3)				
		Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total
5	चाहू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेसन	-87	-222	290	19	-	-128	-227	323	32	-
	उधारकर्ताओं की सं.	(-203)	(-832)	(1,132)	(-97)	-	(-269)	(-842)	(1,195)	(-84)	-
	बकाया राशि	-3,698.54	1,631.73	1,752.57	314.24	-	-8,805.91	1,413.70	6,819.81	572.40	-
	संबंधित प्रावधान	(-5,583.94)	(291.06)	(5,332.77)	(-39.89)	(-)	(-15,685.24)	(-245.88)	(15,888.18)	(42.94)	(-)
	उधारकर्ताओं की सं.	-102.40	23.63	78.77	-	-	-399.52	11.67	375.50	12.35	-
	बकाया राशि	(-256.08)	(5.21)	(253.79)	(-2.92)	(-)	(-826.97)	(-61.12)	(910.99)	(-22.90)	(-)
	संबंधित प्रावधान	-104	-224	-705	-55	-1088	-138	-245	-643	-59	-1085
	उधारकर्ताओं की सं.	(-239)	(-174)	(-224)	(-277)	(914)	(-297)	(-217)	(-251)	(-289)	(-1,054)
	बकाया राशि	-6200.01	-142.69	-6,088.43	-435.90	-12867.01	-8,159.48	-373.73	-7891.51	-883.23	-17,307.95
	संबंधित प्रावधान	(-2,537.47)	(-546.72)	(-1,223.85)	(-173.28)	(-4,481.31)	(-5,426.67)	(-714.53)	(-3,309.13)	(-318.91)	(-9,769.24)
	उधारकर्ताओं की सं.	-61.83	-3.67	-40.87	-0.03	-24.66	-261.54	-12.99	-319.94	-12.39	-606.86
	बकाया राशि	(-348.84)	(-15.28)	(-354.53)	(-)	(-718.65)	(-703.40)	(-26.36)	(-819.66)	(-)	(-1,549.42)
7	31 मार्च 2017 को कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	100	206	1990	49	2345	209	231	2186	72	2698
	उधारकर्ताओं की सं.	(301)	(520)	(2,336)	(90)	(3,247)	(549)	(569)	(2,533)	(104)	(3,755)
	बकाया राशि	23,281.14	2,714.14	6,774.45	30.56	32,800.30	36,633.56	2,918.20	26,269.85	120.03	65,941.64
	संबंधित प्रावधान	(23,122.42)	(578.73)	(9,210.75)	(146.17)	(33,058.07)	(39,055.37)	(1,243.16)	(25,404.71)	(413.95)	(66,117.19)
	उधारकर्ताओं की सं.	242.27	28.14	174.82	-	445.23	591.54	38.79	649.55	0.94	1,280.82
	बकाया राशि	(403.03)	(7.13)	(30.54)	(0.03)	(440.73)	(1,231.68)	(39.02)	(546.63)	(0.98)	(1,818.31)

टिप्पणी:

- बकाया राशि में ₹ 1,922.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,731.40 करोड़) नए ऋण में शामिल ।
- ₹ 10,070.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,398.11 करोड़) की बंदी और ₹ 2,090.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,413.95 करोड़) की बकाया शेष में घटाई गयी राशि को बट्टे खाते में शामिल किया गया है।
- उच्च प्रावधान के लिए निकाली गई मानक आस्तियाँ कुल योग के कॉलम में शामिल नहीं की गयी है।



घ) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते और उनके संबंध में की गई वसूलियों का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) 1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
ii) योग : तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	शून्य	शून्य
iii) उप कुल योग (क)	शून्य	शून्य
iv) घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली (ख)	शून्य	शून्य
v) 31 मार्च तक अंतिम शेष (क - ख)	शून्य	शून्य

ङ) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) खातों की संख्या	38	46,399
ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	503.91	1,500.88
iii) समग्र प्रतिफल*	516.52	1,007.63
iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/ (हानि)#	12.61	(493.25)

*भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिफल के भाग स्वरूप प्राप्त प्रतिभूति रसीदों को निवल बही मूल्य/अंकित मूल्य कीमत से कम आंका गया है।

इसमें ₹0.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.52 करोड़) की राशि जो खर्च/ (ब्याज) खाता में जमा किया गया है, भी शामिल है।

च) प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई अनर्जक आस्तियों के कारण हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मामले में लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान	5.23	11.70

छ) क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया राशि	शून्य	शून्य
2) (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया राशि	शून्य	शून्य

ज) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की सं.	31	45,331
2) कुल बकाया राशि	938.63	2,168.54
3) प्राप्त की गई कुल प्रतिफल राशि	487.76	955.62

झ) मानक आस्तियों पर प्रावधान :

बैंक द्वारा मानक आस्तियों पर 31 मार्च 2017 को किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	13,678.24	11,188.59

ज) रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (खाते जो वर्तमान में यथास्थिति में हैं) का प्रकटन

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जिनपर एसडीआर लागू किए गए हैं	रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया		रिपोर्टिंग की तिथि को उन खातों के संदर्भ में जिनमें ऋण की इक्विटी में परिवर्तनियता बकाया है		रिपोर्टिंग की तिथि को उन खातों के संदर्भ में जिनमें ऋण की इक्विटी में परिवर्तनियता हो चुकी है	
	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत
7	4,281.47	शून्य	2,634.44	शून्य	1,647.03	शून्य

ट) वर्तमान ऋण की लचीली संरचना का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	लचीली संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ता की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण की राशि		भारित एक्सपोजर लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की औसत अवधि	
		स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना हेतु आवेदन से पूर्व (वर्ष)	लचीली संरचना हेतु आवेदन के बाद (वर्ष)
गत वर्ष	18	12,743.61	7,133.78	7.56 वर्ष	15.28 वर्ष
वर्तमान वित्तीय वर्ष (01.04.2016 से 31 मार्च 2017)	6	3,230.38	-	4.43 वर्ष	8.66 वर्ष

ठ) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन के संबंध में प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो वर्तमान में यथा-स्थिति अवधि में हैं)

(₹ करोड़ में)

ऐसे खातों की संख्या जिसके स्वामित्व परिवर्तन का निर्णय बैंक ने ले लिया है	रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया		रिपोर्टिंग की तिथि को उन खातों के संदर्भ में जिनमें ऋण की इक्विटी में परिवर्तनियता बकाया है / इक्विटी शेयर के प्लेज को लागू करना बकाया		रिपोर्टिंग की तिथि को उन खातों के संदर्भ में जिनमें ऋण की इक्विटी में परिवर्तनियता हो चुकी है / इक्विटी शेयर के प्लेज को लागू किया जा चुका है		रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया राशि जिसके स्वामित्व परिवर्तन का निर्णय नए शेयर जारी कर या प्रोमोटर के इक्विटी को बेचकर करने का निर्णय ले लिया गया है	
	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ड) कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन के संबंध में प्रकटीकरण (ऐसे खाते जो वर्तमान में यथा-स्थिति अवधि में हैं)

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋणों की संख्या जिनमें बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन का निर्णय लिया	रिपोर्टिंग की तिथि को बकाया राशि		अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत	
	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत	स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य


(छ) दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) के धारणीय पुनर्संरचना की योजना के संबंध में प्रकटीकरण, 31.03.2017 को

(₹ करोड़ में)

ऐसे खातों की संख्या जिसमें एस4ए के लिए आवेदन किया गया है	बकाया कुल राशि	बकाया राशि		प्रावधान रखा गया
		पार्ट ए में	पार्ट बी में	
स्टैंडर्ड खाता (3)	888.03	460.49	427.54	188.40
अनर्जक आस्तियां (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

18.5 व्यवसाय अनुपात:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	6.86%	7.27%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.39%	1.25%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.99%	1.92%
iv. आस्तियों पर आय*	0.41%	0.46%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ करोड़ में)	16.24	14.11
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	511.10	470.27

* (निवल आस्ति आधार पर)

18.6 आस्ति देयता प्रबंधन : 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 माह से 3 मास तक	3 मास से अधिक किंतु 6 मास तक	6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग	
जमाराशियाँ	24,697.20	38,065.95	25,980.69	42,544.33	59,304.31	62,862.54	1,77,889.82	3,50,586.32	4,57,630.51	2,04,524.39	6,00,665.33	20,44,751.39
	(32,254.69)	(31,224.38)	(18,964.10)	(26,786.00)		(91,505.07)	(1,42,701.27)	(3,29,433.98)	(4,06,204.54)	(1,59,306.39)	(4,92,342.02)	(17,30,722.44)
अग्रिम	88,220.08	11,902.42	10,735.41	24,246.23	26,857.91	33,575.28	25,110.19	34,647.16	5,73,668.96	1,30,137.82	6,11,976.92	15,71,078.38
	(81,248.64)	(10,318.80)	(8,806.38)	(17,512.55)		(89,543.50)	(51,218.22)	(66,019.16)	(6,65,803.22)	(1,75,530.67)	(2,97,699.28)	(14,63,700.42)
निवेश	0.11	2,467.87	3,533.97	9,420.60	20,303.63	23,030.42	65,709.50	47,135.41	1,00,108.55	1,09,188.92	3,85,090.65	7,65,989.63
	(0.70)	(2,178.40)	(13,283.39)	(7,983.89)		(23,234.47)	(16,584.72)	(24,030.26)	(1,00,763.66)	(63,387.22)	(3,24,205.07)	(5,75,651.78)
उधार-राशियाँ	5,668.32	87,457.90	8,903.41	18,284.39	23,097.43	24,040.18	37,371.23	13,169.80	20,431.03	23,590.79	55,679.18	3,17,693.66
	(2,111.64)	(1,08,418.22)	(3,753.41)	(16,751.13)		(55,712.26)	(25,352.81)	(17,601.19)	(31,350.48)	(16,574.17)	(45,719.28)	(3,23,344.59)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ#	80,272.16	1,328.79	3,953.60	8,351.58	9,722.94	9,768.94	12,432.10	32,353.90	63,954.10	67,312.64	40,758.58	3,30,209.33
	(78,671.10)	(1,495.59)	(990.85)	(7,330.95)		(30,412.64)	(19,118.60)	(20,894.87)	(59,109.37)	(65,118.64)	(47,100.93)	(3,30,243.54)
विदेशी मुद्रा देयताएँ	30,639.24	12,268.81	10,316.45	21,500.13	28,558.95	30,283.69	51,784.89	35,556.34	46,971.60	34,795.54	18,202.56	3,20,878.20
	(28,569.54)	(9,803.31)	(4,293.14)	(20,231.25)		(62,665.39)	(36,463.27)	(52,236.94)	(59,586.10)	(32,578.57)	(10,116.16)	(3,16,543.67)

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ एवं देयता, अग्रिम एवं निवेश (उनकी प्रावधान राशि को घटाकर) को दर्शाते हैं

\$ विदेशी मुद्रा देयताएँ, ऋण एवं जमा को दर्शाते हैं

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2016 के हैं)

18.7 एक्सपोजर

बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है, जिनके आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

क) स्थावर संपदा क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
I) प्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
i) आवासीय बंधक	2,51,386.94	2,06,765.40
ऋण जो आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा पूरी तरह सुरक्षित है यथा आवासीय संपत्ति प्राप्त है या प्राप्त होंगी या जो किराए पर है।	2,51,386.94	2,06,765.40
जिनमें से आवासीय इकाई खरीदने के लिए प्रति परिवार महानगरी क्षेत्रों (जनसंख्या > 10 लाख) में ₹ 28 लाख (पिछले वर्ष ₹ 25 लाख) तक एवं अन्य केंद्रों में ₹ 20 लाख (पिछले वर्ष ₹ 15 लाख) तक प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों में गिने जाएंगे	1,06,094.23	1,04,934.43
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम क्षेत्र, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि गैर-निधि आधारित सीमा भी ऋण जोखिम में शामिल है।	36,915.86	27,364.60
iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण-जोखिमों में निवेश :	214.69	877.99
क) आवासीय	214.69	877.99
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	-	-
II) अप्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण-जोखिम	70,703.93	28,656.55
कुल	3,59,221.42	2,63,664.54

ख) पूंजी बाजार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनितों में किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि विशेष रूप से कारपोरेट-ऋण में निवेश नहीं की गई है।	4,357.59	4,026.53
2) शेयरों (आइपीओ/ईएसओपी सहित)/बांडों/डिबेंचरों, तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनितों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर या बिना किसी जमानत के दिए गए अग्रिम	5.78	5.36
3) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों को अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंड की यूनितों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	15,236.39	9,339.52
4) किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनितों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनितों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है।	668.52	19.82
5) शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार-नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियां	0.17	333.40
6) संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान का हिस्सा पूरा करने के लिए कारपोरेटों को शेयरों/बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना जमानत के संस्वीकृत किए गए ऋण	410.19	516.87
7) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के सापेक्ष कम्पनियों को दिए गए पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8) शेयरों या परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक शेयर निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार.	शून्य	शून्य
9) शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	245.00	0.04
10) उद्यम-पूंजी निधियों से संबंधित ऋण-जोखिम (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों)	1,879.93	1,618.44
पूंजी बाजार में कुल ऋण-जोखिम	22,803.57	15,859.98



ग) जोखिम श्रेणीवार देशगत ऋण-जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के देशवार ऋण-जोखिम का वर्गीकरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है। यूएसए को छोड़कर किसी भी देश के लिए बैंक का देशगत जोखिम (निवल फंडेड) इसकी कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है इसलिए यूएसए हेतु देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	निवल निधिक एक्सपोजर		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	75,637.24	1.00	116.04	शून्य
बहुत कम	53,117.01	69,481.69	शून्य	78.60
कम	3,834.73	2,599.83	शून्य	शून्य
मध्यम कम	शून्य	55,125.36	शून्य	शून्य
मध्यम	10,844.54	5,942.22	शून्य	शून्य
अधिक	8,823.27	6,914.11	शून्य	शून्य
अत्यधिक	4,954.18	2,790.41	शून्य	शून्य
प्रतिबंधित	4,124.84	4,182.70	शून्य	शून्य
ऋण अयोग्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	1,61,335.81	1,47,037.32	116.04	78.60

घ) बैंक द्वारा सीमा से अधिक ली गई एकल उधारकर्ता तथा समूह उधारकर्ता ऋण-जोखिम :

बैंक ने एकल उधारकर्ता एवं समूह उधारकर्ता ऋण-जोखिम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित विवेकपूर्ण सीमा के भीतर ही लिया है।

ङ) अप्रतिभूत अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
क) बैंक के कुल रक्षित अग्रिम	2,82,886.13	3,15,779.06
i) इनमें से अग्रिमों की राशि, जो शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार आदि के रूप में मूर्त प्रतिभूतियों के प्रभार पर बकाया है।	277.42	2,183.46
ii) इन मूर्त प्रतिभूतियों का प्राक्कलित मूल्य (ऊपर(i) के अनुसार)	277.42	2,748.40

18.8 विविध :

क) अर्थदंडों का प्रकटीकरण

सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने मस्कट शाखा पर बैंकिंग विधि 2000 एवं सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के परिपत्रों का अनुपालन न करने हेतु ₹0.13 करोड़ (ओमान रियाल 8000) का अर्थदंड लगाया।

ख) एसजीएल फार्मों के उल्लंघन पर लगाए गए अर्थ दंड

बैंक पर एसजीएल फार्मों के उल्लंघन पर किसी तरह का अर्थदंड नहीं लगाया गया है।

18.9 लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

क) कर्मचारी - हितलाभ

i. नियत हितलाभ योजनाएं

1. कर्मचारी पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना :

कर्मचारी की पेंशन बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी की स्थिति को निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ-दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2016 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	59,151.41	51,616.04	7,332.14	7,182.35
वर्तमान सेवा लागत	715.64	843.64	151.08	128.33
ब्याज लागत	4,767.60	4,237.68	576.31	589.67
पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	1,200.00	-	-	-
बीमांकिक हानि (लाभ)	6,525.61	6,212.17	227.95	451.06
संदत्त लाभ	(2,175.52)	(1,511.96)	(996.46)	(1,019.27)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,359.84)	(2,246.16)	-	-
31 मार्च 2017 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	67,824.90	59,151.41	7,291.02	7,332.14
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2016 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	53,410.37	49,387.97	6,879.77	7,110.25
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	4,304.88	4,296.75	540.75	618.59
नियोक्ता द्वारा अंशदान	6,771.00	1,400.54	674.78	213.24
कर्मचारियों के अपेक्षित अंशदान	3.09	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(2,175.52)	(1,511.96)	(996.46)	(1,019.27)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	2,246.60	(162.93)	182.34	(43.04)
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	64,560.42	53,410.37	7,281.18	6,879.77
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2017 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	67,824.90	59,151.41	7,291.02	7,332.14
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	64,560.42	53,410.37	7,281.18	6,879.77
कमी/(अधिशेष)	3,264.48	5,741.04	9.84	452.37
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	3,264.48	5,741.04	9.84	452.37
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	67,824.90	59,151.41	7,291.02	7,332.14
आस्तियाँ	64,560.42	53,410.37	7,281.18	6,879.77
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	3,264.48	5,741.04	9.84	452.37
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई परिवर्तन देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/आस्तियाँ	3,264.48	5,741.04	9.84	452.37



(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	715.64	843.64	151.08	128.33
ब्याज लागत	4,767.60	4,237.68	576.31	589.67
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(4,304.88)	(4,296.75)	(540.75)	(618.59)
कर्मचारियों के अपेक्षित अंशदान	(3.09)	-	-	-
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (परिशोधित) अंतिम शेष	-	-	-	-
लेखे में ली गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) अंतिम शेष	1,200.00	-	-	-
वर्ष के दौरान शामिल निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	4,279.01	6,375.10	45.61	494.10
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	6,654.28	7,159.67	232.25	593.51
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	4,304.88	4,296.75	540.75	618.59
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	2,246.60	(162.93)	182.34	(43.04)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	6,551.48	4,133.82	723.09	575.55
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के अथ और इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	5,741.04	2,228.07	452.37	72.10
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	6,654.28	7,159.67	232.25	593.51
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,359.84)	(2,246.16)	-	-
अन्य प्रावधानों के नामे	-	-	-	-
आरक्षित में मान्य	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(6,771.00)	(1,400.54)	(674.78)	(213.24)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	3,264.48	5,741.04	9.84	452.37

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना- आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि		ग्रेच्युटी निधि	
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	33.02%		24.96%	
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	26.44%		24.99%	
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाजार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	34.68%		21.59%	
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	--		23.30%	
अन्य	5.86%		5.16%	
योग	100.00%		100.00%	

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन ;

विवरण	पेंशन योजनाएं		ग्रेच्युटी योजनाएं	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.45%	8.06%	7.27%	7.86%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.45%	8.06%	7.27%	7.86%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

योजना में अधिशेष / कमी

ग्रेच्युटी योजना

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	7,050.57	6,838.07	7,182.35	7,332.14	7,291.02
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6,549.31	7,090.59	7,110.25	6,879.77	7,281.18
अंतर	501.26	(252.52)	72.10	452.37	9.84
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	200.00	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	301.26	(252.52)	72.10	452.37	9.84

एक्सपिरियंस समायोजन

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि :	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष
योजना देयता (लाभ)/हानि	459.56	210.19	(24.69)	326.09	10.62
योजना आस्ति लाभ/(हानि)	62.46	23.87	106.04	(43.09)	182.34

योजना में अधिशेष / कमी

पेंशन

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	39,564.21	45,236.99	51,616.04	59,151.41	67,824.90
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	35,017.57	42,277.01	49,387.97	53,410.37	64,560.42
अंतर	4,546.64	2,959.98	2,228.07	5,741.04	3,264.48
लेखे में नहीं ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई ट्रांजिशन देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	4,546.64	2,959.98	2,228.07	5,741.04	3,264.48

एक्सपिरियंस समायोजन

योजना देयता पर (लाभ)/हानि	345.90	7,709.67	1,732.86	5,502.35	3,007.59
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	419.58	335.40	2,285.87	(162.93)	2,246.60

भावी वेतन बढ़ोतरी का पूर्वानुमान, बीमाकिक मूल्यन का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है. इस प्रकार के अनुमान बहुत लम्बी अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव/सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभव जन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि बहुत लम्बी अवधि के दौरान सतत उच्च वेतन बढ़ोतरी करते रहना संभव नहीं है लेखा-परीक्षकों ने इसे स्वीकार किया है।



2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमाकिक मूल्यांकन प्रतिबद्धता नहीं दिखाता, अतः वित्तीय वर्ष 2016-17 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमाकिक द्वारा किए गए बीमाकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को निम्न तालिका के माध्यम से दिखाया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2016 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	25,159.70	22,498.51
वर्तमान सेवा लागत	811.36	1,632.22
ब्याज लागत	2,177.60	2,026.72
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,031.10	1,983.67
बीमाकिक हानि / (लाभ)	-	0.01
प्रदत्त लाभ	(3,257.80)	(2,981.43)
31 मार्च 2017 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	25,921.96	25,159.70
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2016 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	25,985.32	23,197.82
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,177.60	2,026.72
अंशदान	1,842.46	3,615.89
प्रदत्त हितलाभ	(3,257.80)	(2,981.43)
योजना आस्तियों पर बीमाकिक लाभ / (हानि)	167.65	126.32
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	26,915.23	25,985.32
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2017 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	25,921.96	25,159.70
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	26,915.23	25,985.32
कमी/(अधिशेष)	(993.27)	(825.62)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	993.27	825.62
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	811.36	1,632.22
ब्याज लागत	2,177.60	2,026.72
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,177.60)	(2,026.72)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है।	811.36	1,632.22
तुलन-पत्र में ली गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	811.36	1,632.22
नियोक्ता का अंशदान	(811.36)	(1,632.22)
तुलन-पत्र में ली गई निवल देयता / (आस्ति)	-	-

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	40.56%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	21.16%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाजार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बॉण्ड	33.35%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ	--
अन्य	4.93%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन ;

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टादर	7.27%	7.86%
निर्धारित प्रतिलाभ	8.80%	8.75%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
मृत्यु दर सारणी	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर एक निर्धारित प्रतिलाभ दर लागू होती है जो निम्न से कम नहीं हो सकती।

(क) औसत मानक दर से 1.5 प्रतिशत से अधिक (ब्याद में से एक चौथाई प्रतिशत की कमी या वृद्धि के साथ सामयोजित) पूर्ववर्ती वर्ष में बैंक द्वारा घोषित बारह माह के नए मियादी जमा पर (पिछले वर्ष को 31 मार्च को समाप्त)।

(ख) कार्यकारी समिति के अनुमोदन से 3 प्रतिशत वार्षिक।

ii. नियत अंशदान योजना

बैंक ने 01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में नियुक्त हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नई नियत अंशदान पेंशन योजना कार्यान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन एनपीएस न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकार के देखरेख में किया जाएगा। एनपीएस के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 218.15 करोड़ का अंशदान दिया है (पिछले वर्ष ₹ 191.18 करोड़ था)।

iii. दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ (अनिधिक दायित्व)

(क) संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
हित लाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	4,375.49	3,756.50
चालू सेवा लागत	212.74	230.94
ब्याज लागत	343.91	308.41
बीमांकिक हानियां (लाभ)	397.82	590.64
प्रदत्त लाभ	(575.86)	(511.00)
31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार अभिनिर्धारित निवल लागत	4,754.10	4,375.49
लाभ एवं हानि खाते में अभिनिर्धारित निवल लागत		
चालू सेवा लागत	212.74	230.94
ब्याज लागत	343.91	308.41



(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीमांकिक हानियां (लाभ)	397.82	590.64
हित लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 - "कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" में शामिल	954.47	1,129.99
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	4,375.49	3,756.50
यथा उपर्युक्त व्यय	954.47	1,129.99
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(575.86)	(511.00)
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल देयता / (आस्ति)	4,754.10	4,375.49

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	7.86%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

(ख) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अन्य दीर्घ कालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹ 46.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (-) 7.62 करोड़) की राशि का (प्रतिलेखन)/प्रावधान किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में कर्मचारियों को 'भुगतान एवं उनके प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा रियायत(नकदीकरण/उपयोग)	15.10	10.00
2	रुग्ण अवकाश	-	-
3	रजत जयंती अवार्ड	30.64	(7.79)
4	अधिवर्षिता पर पुनर्निपटान व्यय	(0.25)	(0.54)
5	रुग्ण अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	1.45	(9.29)
योग		46.94	(7.62)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	7.86%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	आइएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

ख) खंड सूचना

I) खंड निर्धारण

I. प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है :-

- राजकोष
- कारपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक व्यवस्था नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उसमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल-खंडों को निम्नवत पुनर्समूहित किया गया है :

i) राजकोष -

राजकोष खंड में समस्त निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। राजकोष खंड की आय मूलतः व्यापार परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ/हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय पर आधारित है।

ii) कारपोरेट/थोक बैंकिंग -

कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण- गतिविधियां सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेन-देन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

iii) खुदरा बैंकिंग-

खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएं आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित- वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियां शामिल हैं। एजेसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

iv) अन्य बैंकिंग व्यवसाय-

जो खंड उपर्युक्त (क) से (ग) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

II) द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

- i) देशीय परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएं/कार्यालय
- ii) विदेशी परिचालन - भारत से बाहर परिचालित शाखाएं/कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयां

III) अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग संसाधन-संग्रहण की प्राथमिक इकाई है। कोषीय एवं कारपोरेट/ थोक बैंकिंग एवं कोष खंड खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त करते हैं। बाजार से सम्बद्ध निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एमआरएफटीपी) शुरू किया गया है, जिसके अधीन निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक पृथक इकाई सृजित की गई है। निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) उन निधियों को आनुमानिक रूप से खरीदता है, जो व्यवसाय इकाइयों में जमा राशियों या उधार राशियों के रूप में उद्धृत होती हैं और आस्ति सृजन करने में लगी व्यवसाय इकाइयों को इन निधियों का आनुमानिक विक्रय करता है।



IV) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आबंटित किए गए हैं। बैंक के पास ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं जिन्हें किसी खंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें अनाबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2. खंड सूचना

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	राजकोष	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	रिटेल बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
राजस्व #	63,551.80	60,676.63	84,411.17	-	2,08,639.60
	(49,572.24)	(63,983.80)	(76,531.65)	(-)	(1,90,087.69)
अनाबंटित राजस्व #					2339.57
					(1,755.98)
कुल राजस्व					2,10,979.17
					(1,91,843.67)
परिणाम #	14,043.57	-18,192.09	20,864.26	-	16,715.74
	(8,246.77)	(-11,466.70)	(18,967.10)	(-)	(15,747.17)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल #					-1860.58
					(-1,973.11)
कर पूर्व लाभ #					14,855.16
					(13,774.06)
कर #					4,371.06
					(3,823.41)
असाधारण लाभ #					शून्य
					शून्य
निवल लाभ #					10,484.10
					(9,950.65)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियां *	8,04,449.56	9,31,293.68	9,54,597.65	-	26,90,340.89
	(6,05,816.23)	(8,74,603.31)	(8,57,750.16)	(-)	(23,38,169.70)
अनाबंटित आस्तियां *					15,625.41
					(19,447.84)
कुल आस्तियां *					27,05,966.30
					(23,57,617.54)
खंड देयताएं *	6,08,747.16	8,44,527.74	9,97,848.30	-	24,51,123.20
	(3,91,330.86)	(7,96,500.56)	(965,368.29)	(-)	(21,53,199.71)
अनाबंटित देयताएं *					66,557.04
					(60,143.40)
कुल देयताएं *					25,17,680.24
					(22,13,343.11)

(कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व #	2,00,296.31	1,80,078.66	10,682.86	11,765.01	2,10,979.17	1,91,843.67
निवल लाभ #	7637.52	5,936.62	2846.58	4,014.03	10,484.10	9,950.65
आस्तियां *	23,45,534.83	20,29,344.28	3,60,431.47	3,28,273.26	27,05,966.30	23,57,617.54
देयताएं*	21,57,248.77	18,85,069.85	3,60,431.47	3,28,273.26	25,17,680.24	22,13,343.11

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

* 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार

ग) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण**1 संबंधित पक्ष****क. अनुषंगियाँ****i. देशी बैंकिंग अनुषंगियाँ (01 अप्रैल 2017 से समामेलन)**

- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- स्टेट बैंक ऑफ पटियाल
- स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

ii. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

- एसबीआई (मॉरीशस) लि.
- एसबीआई कनाडा बैंक
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
- कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को
- पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
- नेपाल एसबीआई बैंक लि.
- बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड

iii. देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

- एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
- एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
- एसबीआई म्यूचुअल फंडट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- एसबीआई कैप सिक्यूरिटीज लि.
- एसबीआई कैप वैचर्स लि.
- एसबीआई कैप ट्रस्टी कं. लि.
- एसबीआई काडर्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
- एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
- एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
- एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
- एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्यूरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.
- एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
- एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

- एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
- एसबीआई फाउंडेशन
- एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशंस प्रा लि

iv. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

- एसबीआई कैप (यूके) लि.
- एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.
- एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेर्विकोस लिमिटेड
- नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लि.

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

- जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
- सी-एजटेकनोलॉजीज लि.
- मैकवैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
- मैकवैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.
- एसबीआई मैकवैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
- एसबीआई मैकवैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.
- ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
- ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ग. सहयोगी**i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

- आंध्रप्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
- अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
- छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
- इलाकाई देहाती बैंक
- मेघालय ग्रामीण बैंक
- लंगपी देहांगी रूरल बैंक
- मध्यांचल ग्रामीण बैंक
- मिजोरम रूरल बैंक
- नागालैंड रूरल बैंक
- पूर्वांचल बैंक



11. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12. उत्कल ग्रामीण बैंक
13. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
14. वनांचल ग्रामीण बैंक
15. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
16. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
17. कावेरी ग्रामीण बैंक
18. मालवा ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष
2. श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) (31.07.2016 तक)
3. श्री बी. श्रीराम प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)
4. श्री रजनीश कुमार प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)
5. श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम)
6. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) (09.08.2016 से)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए

मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार "सरकार-नियंत्रित उद्यम" के रूप में संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. लेनदेन एवं शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
31 मार्च को बकाया			
उधार राशि	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
जमा राशि	14.91 (39.07)	शून्य (शून्य)	14.91 (39.07)
अन्य देयताएँ	शून्य	शून्य	शून्य
बैंकों में शेष	शून्य	शून्य	शून्य
अग्रिम	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
निवेश	81.15 (41.55)	शून्य (शून्य)	81.15 (41.55)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
जमा राशि	29.17 (51.95)	शून्य (शून्य)	29.17 (51.95)
अन्य देयताएँ	शून्य (0.02)	शून्य (शून्य)	शून्य (0.02)

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
बैंकों में शेष	शून्य (2.12)	शून्य (शून्य)	शून्य (2.12)
अग्रिम	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
निवेश	81.15 (41.55)	शून्य (शून्य)	81.15 (41.55)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान			
ब्याज आय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
ब्याज खर्च	0.18 (1.86)	शून्य (शून्य)	0.18 (1.86)
लाभांश से अर्जित आय	33.83 (27.32)	शून्य (शून्य)	33.83 (27.32)
अन्य आय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
अन्य व्यय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
भू-भाग/भवन और अन्य आस्तियाँ की बिक्री पर लाभ/(हानि)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
प्रबंधन संविदाएँ	शून्य (शून्य)	1.39 (1.58)	1.39 (1.58)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार का लेनदेन अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

घ परिचालन पट्टों के लिए देयताएं

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसर का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है :

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो बैंक के विकल्प पर नवीकरण योग्य है।

i) गैर-निरस्तीकरण योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष से अधिक नहीं	282.78	277.70
1 वर्ष से अधिक और 5 वर्षों से कम	1,145.19	1,165.78
5 वर्षों से अधिक	303.09	311.17
योग*	1,731.06	1,754.65



ii) परिचालन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि खाते के लिए अभिनर्धारित की गई राशि ₹2,582.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,110.27 करोड़) है।

ड) प्रति शेयर उपाजन :

बैंक ने लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपाजन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर के पश्चात निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर ठमूलआयड की गणना की गई है। वर्ष के दौरान कोई भी कम किए गए मूल्य के संभाव्य इक्विटी शेयर बकाया नहीं हैं।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए	7,76,27,77,042	746,57,30,920
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	21,07,27,400	29,70,46,122
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	7,97,35,04,442	7,76,27,77,042
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	7,80,37,67,851	7,66,55,68,627
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	780,37,67,851	7,66,55,68,627
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	10,484.10	9,950.65
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	13.43	12.98
प्रति शेयर मूल आय (₹)	13.43	12.98
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	1	1
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)		

च) आय पर कर का लेखांकन

क. वर्तमान कर :-

वर्तमान कर के रूप बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹4,165.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4,003.27 करोड़) नामे किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है और विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान कर में उपयुक्त कर छूट ली गई है।

ख. आस्थगित कर :-

वर्ष के दौरान आस्थगित कर बाबत लाभ और हानि खाते में ₹337.78 करोड़ नामे किया गया। (पिछले वर्ष ₹245.47 करोड़ नामे किया गया)

बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर देयता (डीटीएल) ₹2,561.87 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीएल ₹2,212.44 करोड़) रही, जिसमें अन्य देयताएं एवं प्रावधान के अंतर्गत शामिल की गई ₹2,989.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,684.96 करोड़) और अन्य आस्तियों में शामिल की गई ₹427.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹472.52 करोड़) की आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) शामिल हैं। डीटीए और डीटीएल की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	2,332.20	1,605.78
प्रावधान/निर्दिष्ट पुनर्संचित मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान/आरबीआई के निर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंड के तहत मानक आस्तियाँ	2,564.22	1,791.21
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान/ वीआरएस/ अन्य देयताएं	724.65	238.29
विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि पर डीटीए	-	262.27
बट्टा का परिशोधन	2.26	11.79
विदेशी कार्यालयों के कारण	427.91	472.52
योग	6051.24	4,381.86

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	219.73	174.61
ब्याज संचित किन्तु प्रतिभूतियों पर देय नहीं *	4,305.62	3,476.39
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अधीन विशेष रिजर्व निर्मित	3,522.29	2,941.40
विदेशी कार्यालयों के कारण	2.19	1.90
विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व	563.28	-
योग	8,613.11	6,594.30
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/(देयताएँ)	(2,561.87)	(2,212.44)

छ) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश

संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों के निवेशों में ₹78.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹38.43 करोड़) का बैंक का हिस्सा शामिल है :

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता%
1	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	9.44 (9.44)	भारत	40%
2	सी-एजटेक्नोलॉजीज लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
3	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
4	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	18.57 (18.57)	भारत	45%
5	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
6	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लि.#	1.07 (0.93)	बरमुडा	45%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
8	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%
9	जियो पेमेंट बैंक	39.6 (शून्य)	भारत	30%

#एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रखे गए शेयर के आधार पर कम्पनी ने 31 मार्च 2016 तक किए गए निवेश पर 100% प्रावधान किया है,

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)



मानक एएस 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और वायदों की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूँजी और आरक्षितियाँ	230.72	174.57
जमा-राशियाँ	-	-
उधार-राशियाँ	9.93	5.31
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	118.74	101.07
योग	359.39	280.95
आस्तियाँ		
भारतीय रिजर्व बैंक में नकद और जमा-राशियाँ	0.02	0.01
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	139.84	114.50
निवेश	54.65	9.00
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	44.68	31.02
अन्य आस्तियाँ	120.20	126.42
योग	359.39	280.95
पूँजी वायदे	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	1.52	6.04
आय		
अर्जित ब्याज	9.14	6.75
अन्य आय	366.32	328.38
योग	375.46	335.13
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.71	0.96
परिचालन व्यय	299.69	260.30
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	23.91	22.18
योग	324.31	283.44
लाभ	51.15	51.69

जियो पेमेंट बैंक लि को 10 नवंबर 2016 को संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया जिसमें एसबीआई एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज लि संयुक्त रूप से साझेदार हैं और उनकी शेयरधारिता क्रमशः 30 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत है। एसबीआई ने संयुक्त उद्यम में 31.03.2017 तक ₹ 39.60 करोड़ की पूँजी लगाई है।

ज) आस्तियों की अपसामान्यता

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की अपसामान्यता" लागू होती हो।

झ) आकस्मिक देयताओं का विवरण (लेखा मानक 29)

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा। बैंक विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/जोखिम निधि पर देयताएँ	यह मद अंशतः चुकता निवेशों की चुकाने हेतु शेष राशि के प्रति देयता दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएँ भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य कार्य-व्यवसाय के भाग स्वरूप विदेशी विनिमय संविदाएँ करता है जिसमें विदेशी मुद्रा को भविष्य में पूर्व-निर्धारित मूल्य पर खरीदने या बेचने का वायदा किया जाता है। वायदा विनिमय संविदाओं में विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए वायदा किया जाता है। आनुमानिक राशियों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेनों के संबंध में, बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसके फलस्वरूप बकाया लेनदेनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार, अधिकांश सकल आनुमानिक राशि इस संविभाग की मूल राशि है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम है।
4	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने निजी खाते और ग्राहकों के लिए अंतर-बैंक सहभागिता से मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। मुद्रा विनिमय पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/पूंजी को एक मुद्रा में से दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करने के नकदी प्रवाहों की प्रतिबद्धताएँ हैं। आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की गई आनुमानिक राशि को संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी आनुमानिक राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि खाता के तहत बैंक की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यता, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ञ) आकस्मिक देयताओं के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	401.10	443.58
वर्ष के दौरान वृद्धि	98.27	190.90
वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई राशि	2.10	6.00
उपयोग में नहीं लाई गई राशि जिसे वर्ष के दौरान प्रतिवर्तित किया गया	73.93	227.38
अंतिम शेष	423.34	401.10



18.10 अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ जिन्हें लाभ एवं हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- चालू कर	4,165.83	4,003.27
- आस्थगित कर	337.78	245.47
- आय कर / फ्रिज लाभ कर का प्रतिलेखन	-132.54	-425.34
- अन्य कर	-	-
निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	298.39	149.56
प्रतिचक्रीय बफर से आहरण	-	-1,149.00
अनार्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	32,905.63	29,880.77
पूनर्विन्यासित आस्तियों के लिए प्रावधान	-658.94	-1,747.63
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2,499.64	2,157.55
अन्य प्रावधान	948.00	192.50
योग	40,363.79	33,307.15

2. अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	25.14	25.14
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	-	-
इतिशेष	25.14	25.14

3. आरक्षित निधि से निकासी

वर्ष के दौरान, आरक्षित निधि से कोई निकासी नहीं किया गया।

4. शिकायतों की स्थिति :

क. ग्राहक शिकायतें (एटीएम लेनदेन से संबंधित शिकायतों सहित)

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	15,335	30,896
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	14,68,471	12,22,250
वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	14,37,524	12,37,811
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	46,282	15,335

एक कार्यदिवस में निपटान किए गए शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	-	15
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	42	16
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	39	31
वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	3	-

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के मूलधन या ब्याज के विलम्बित भुगतान के कारण दायर किए गए मामलों की कोई सूचना नहीं है।

6. अनुषंगियों को जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

बैंक ने अपनी अनुषंगियों की ओर से चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं. 31 मार्च 2017 को चुकौती आश्वासन पत्रों की कोई राशि बकाया नहीं है। (पिछला वर्ष ₹ शून्य)

7. प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर) :

31 मार्च 2017 को बैंक के सकल अर्नजक आस्तियाँ अनुपात हेतु 65.95 % प्रावधान किया गया है।(पिछला वर्ष 60.69%)

8. बैंकाश्योरेंश व्यवसाय के संदर्भ में शुल्क/ मानदेय

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	491.55	379.94
एसबीआई जनरल इंश्योरेंसकं. लि.	107.20	82.25
मनु लाइफ फाइनेंसियल लि. एवं एनटीयूसी	0.86	1.65
टोकियो मैरिन, एसीई	0.05	0.16
यूनिट ट्रस्ट	0.04	0
एआईए सिंगापुर	0.14	0
योग	599.84	464.00

9. जमाराशियों / अग्रिमों तथा जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

क. जमाराशियों का केंद्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस बृहत्तम जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	1,24,740.17	1,13,783.78
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बृहत्तम जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	6.10%	6.57%

ख. अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस बृहत्तम उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम	1,82,031.00	2,34,099.47
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बृहत्तम उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत	11.19%	15.51%


ग. ऋण - जोखिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस बृहत्तम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम	3,98,050	3,51,117.08
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल ऋण 3% जोखिम में बीस बृहत्तम उधारकर्ताओं/ग्राहकों के ऋण - जोखिम का प्रतिशत	14.67%	14.93%

घ. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष चार अनर्जक आस्ति खातों के कुल ऋण - जोखिम	21,901.53	26,863.55

10. क्षेत्र-वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पिछला वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	1,30,231.77	7,354.64	5.65	1,26,455.87	9,839.11	7.78
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	78,050.67	11,536.03	14.78	91,144.42	11,602.30	12.73
3	सेवाएं	53,723.75	2,378.55	4.43	32,341.80	1,747.36	5.40
4	वैयक्तिक ऋण	89,888.59	972.64	1.08	89,625.80	1,033.79	1.15
	उप-योग (क)	3,51,894.78	22,241.86	6.32	3,39,567.89	24,222.56	7.13
ख	गैर-प्राथमिकता प्राप्त						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	2,692.79	99.26	3.69	5,644.32	496.94	8.80
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	7,89,932.27	82,086.39	10.39	7,22,102.72	67,674.75	9.37
3	सेवाएं	1,70,032.85	6,704.73	3.94	1,90,365.38	4,355.62	2.29
4	वैयक्तिक ऋण	3,12,724.85	1,210.75	0.39	2,51,819.51	1,422.93	0.57
	उप-योग (ख)	12,75,382.76	90,101.13	7.06	11,69,931.93	73,950.24	6.32
ग	योग(क)+(ख)	16,27,277.54	1,12,342.99	6.90	15,09,499.82	98,172.80	6.50

11. विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	3,60,431.47	3,28,273.26
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	6,794.16	7,785.13
3	कुल राजस्व	10,682.86	11,765.01

12. तुलन-पत्र में शामिल न होने वाली प्रायोजित विशेष प्रयोजन वाली संस्थाएं (एसपीवी)

प्रायोजित विशेष प्रयोजन वाली संस्था (एसपीवी) का नाम		
	देशी	विदेशी
चालू वर्ष	शून्य	शून्य
पिछला वर्ष	शून्य	शून्य

13. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी के बही खातों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	तुलन पत्र की तिथि को एमएमआर के अनुपालन में बैंक द्वारा रखा गया कुल जोखिम की रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) तुलन पत्र से इतर जोखिम				
	i) प्रथम हानि				
	ii) अन्य				
	ख) तुलन पत्र जोखिम				
	i) प्रथम हानि				
	ii) अन्य				
4.	एमएमआर से इतर प्रतिभूतिकरण लेन 3% देन से संबंधित जोखिम की रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) तुलन पत्र से इतर जोखिम				
	i) स्व-आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ii) इतर पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ख) तुलन पत्र जोखिम				
	i) स्व-आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ii) इतर पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				



14 . ऋण चूक स्वेप

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
1.	वर्ष के दौरान हुए लेन-देन की संख्या क) उनमें से जो भौतिक रूप से निपटाए गए/जाएंगे ख) नकद निपटान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय की गई संरक्षण की मात्रा क) उनमें से जो भौतिक रूप से निपटाए गए/ जाएंगे ख) नकद निपटान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या जिनमें क्रेडिट इवेंट भुगतान प्राप्त/प्रदत्त किए गए क) वर्तमान वर्ष से संबंधित ख) पिछले वर्ष से संबंधित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	पिछले वर्ष इसी तारीख से सीडीएस लेनदेन से सम्बंधित निवल आय / लाभ (खर्च/हानि) क) प्रीमियम अदा/ प्राप्त किया गया ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान : *अदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल) *प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य का निवल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	31 मार्च तक बकाया लेनदेन क) लेनदेनों की संख्या ख) संरक्षण की मात्रा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	वर्ष के दौरान लेनदेन की उच्चतम बकाया क) लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल के अनुसार) ख) संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल के अनुसार)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

15. अंतरा-समूह एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i.	अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	23,296.28	9,251.34
ii.	शीर्ष बीस अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	23,296.28	9,251.34
iii.	बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के संबंध में कुल एक्सपोजर की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	0.86	0.39
iv.	अंतरा-समूह एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन और उस पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण	शून्य	शून्य

16. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएफ) में अंतरित दावा न की गई देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईएफ को अंतरित राशियों का अथशेष	880.92	757.14
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएफ को अंतरित राशियाँ	201.64	123.78
घटाएं : डीईएफ द्वारा दावों की प्रतिपूर्ति की गई राशियाँ	1.14	शून्य
डीईएफ को अंतरित राशियों का इति शेष	1,081.42	880.92

17. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी संख्या बीपीबीसी 85/21.06.200 /2013-14 दिनांकित 15 जनवरी 2014 के अनुसार, बैंक ने पूंजी एवं प्रावधान आवश्यकता हेतु विदेशी मुद्रा जोखिम गैर-बचाव व्यवस्था के लिए ₹ 110.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 161.27 करोड़) की गयी है। मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम एवं वृद्धिशील पूंजी के रूप में ₹ 246.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 237.62 करोड़) की व्यवस्था की गयी है।

18. चलनिधि सुरक्षा अनुपात :

क. एकल एलसीआर

चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ अपनाया गया है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर रखें जिन्हें नकदी में परिवर्तित कर अत्यधिक तरलता तनाव परिदृश्य में 30 कैलेन्डर दिन की समयावधि हेतु तरलता आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

एलसीआर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है-

‘उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)’

अगले 30 कैलेन्डर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्गमन

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्तायुक्त आस्तियाँ शामिल हैं जिनकी बिक्री त्वरित की जा सकती है या तनाव के परिदृश्य में निधि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो श्रेणियों की आस्तियों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात् स्तर 1 और स्तर 2 आस्तियाँ। स्तर 1 आस्तियाँ 0% हेयरकट मार्जिन वाली हैं जबकि स्तर 2 एवं 2बी आस्तियाँ 15%, 50% हेयरकट वाली हैं। कुल शुद्ध नगदी बहिर्गमन कुल अनुमानित नकद बहिर्गमन से कुल अनुमानित नकद अंतर्गमन के अगले 30 कैलेन्डर दिनों से कम है। कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह की गणना विभिन्न वर्गों के या प्रकारों के देयताओं के बकाया शेषों तथा तुलन पत्र से हतर दरों की प्रतिबद्धताओं जिसके आधार पर इनका निर्धारण किया जाना है, उनको गुणा करके निकाला जाता है। कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह की गणना विभिन्न वर्गों के संविदागत प्राप्यों को अपेक्षित दरों पर गुणा करके की जाती है जिसका सकल कैप 75% कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह का होता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण : पूंजी

चलनिधि सुरक्षा अनुपात

भारतीय स्टेट बैंक

(₹ करोड़ में)

एलसीआर घटक	मार्च 2017 तिमाही के समाप्ति पर**		31 दिसंबर 2016 तिमाही के समाप्ति पर		30 सितंबर 2016 तिमाही के समाप्ति पर		30 जून 2016 तिमाही के समाप्ति पर		31 मार्च 2016 तिमाही के समाप्ति पर	
	कुल अभांरित मूल्य (औसत) नोट 1	कुल भांरित मूल्य (औसत) नोट 1	कुल अभांरित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भांरित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल अभांरित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भांरित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल अभांरित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भांरित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल अभांरित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भांरित मूल्य (औसत) नोट 2
1 उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		510,555		449,193		366,350		301,395		250,927
नकदी बहिर्गमन										
2 फुटकर जमाराशियाँ और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त										
(i) स्थिर जमाराशियाँ	190,776	9,539	191,139	9,557	176,287	8,814	170,104	8,505	161,391	8,070
(ii) कम स्थिर जमाराशियाँ	1,327,592	132,759	1,289,130	128,913	1,171,315	117,132	1,145,641	114,564	1,126,491	112,649
3 अप्रतिभूत थोक निधायन जिनमें से :										
(i) परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	0	0	0	0	0	0	61	15	0	0
(ii) गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	470,093	282,965	449,400	269,807	417,604	244,737	373,748	229,660	372,702	227,461
(iii) अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 प्रतिभूत थोक निधायन	3,687	0	29,241	0	8,887	1	16,673	319	59,444	29
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से										
(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	126,314	126,314	136,539	136,539	125,334	125,334	91,975	91,975	76,881	76,881



भारतीय स्टेट बैंक

(₹ करोड़ में)

एलसीआर घटक	मार्च 2017 तिमाही के समाप्ति पर**		31 दिसंबर 2016 तिमाही के समाप्ति पर		30 सितंबर 2016 तिमाही के समाप्ति पर		30 जून 2016 तिमाही के समाप्ति पर		31 मार्च 2016 तिमाही के समाप्ति पर	
	कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 1	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 1	कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल अभारित मूल्य (औसत) नोट 2	कुल भारित मूल्य (औसत) नोट 2
(ii) उधार उत्पादों पर निधायन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	78,531	10,964	69,000	9,763	75,927	10,139	239,603	40,260	208,731	29,801
6 अन्य संविदागत निधायन दायित्व	22,157	22,157	20,903	20,903	19,419	19,419	16,243	16,243	14,283	14,283
7 अन्य आकस्मिक निधायन दायित्व	465,170	16,683	476,156	17,127	477,622	17,456	338,840	10,175	365,189	15,889
8 कुल नकदी बहिर्गमन	2,684,321	601,381	2,661,509	592,609	2,472,395	543,031	2,392,888	511,716	2,385,113	485,064
नकदी अंतर्वाह										
9 प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहरणार्थ प्रतिवर्ती रेपो)	50,698	0	15,254	0	5,437	0	2,942	0	312	0
10 पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	235,209	213,985	237,226	220,232	176,384	161,597	149,177	132,804	141,656	123,564
11 अन्य नकदी अंतर्वाह	40,317	32,989	50,040	40,192	38,958	31,484	38,076	31,634	41,950	32,874
12 कुल नकदी अंतर्वाह	326,224	246,974	302,520	260,424	220,779	193,081	190,194	164,438	183,918	156,437
13 कुल एचक्यूएलए		510,555		449,193		366,350		301,395		250,927
14 कुल निवल नकदी बहिर्गमन		354,407		332,185		349,951		347,278		328,627
15 चलनिधि सुरक्षा अनुपात (%)		144.06%		135.22%		104.69%		86.79%		76.36%

नोट 1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एलसीआर का प्रकटन 31 मार्च 2017 से दैनिक पर्यवेक्षण के सामान्य औसत पर आधारित होना चाहिए। इसको देखते हुए बैंक ने 1 जनवरी 2017 से एलसीआर की गणना दैनिक आधार पर 64 आँकड़ा बिंदुओं के आधार पर करना प्रारंभ किया है।

नोट 2 उपरोक्त आँकड़े संबंधित तिमाही के मासिक पर्यवेक्षण के सामान्य औसत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ऊपर दर्शायी गई एलसीआर स्थितियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 80% से अधिक है। दैनिक औसत के आधार पर बैंक का एलसीआर 144.06% आता है जो पिछले तीन महीने के औसत है। (तिमाही 4 वित्तीय वर्ष 16-17) तिमाही 4 वित्तीय वर्ष 16-17 का औसत एचक्यूएलए ₹ 5,10,555 करोड़ था जिसमें लेवल 1 की आस्तियां कुल एचक्यूएलए तथा नकदी, सीआरआर आधिक्य एवं विदेशी राष्ट्रों द्वारा जारी 93.49% थी। सरकारी प्रतिभूति कुल लेवल 1 आस्ति का 96.62% है। लेवल 2 ए आस्ति कुल एचक्यूएलए का 5.33% है और लेवल 2वी की आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 1.18% है। तुलनपत्र के आकार में वृद्धि होने के कारण कुल निवल नकदी बहिर्गमन बढ़ा है। डेरिवेटिव एक्सपोजर समान अंतर्प्रवाह तथा बहिर्प्रवाह के कारण लगभग नगण्य है। तिमाही के दौरान यूएसडी औसत एलसीआर 87.45% था (महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा का बैंक के तुलन पत्र में 5% से अधिक हिस्सा था)।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) द्वारा सुनिश्चित की जाती है जो बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरिज, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) को रिपोर्ट करती है। बैंक के बोर्ड द्वारा आल्को को निधायन नीतियां निर्धारित करने का अधिकार दिया जाता है जिससे निधायन के स्रोत का विविधिकरण हो तथा यह सुनिश्चित हो सके कि वह बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। आल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किए जाते हैं। मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के साथ-साथ बैंक संरचनात्मक दैनिक तरलता विवरण तैयार करता है ताकि बैंक की तरलता आवश्यकताओं का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, गतिशील तरलता रिपोर्ट भी तैयार किए जाते हैं ताकि तरलता आवश्यकताओं का पूर्वानुमान किया जा सके और तदनुसार कार्यनीति बनाई जा सके।

बैंक एचक्यूएलए को मुख्यतः एसएलआर निवेश के रूप में बनाए रखा है जो एसएलआर की अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक रखा जाता है। खुदरा जमा कुल निधायन स्रोत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और ऐसे निधायन स्रोत पर्याप्त विविधिकृत होते हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक के पास भविष्य की अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता सुरक्षा है।

ख. समेकित चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2015 को जारी अपने पूरक दिशा-निर्देशों में 1 जनवरी 2016 से समेकित एलसीआर के कार्यान्वयन का अनुबंध किया है। तदनुसार, एसबीआई समूह समेकित एलसीआर की गणना कर रही है।

एलसीआर समूह में छह देशी बैंकिंग तथा सात विदेशी बैंकिंग सहायक शामिल हैं। ये हैं भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर, बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि., कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को, नेपाल एसबीआई बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (कैलिफोर्निया) लि., एसबीआई कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (मॉरिसस) लि., पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया।

एसबीआई समूह एलसीआर तीन माह के औसत के आधार पर 146.53% है जो निम्नानुसार है:

एसबीआई ग्रुप एलसीआर घटक		मार्च 2017 तिमाही के समाप्ति पर**		31 दिसंबर 2016 तिमाही के समाप्ति पर		30 सितंबर 2016 तिमाही के समाप्ति पर		30 जून 2016 तिमाही के समाप्ति पर		31 मार्च 2016 तिमाही के समाप्ति पर	
		कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल भांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल भांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल भांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल भांरित मूल्य (औसत)	कुल अभांरित मूल्य (औसत)	कुल भांरित मूल्य (औसत)
1	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		640,508		561,005		454,193		382,930		325,539
	नकदी बहिर्गमन										
2	फुटकर जमाराशियाँ और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त										
(i)	स्थिर जमाराशियाँ	241,589	12,079	241,740	12,087	221,518	11,076	214,196	10,710	242,670	12,134
(ii)	कम स्थिर जमाराशियाँ	1,704,999	170,500	1,660,872	166,087	1,514,128	151,413	1,478,756	147,876	1,419,909	141,991
3	अप्रतिभूत धोक निधायन जिनमें से :										
(i)	परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	59	15	55	14	53	13	111	28	4,540	1,127
(ii)	गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	586,666	336,902	567,051	330,893	538,012	307,532	500,563	295,628	494,122	287,505
(iii)	अप्रतिभूत उधार	7,456	7,456	0	0	0	0	0	0	0	0
4	प्रतिभूत धोक निधायन	3,709	1,236	29,908	0	10,730	6	18,474	404	66,768	5,872
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से										
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	154,037	154,119	158,427	158,427	148,165	148,165	111,774	111,774	99,420	99,420
(ii)	उधार उत्पादों पर निधायन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	104,556	12,695	82,684	10,815	89,045	11,109	245,520	40,858	218,045	33,777
6	अन्य संविदागत निधायन दायित्व	28,620	28,620	28,307	28,307	26,887	26,887	22,774	22,774	22,415	22,415
7	अन्य आकस्मिक निधायन दायित्व	540,151	19,328	569,042	20,663	567,690	20,821	432,971	13,682	453,671	17,154
8	कुल नकदी बहिर्गमन	3,371,843	742,951	3,338,086	727,293	3,116,228	677,022	3,025,139	643,734	3,021,560	621,395
	नकदी अंतर्वाह										
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहरणार्थ प्रतिवर्ती रेपो)	60,900	0	29,016	1	7,517	1	3,533	1	1,400	331
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	278,044	249,098	285,616	260,774	219,922	197,273	191,672	167,273	185,061	157,195
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	65,560	56,743	62,192	50,510	49,606	39,998	46,381	38,222	55,503	42,258
12	कुल नकदी अंतर्वाह	404,503	305,841	376,824	311,285	277,045	237,272	241,586	205,496	242,004	199,784
21	कुल एचक्यूएलए		640,508		561,005		454,193		382,930		325,539
22	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		437,110		416,008		439,750		438,238		421,611
23	चलनिधि सुरक्षा अनुपात (%)		146.53%		134.85%		103.28%		87.38%		77.21%

** विदेश स्थित बैंकिंग अनुषंगियों हेतु तीन महीने के आँकड़ों का मासिक औसत

** घरेलू बैंकिंग अनुषंगियों हेतु तीन महीने के आँकड़ों का दैनिक औसत



समूह एचक्यूएलए को मुख्यतः एसएलआर निवेश के रूप में बनाए रखता है जो एसएलआर की अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक रखा जाता है। खुदरा जमा कुल निधियन स्रोत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और इसे निधियन स्रोत पर्याप्त विविधकृत होते हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक के पास भविष्य की अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

19. धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान

वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए कुल धोखाधड़ी ₹ 2,424.74 करोड़ (837 मामले) में से ₹ 2,360.37 करोड़ (278 मामले) के अग्रिम को धोखाधड़ी घोषित किया गया। वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के लिए अतिरिक्त ₹ 302.05 करोड़ का प्रावधान किया गया।

20. अंतर कार्यालय खाता

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतरकार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाशोधन किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

21. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई आस्तियों में आई कमी जो कि कुल ₹ 48.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹461.39 करोड़) है तथा 31 मार्च 2016 को अपरिशोधित राशि कुल ₹1131.01 करोड़ है, को चालू वर्ष में पूरी तरह परिशोधित कर दिया गया है।

22. प्रतिक्रम्य बफर प्रावधान (सीसीपीबी)

ठअस्थायी प्रावधानों / प्रतिक्रम्य प्रावधानीकरण बफरड पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.सं.बीपी.बीसी 79/21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च 2015 के माध्यम से अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान कर उपयोग में लाने हेतु बैंकों को 31 दिसंबर 2014 को उनके द्वारा सीसीपीबी में धारित 50 प्रतिशत तक अनुमति दी है, जो कि बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमोदित नीति के तहत है।

वर्ष के दौरान बैंक ने अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान करने में सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया है।

23. खाद्यान क्रेडिट

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंक ने राज्य सरकार की बकाया दीर्घावधि खाद्य ऋण अग्रिम के संदर्भ में 7.5 प्रतिशत का प्रावधान किया है जो कुल ₹856 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 543.50 करोड़) है।

24. बैंक की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन:

- (क) वर्ष के दौरान बैंक ने स्वतंत्र मूल्यांककों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अचल परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया। पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाता में जमा किया गया और 31 मार्च 2017 को अंतिम शेष (मूल्यहास के लिए निवल राशि की निकासी) ₹31,585.65 करोड़ है।
- (ख) बासेल III पूंजी विनियामन पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. बीपी. बीसी. 83 / 21.06.201/2015-16 दिनांकित 01.03.2016 की शर्तों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को 55% की छूट पर सीईटी I पूंजी के रूप में मान्य किया गया है।

25. बैंकिंग अनुषंगियों एवं भारतीय महिला बैंक लिमिटेड का अधिग्रहण

भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत भारतीय स्टेट बैंक के पाँच घरेलू अनुषंगियों जिनके नाम हैं 3% स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावण कोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तथा भारतीय महिला बैंक (इसके बाद सामूहिक रूप से ट्रांसफरर बैंक) का अधिग्रहण दिनांक 22 फरवरी 2017 और 20 मार्च 2017 के आदेशों के आधार पर किया गया। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अधिग्रहण की यह योजना 01 अप्रैल 2017 से प्रभावी होगी (इसके बाद संदर्भ तिथि कहा जाएगा)।

इन बैंकों के वचनबंध जिसमें समस्त व्यवसाय, आस्ति, देयताएँ, आरक्षित तथा अधिशेष, वर्तमान या आकस्मिक और अन्य सभी अधिकार एवं हित जो इन सम्पत्तियों से प्रभावी तिथि से पूर्व संबंधित हैं, प्रभावी तिथि के बाद भारतीय स्टेट बैंक में स्थानांतरित और निहित होंगे। आवश्यक लेखा संबंधी समायोजन प्रभावी तिथि से किए गए हैं।

- 26. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के साथ वर्गीकरण के लिए जहाँ आवश्यक हुआ है, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक / लेखा मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरूप जहाँ पहली बार प्रकटन किए गए हैं वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक

नकदी प्रवाह विवरण, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ 000 में

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह :		
कर पूर्व निवल लाभ	14855,16,27	13774,05,74
समायोजन :		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	2293,30,96	1700,30,45
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/ हानि (निवल)	37,05,49	16,69,37
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल)	0	151,67,43
समनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों के निवेशों के विक्रय पर (लाभ) / हानि	(1755,00,00)	(108,00,00)
उचित मूल्य में हास एवं अनर्जक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान	32246,69,15	26984,14,36
मानक आस्तियों पर प्रावधान	2499,64,29	2157,54,91
निवेशों पर मूल्यहास/ (मूल्य वृद्धि) के लिए प्रावधान	298,39,39	149,55,88
अन्य प्रावधान जिसमें आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान शामिल है	948,00,40	192,49,87
समनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में निवेश से प्राप्त आय	(688,35,40)	(475,82,57)
पूँजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज	4195,23,59	3722,80,38
	54930,14,14	48265,45,82
समायोजन :		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	314028,95,86	153929,19,11
पूँजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)	(4640,71,53)	112056,76,40
समनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों में निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में वृद्धि/(कमी)	(188005,00,05)	(92600,49,79)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(139624,65,51)	(190658,16,81)
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(7469,50,80)	22846,83,70
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(18051,26,83)	(34583,68,76)
असमाकलित परिचालन में निवेश के निपटान से एफ सी टी आर में कमी	0	(873,92,35)
	11167,95,28	18381,97,32
कर वापसी/(कर भुगतान)	(107,63,17)	(7185,42,60)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी (क)	11060,32,11	11196,54,72
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
समनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों में निवेश में (वृद्धि) / कमी	(2631,24,15)	(1593,77,02)
समनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों के निवेशों के विक्रय पर लाभ / (हानि)	1755,00,00	108,00,00
समनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों / सहयोगी बैंकों से प्राप्त लाभांश	688,35,40	475,82,57
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(2960,56,19)	(2738,42,72)
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी (ख)	(3148,44,94)	(3748,37,17)
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयर के निर्गम से प्राप्त राशि जिसमें शेयर के प्रीमियम शामिल हैं	5674,82,91	5384,49,57
पूँजीगत लिखतों का निर्गम/(मोचन) (एनईटी)	(922,40,00)	5902,84,20



₹ 000 में

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष ₹
पूँजीगत लिखतों पर ब्याज	(4195,23,59)	(3722,80,38)
कर सहित लाभांशों का भुगतान	(2337,46,38)	(3058,65,86)
वित्तपोषण कार्यक्रमलाप से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	(ग) (1780,27,06)	4505,87,53
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों पर प्रभाव	(घ) (1627,60,78)	757,82,36
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी)	(क)+(ख)+(ग)+(घ) 4503,99,33	12711,87,44
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	167467,65,65	154755,78,21
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	171971,64,98	167467,65,65

टिप्पणी : नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक इस प्रकार हैं :	31.03.2017	31.03.2016
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	127997,61,77	129629,32,53
बैंक में नकद शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	43974,03,21	37838,33,12
योग	171971,64,98	167467,65,65

हस्ताक्षरकर्ता:

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(अनुपालन एवं जोखिम)

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक
(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

निदेशक:

श्री संजीव मल्होत्रा
श्री एम. डी. माल्या
श्री दीपक आई. अमीन
डॉ. पुष्पेंद्र राय
डॉ. गिरीश के. आहूजा
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल
श्री चंदन सिन्हा

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेरियन के. बेबी
भागीदार: स.सं.: 016043
फर्म पंजी. सं.: 04532 S

कृते बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. के. छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 008482
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: M No.083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

के. पार्वती कुमार
भागीदार: स.सं.: 11684
फर्म पंजी. सं.: 003089 S

कृते वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. संकर
भागीदार: स.सं.: 046050
फर्म पंजी. सं.: 109208 W

कृते पनुभाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आर. एन. बासु
भागीदार: स.सं.: 050430
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते एस एल छाजेड़ एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते बहुमूया एंड कं.
सनदी लेखाकार

एन. श्रीकृष्णा
भागीदार: स.सं.: 026575
फर्म पंजी. सं.: 000511 S

कृते एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप के. मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते एम्. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुरिन्दर के. बंसल
भागीदार: स.सं.: 014301
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 मई, 2017



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति,

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

- हमने भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) के 31 मार्च, 2017 की वित्तीय विवरणियां जिसमें 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखापरीक्षा की है। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित की विवरणियां शामिल हैं:
 - केन्द्रीय कार्यालय, 14 स्थानीय प्रधान कार्यालय, विश्व बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह) केन्द्रीय, तनावप्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (केन्द्रीय), और 42 शाखाओं, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;
 - 9,873 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की है;
 - विदेश स्थित 53 शाखाएं जिनकी लेखा-परीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की है।

हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक द्वारा चुना गया। तुलनपत्र एवं लाभ हानि खाते में 8,200 भारतीय शाखाओं (अन्य लेखांकन इकाईयों सहित) की विवरणियां भी शामिल हैं, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 3.86%, जमा राशियों में 15.50%, ब्याज आय में 4.90% तथा ब्याज व्यय में 14.51% है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन वर्ग का दायित्व

- भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम - 1949 के प्रावधानों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा समाविष्ट लेखा 30 नीतियों एवं परंपराओं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जो बैंक के वित्तीय स्थिति की सटीक और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी बैंक-प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण भी शामिल है जो धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार के वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त है। इन जोखिमों के आकलन में प्रबंधन ने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं परिकल्पित प्रक्रियाओं जो परिस्थितियों के अनुरूप है, से संबन्धित है। ताकि बैंक के सभी कार्यकलापों से संबन्धित आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

- हमारी जिम्मेदारी इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

- लेखापरीक्षा के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। जांच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती है। इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संचालन में लेते हैं ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति की उचित प्रस्तुति की जा सके, लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशालीता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।
- हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

- हमारे अभिमत में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए एवं जहां तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :
 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही हैं, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह 31 मार्च 2017 को भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;
 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं तत्संबंधी लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एवं हानि खाता भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, चालू वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा
 - इस तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में सही एवं सटीक चित्र प्रस्तुत करता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः ञ्कट और ञ्कट फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं।
- उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 5 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कि :
 - हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है।
 - हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं।
 - बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।
- हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप है।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार

चेरियन के. बेबी
भागीदार: स.सं.: 016043
फर्म पंजी. सं.: 04532 S

कृते बी छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. के. छावछरिया
भागीदार: स.सं.: 008482
फर्म पंजी. सं.: 305123 E

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

सुनील अग्रवाल
भागीदार: स.सं.: M No.083899
फर्म पंजी. सं.: 000257 N

कृते अमित रे एंड कं.
सनदी लेखाकार

बासुदेव बनर्जी
भागीदार: स.सं.: 070468
फर्म पंजी. सं.: 000483 C

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

के. पार्वती कुमार
भागीदार: स.सं.: 11684
फर्म पंजी. सं.: 003089 S

कृते वी. शंकर अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार

जी. संकर
भागीदार: स.सं.: 046050
फर्म पंजी. सं.: 109208 W

कृते पन्थाई एंड शाह एल एल पी
सनदी लेखाकार

हितेश एम पोमल
भागीदार: स.सं.: 106137
फर्म पंजी. सं.: 106041W/W100136

कृते चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार
आर. एन. बासु
भागीदार: स.सं.: 050430
फर्म पंजी. सं.: 302114 E

कृते एस एल छाजेड़ एंड कं.
सनदी लेखाकार

एस. एन. शर्मा
भागीदार: स.सं.: 071224
फर्म पंजी. सं.: 000709 C

कृते बहूम्या एंड कं.
सनदी लेखाकार

एन. श्रीकृष्णा
भागीदार: स.सं.: 026575
फर्म पंजी. सं.: 000511 S

कृते एस.एन. मुखर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुदीप के. मुखर्जी
भागीदार: स.सं.: 013321
फर्म पंजी. सं.: 301079 E

कृते एम्. भास्कर राव एंड कं.
सनदी लेखाकार

एम वी रमण मूर्ति
भागीदार: स.सं.: 206439
फर्म पंजी. सं.: 000459 S

कृते बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

सुरिन्दर के. बंसल
भागीदार: स.सं.: 014301
फर्म पंजी. सं.: 001113 N

कृते मित्तल गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

अक्षय कुमार गुप्ता
भागीदार: स.सं.: 070744
फर्म पंजी. सं.: 001874 C

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 मई, 2017



भारतीय स्टेट बैंक

समेकित तुलन - पत्र, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

अनुसूची सं.	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ		
पूंजी	797,35,04	776,27,77
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	216394,79,86	179816,08,85
अल्पांश हित	6480,64,58	6267,40,44
जमाराशियाँ	2599810,66,19	2253857,56,44
उधार राशियाँ	336365,66,48	361399,39,05
अन्य देयताएँ और प्रावधान	285272,43,87	271366,42,27
योग	3445121,56,02	3073483,14,82
आस्तियाँ		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ	161018,61,07	160424,56,91
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	112178,54,46	44134,89,64
निवेश	1027280,86,90	807374,58,30
अग्रिम	1896886,82,01	1870260,89,28
अचल आस्तियाँ	50940,73,77	15255,68,28
अन्य आस्तियाँ	196815,97,81	176032,52,41
योग	3445121,56,02	3073483,14,82
आकस्मिक देयताएँ	1184907,81,79	1184201,34,24
संग्रहण के लिए बिल	77727,05,90	106611,67,61
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17	
लेखा - टिप्पणियाँ	18	

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगियाँ)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(अनुपालन एवं जोखिम)

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक
(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

चेरीयन के. बेबी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 16043
फर्म पंजी सं.: 004532 S

कोलकाता

दिनांक : 19 मई 2017

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी: 5000,00,00,000 शेयर ₹ 1 प्रति शेयर (पिछले वर्ष 5000,00,00,000 शेयर ₹ 1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी: 797,43,25,472 इक्विटी शेयर, प्रति ₹ 1 (पिछले वर्ष 776,35,98,072 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति इक्विटी शेयर)	797,43,25	776,35,98
अभिवृद्ध और संदत पूंजी: 797,35,04,442 इक्विटी शेयर ₹ 1 प्रति शेयर, (पिछले वर्ष ₹ 1 प्रति इक्विटी शेयर के 776,27,77,042) [उपर्युक्त में प्रति ₹ 1 के 12,70,16,300 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति ₹ 1 के 14,45,93,240 इक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं, जो 1,27,01,630 (पिछले वर्ष 1,44,59,324) वैश्विक डिपॉजिटरी के रूप में हैं]**	797,35,04	776,27,77
योग	797,35,04	776,27,77

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ		
अधिशेष	61499,16,34	57789,72,97
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3254,35,78	3709,43,37
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
	64753,52,12	61499,16,34
II पूंजी आरक्षित निधियाँ #		
अधिशेष	3354,19,48	2816,00,26
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1892,26,33	538,20,31
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	35,82	1,09
	5246,09,99	3354,19,48
III शेयर प्रीमियम		
अधिशेष	49769,47,71	41444,68,60
वर्ष के दौरान परिवर्धन	5659,92,72	8333,44,99
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	6,17,07	8,65,88
	55423,23,36	49769,47,71
IV विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ		
अधिशेष	6813,62,99	6765,70,93
वर्ष के दौरान परिवर्धन	22,09,80	937,97,19
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1761,80,78	890,05,13
	5073,92,01	6813,62,99



(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
V. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ				
अथशेष	1374,03,37		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	34558,77,73		1374,03,37	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	338,92,97	35593,88,13	-	1374,03,37
VI राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ				
अथशेष	53725,75,67		49208,96,59	
वर्ष के दौरान परिवर्धन ##	960,88,92		4885,36,61	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	42,46,38	54644,18,21	368,57,53	53725,75,67
VII लाभ और हानि खाते की शेष		(4340,03,96)		3279,83,29
योग		216394,79,86		179816,08,85

इसमें समेकन पर पूंजीगत आरक्षित निधि ₹242,83,39 हजार (पिछले वर्ष ₹ 242,83,39 हजार) शामिल है

समेकन समायोजनों को घटाकर

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
क. I. माँग जमाराशियाँ				
(i) बैंकों से	6991,80,91		6740,88,18	
(ii) अन्य से	181890,89,78		163938,91,29	
II. बचत बैंक जमाराशियाँ		947361,71,12		744908,74,55
III. सावधि जमाराशियाँ				
(i) बैंकों से	19848,97,66		9082,28,40	
(ii) अन्य से	1443717,26,72		1329186,74,02	
योग		2599810,66,19		2253857,56,44
ख. I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ		2491369,62,12		2143972,00,39
II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ		108441,04,07		109885,56,05
योग		2599810,66,19		2253857,56,44

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में उधार-राशियाँ		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	5000,00,00	106576,79,00
(ii) अन्य बैंक	4376,17,42	3686,76,87
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अधिकरण	71912,62,74	10547,50,98
(iv) पूंजीगत लिखत		
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	11505,00,00	3849,72,60
ख) गौण ऋण एवं बांड	42070,76,40	53575,76,40
योग	134864,56,56	178534,43,25
II. भारत के बाहर से उधार-राशियाँ		
(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित	195439,97,42	178661,48,05
(II) पूंजीगत लिखत		
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	5998,62,50	4140,93,75
ख) गौण ऋण एवं बांड	62,50,00	6061,12,50
योग	201501,09,92	182864,95,80
कुल योग (I व II)	336365,66,48	361399,39,05
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ	79426,89,27	116776,47,33

अनुसूची - 5 अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. संदेय बिल	31016,63,09	23335,72,69
II. अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	100,17,15	237,92,52
III. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	36342,34,83	37419,45,02
IV. प्रोद्भूत ब्याज	15664,32,19	29833,04,28
V. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	3362,04,95	2930,88,61
VI. बीमा व्यवसाय के पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताएं	96797,49,57	78668,25,79
VII. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	101989,42,09	98941,13,36
योग	285272,43,87	271366,42,27



अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	14942,25,80	17787,02,59
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशियाँ		
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	146076,35,27	142637,54,32
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशियाँ	-	-
योग	161018,61,07	160424,56,91

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	365,03,31	288,01,40
(ख) अन्य जमा खातों में	43707,37,40	2170,64,23
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	30001,53,04	4122,29,44
(ख) अन्य संस्थाओं में	19,45,50	37,97,35
योग	74093,39,25	6618,92,42
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	24958,30,27	26911,87,69
(ii) अन्य जमा खातों में	4720,03,93	1571,46,56
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	8406,81,01	9032,62,97
योग	38085,15,21	37515,97,22
कुल योग (I एवं II)	112178,54,46	44134,89,64

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	778210,37,55	635075,24,22
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	7423,43,57	3759,80,59
(iii) शेयर	30156,08,39	22921,99,08
(iv) डिबेंचर और बांड	84954,01,86	61372,52,22
(v) सहयोगी एवं अनुषंगियाँ	2731,15,94	2456,08,15
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट, कर्माशियल पेपर इत्यादि)	81382,11,01	41525,68,15
योग	984857,18,32	767111,32,41

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
II. भारत के बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	10926,92,52	12291,86,27
(ii) सहयोगी	110,56,19	91,26,16
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	31386,19,87	27880,13,46
योग	42423,68,58	40263,25,89
कुल योग (I एवं II)	1027280,86,90	807374,58,30
III. भारत में निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	987835,48,02	768901,72,04
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यहास	2978,29,70	1790,39,63
(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	योग 984857,18,32	767111,32,41
IV. भारत के बाहर निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	42524,45,77	40360,83,74
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान/मूल्यहास	100,77,19	97,57,85
(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	योग 42423,68,58	40263,25,89
कुल योग (III एवं IV)	1027280,86,90	807374,58,30

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क) I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	79390,60,01	105904,33,41
II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	753228,61,48	768139,02,40
III. सावधि ऋण	1064267,60,52	996217,53,47
योग	1896886,82,01	1870260,89,28
ख) I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1495899,32,42	1449464,11,29
II. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	82409,50,15	65407,28,51
II. अप्रतिभूत	318577,99,44	355389,49,48
योग	1896886,82,01	1870260,89,28
ग) I. भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	471076,83,62	475038,00,97
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	131884,87,37	163126,02,25
(iii) बैंक	2641,74,42	2541,75,87
(iv) अन्य	993005,12,78	952633,31,09
योग	1598608,58,19	1593339,10,18
II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से प्राप्य	87892,69,43	71750,72,87
(ii) अन्यों से प्राप्य		
(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	11719,22,54	15298,95,44
(ख) सिंडीकेट ऋण	105052,29,85	92239,49,49
(ग) अन्य	93614,02,00	97632,61,30
योग	298278,23,82	276921,79,10
कुल योग [(ग -I एवं ग - II)]	1896886,82,01	1870260,89,28



अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. परिसर				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	6505,13,56		4672,16,65	
परिवर्धन:				
वर्ष के दौरान	1048,36,09		367,05,63	
पुनर्मूल्यांकन के लिए	34558,77,73		1468,30,64	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	4,70,79		2,39,36	
अद्यतन मूल्यहास				
- लागत पर	731,28,94		629,80,93	
- पुनर्मूल्यांकन पर	384,87,11	40991,40,54	42,50,95	5832,81,68
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	25746,84,21		23192,34,20	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3339,55,38		3056,76,25	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	573,51,87		502,26,24	
अद्यतन मूल्यहास	19269,63,13	9243,24,59	17125,95,43	8620,88,78
III. पट्टाकृत आस्तियाँ				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	122,51,66		329,83,42	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	9,39,35		2,09,22	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	14,52,20		209,40,98	
आज तक का मूल्यहास (प्रावधानों सहित)	101,51,40		101,52,99	
	15,87,41		20,98,67	
घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता	4,70,45	11,16,96	4,70,45	16,28,22
IV. निर्माणाधीन आस्तियाँ (परिसर सहित)		694,91,68		785,69,60
योग		50940,73,77		15255,68,28

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(I) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	4771,18,77	2700,12,71
(II) प्रोद्भूत ब्याज	25611,05,79	21428,47,87
(III) अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर	12295,19,88	15697,31,41
(IV) लेखन सामग्री और स्टांप	133,01,28	140,48,46
(V) दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	34,19,97	52,20,86
(VI) आस्थगित कर अस्तियाँ (निवल)	4923,37,87	1161,66,36
(VII) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋणान्वयन की कमी को पूरा करने के लिए नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी आदि के पास रखी हुई जमाराशियाँ #	67709,71,52	60047,16,38
(VIII) अन्य #	81338,22,73	74805,08,36
योग	196815,97,81	176032,52,41

इसमें समेकन आधार पर साख ₹ 943,41,50 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 945,21,86 हजार) शामिल है।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	33145,36,29	16060,79,90
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	603,35,11	157,84,11
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	656625,33,39	655899,96,45
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	160434,10,71	164515,57,51
(ख) भारत के बाहर	75098,54,00	88084,20,47
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	117916,38,53	131160,23,60
VI. अन्य मर्दे, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	141084,73,76	128322,72,20
योग	1184907,81,79	1184201,34,24
संग्रहण के लिए बिल	77727,05,90	106611,67,61



भारतीय स्टेट बैंक

समेकित लाभ और हानि खाता 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	230447,49,17	220632,74,66
अन्य आय	14	68192,96,20	52828,38,55
योग		298640,45,37	273461,13,21
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	149114,67,40	143047,35,65
परिचालन व्यय	16	87290,07,01	74307,17,20
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		62626,38,25	43363,31,29
योग		299031,12,66	260717,84,14
III. लाभ			
वर्ष के लिए निवल लाभ (सहयोगियों और अल्पांश हित में हिस्सेदारी के लिए समायोजन करने के पूर्व)		(390,67,29)	12743,29,07
जोड़ें : सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी		293,28,42	275,81,61
घटाएं : अल्पांश हित		(338,62,12)	794,51,18
समूह के लिए निवल लाभ		241,23,25	12224,59,50
आगे लाया गया शेष		3279,83,29	2615,87,62
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		3521,06,54	14840,47,12
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण		3254,35,78	3709,43,37
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण		2110,21,56	5388,68,06
वर्ष के दौरान पिछले वर्ष हेतु लाभांश का भुगतान (लाभांश पर कर सहित)		-	80
वर्ष के लिए अंतिम लाभांश		2108,56,29	2018,32,20
लाभांश पर कर		387,96,87	444,19,40
तुलनपत्र में ले जाई गई शेषराशि		(4340,03,96)	3279,83,29
योग		3521,06,54	14840,47,12
प्रति शेयर मूल आय		₹ 0.31	₹ 15.95
प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 0.31	₹ 15.95
विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
लेखा - टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(अनुपालन एवं जोखिम)

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक
(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

चेरीयन के. बेबी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 16043
फर्म पंजी सं.: 004532 S

कोलकाता

दिनांक : 19 मई 2017

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	156790,48,00	157001,74,81
II. निवेशों पर आय	64201,37,45	56462,19,73
III. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	2591,57,08	1112,24,09
IV. अन्य	6864,06,64	6056,56,03
योग	230447,49,17	220632,74,66

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	19701,03,46	17662,46,76
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/ (हानि) (निवल)	13778,42,77	6460,52,31
III. निवेशों के पुनर्मुल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल)	-	(151,67,43)
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल)	(43,81,46)	(21,05,23)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ / (हानि) (निवल)	2792,18,63	2226,38,64
VI. भारत/विदेश स्थित सहयोगियों से प्राप्त लाभांश	3,85,50	7,52,34
VII. वित्तीय पट्टे से आय	-	-
VIII. क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क	1415,89,43	981,08,93
IX. बीमा प्रीमियम आय (निवल)	22243,83,01	16636,87,72
X. विविध आय	4090,89,93	3352,02,43
XI. Miscellaneous Income	4210,64,93	5674,22,08
योग	68192,96,20	52828,38,55

अनुसूची 15 - दिया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	138786,78,15	132402,04,61
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	4617,77,07	4893,83,34
III. अन्य	5710,12,18	5751,47,70
योग	149114,67,40	143047,35,65

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	35691,20,50	32525,59,82
II. भाड़ा, कर और बिजली खर्च	5270,90,67	4939,78,70
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री	544,30,58	511,61,80
IV. विज्ञापन और प्रचार	600,28,87	609,67,64
V. (क) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	2911,03,48	2248,14,79
(ख) बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त)	3,64,95	4,05,74
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	9,52,63	7,71,33
VII. लेखा/परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	311,82,32	285,40,65
VIII. विधि प्रभार	414,86,73	362,14,06
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	975,44,05	812,91,81
X. मरम्मत और अनुरक्षण	870,95,63	797,06,39
XI. बीमा	2479,26,16	2228,56,82
XII. अन्य परिचालन व्यय-क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित	1655,63,91	1163,24,81
XIII. अन्य परिचालन व्यय बीमा व्यवसाय से संबंधित	24228,88,09	18520,29,63
XIV. अन्य व्यय	11322,28,44	9290,93,21
योग	87290,07,01	74307,17,20



अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (समेकित)

क. तैयार करने का आधार:

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, अवधिगत लागत आधार के अनुसार लेखा के प्रोद्घवन आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी), के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं। इन सिद्धांतों में प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारत में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी इकाइयों के मामले में विदेशी कंपनियों पर लागू सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएं सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं यथोचित है। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. समेकन का आधार :

- समूह (जिसमें 32 अनुषंगियां, 9 संयुक्त उद्यम और 20 सहयोगी शामिल हैं) के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :
 - भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण
 - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों के लिए जारी लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंतः समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, अवसूलीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहाँ आवश्यक हुआ है वहाँ आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की आस्ति/देयता/ आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।
 - संयुक्त उद्यमों का समेकन - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना के संबंधित लेखा मानक-27 के अनुसार समानुपातिक समेकन किया गया है।
 - सहयोगियों में किए गए निवेश का लेखाकरण "इक्विटी-पद्धति" के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के समेकित वित्तीय विवरणों में "सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक" 23 के अनुसार किया गया है।
 - "कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना" से संबंधित आरबीआई परिपत्र के अनुसार, कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में कंपनियों में प्राप्त किए गए नियंत्रण हित पर न तो समेकन के लिए विचार किया गया है और न ही ऐसे निवेश को अनुषंगी/सहयोगी में निवेश के रूप में समझा गया है कारण कि यह नियंत्रण कार्यक्षम प्रकृति का है, भागीदारी का नहीं।

- अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूँजी आरक्षिती के रूप में दिखाया गया है।
- समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:
 - जिस तिथि को किसी अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की इक्विटी- राशि, और
 - मूल कंपनी और अनुषंगी के स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (इक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।

घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. राजस्व निर्धारण:

- जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्घवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।
- ब्याज आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्घत आधार पर निर्धारण (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।
- निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के तहत (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि) "आरक्षित पूँजी खाते" में विनियोजित किया जाता है।
- वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - पट्टा के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित है जोकि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती नमूने पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।
- "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज का छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है:

- i. ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।
 - ii. शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।
- 1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित है, वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।
 - 1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन जोकि गारंटी की पूरी अवधि के लिए है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन एवं ए टी एम इंटरचेंज फीस जो कि प्रोद्भवन आधार पर मान्य होते हैं, तथा (iii) पुनर्संचित खातों पर एकमुश्त फीस, जो कि पुनर्संचना अवधि के दौरान प्रभाजित किया जाता है को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क-आय को वसूली के बाद मान्य किया गया है।
 - 1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रिमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।
 - 1.9 बॉण्ड एवं जमापत्र जारी करने के लिए भुगतान/खर्च की गई दलाली/कमीशन को संबंधित बॉण्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को एकमुश्त प्रभारित किया गया है।
 - 1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है, :-
 - i. जब बैंक अपने वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को करती है तो इसे अपने खातों से हटा देती है।
 - ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटाकर) से कम है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है।
 - iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान को आरबीआई की अनुमति के अनुसार राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

1.11 गैर-बैंकिंग डकाइयां

मर्चेण्ट बैंकिंग:

- क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।
- ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी स्थानन शुल्क को शामिल किया गया है।
- ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टाम्प शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल हैं तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियां शामिल नहीं हैं।
- घ. सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आबंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिया गया है।

- ड. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।
- च. निक्षेपागार आय-वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेनदेन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन :

- क. संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय में शामिल किया गया है। इन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है (इसमें जहाँ लागू हो, अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को शामिल नहीं किया गया है) और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।
- ख. संविदा शर्तों के अनुसार, संविभाग सलाहकारी सेवाओं, संविभाग प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय और वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।
- ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्त आधार पर लेखे में ली गई है। निधिक गारंटित योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्त के वर्ष के आय के रूप में माना गया है।
- घ. निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है जिसमें वे वहन किए गए।
- ड. असीमित अवधि वाली इक्विटी संबद्ध कर बचत योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआईपी) से संबंधित निवेशों पर प्रदत्त दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले में क्लो बैंक अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

- ख. सदस्यता ग्रहण शुल्क केवल सदस्यता ग्रहण का अधिकार प्रदान करती है और न कि अन्य कोई अधिकार/विशेषाधिकार और इसलिए प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- ग. कुल अनिर्धारित प्राप्तियों को, जिन्हें पूर्ण एवं सही सूचना के अभाव में ग्राहकों के खातों में जमा या समायोजित नहीं किया जा सका, तुलनपत्र में देयता के रूप में समझा गया है। अपलिखित किए गए खातों वाले ग्राहकों के संबंध में 6 महीने से अधिक और 3 वर्षों तक की अनुमानित अनिर्धारित प्राप्तियों को तुलनपत्र की तिथि को आय



के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 3 वर्षों से अधिक की समाधान नहीं हुई अनिर्धारित प्राप्तियों को भी तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। तीन वर्षों से अधिक के गत अवधि वाले चेक की देयता को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है।

घ. अन्य सभी आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों की फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता हो। सभी सक्रिय मानक खातों के संबंध में सुविधा निरंतरता शुल्क (एफसीएफ) की गणना की गई है और अगले सम्पूर्ण वित्त वर्ष के लिए उसे मई महीने में प्रभारित किया गया है। एक मई को एफसीएफ के प्रोद्भवन की तिथि के रूप में समझा गया है।

जीवन बीमा :

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, एसोसिएटेड इकाइयों के आबंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न बीमा उत्पादों के मामले में प्रीमियम आय को उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनः प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा गया है।

ग. संबद्ध निधियों से आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल हैं; पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए गए हैं।

घ. इक्विटियों प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में वसूल हुए लाभ एवं हानियों की गणना निवल बिक्री आगम राशियों और उनकी लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, वसूल हुए लाभ एवं हानि की गणना निवल बिक्री आगम राशियों या मोचन आगम राशियों और भारत औसत परिशोधित लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में लागत की गणना भारत औसत पद्धति से की जाती है।

ङ. प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने की योजना के तहत इक्विटी शेयर उधार देने पर प्राप्त शुल्क को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उधार देने की अवधि के दौरान आय के रूप में माना जाता है।

च. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

छ. दिए गए लाभ :

◆ जहाँ प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।

◆ मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।

◆ परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।

◆ उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं।

◆ अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने पर प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।

◆ न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकृत करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।

◆ पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

ज. कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

झ. **बीमा पॉलिसियों के लिए देयता :** सभी जीवन बीमा पॉलिसियों की बीमाकिक देयता की गणना बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए द्वारा जारी नियमों व विनियमों तथा परिपत्रों के अनुसार और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार नियुक्त किए गए बीमाकनकर्ता द्वारा की जाती है।

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। वर्तमान और भावी अनुभव को ध्यान में रखते हुए भावी अनुमानों के आधार पर एक सुनिश्चित देयता की गणना की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है। विभिन्न बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन यूएलआईपी व्यवसाय का मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप ही किया जाता है कारण कि पॉलिसी धारक के खाते में पड़ी हुई जमा राशि को और खर्च पूरा करने के लिए खर्चों की पर्याप्तता के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को देयता के रूप में समझा जाता है।

साधारण बीमा :

- क. प्रीमियम जिसमें स्वीकृत की गई पुनर्बीमा शामिल है, को जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से बहियों में दर्ज किया जाता है। यदि प्रीमियम किस्तों में वसूल किया जाता है, तो देय किस्त की सीमा तक की राशि को किस्त की देय तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) को सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। प्रीमियम में होने वाले अन्य अनुवर्ती संशोधन को शेष जोखिम अवधि या संविदा अवधि के प्रीमियम के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।
- ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहाँ कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।
- ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम की शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अनुसार हिसाब में लिया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।
- घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्रा में हिसाब में लिया गया है।
- ङ. अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई हैं जिसमें वे उपस्थित हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात् जोखिम की शुरुआत) के आधार पर किया जाता है।
- च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध सूचना और विगत अनुभव के आधार पर प्रबंधन द्वारा यथा अनुमानित देय दावा राशि के लिए प्रावधान करके हिसाब में लिया जाता है। ऐसे प्रावधान की अतिरिक्त सूचना, जब कभी भी उपलब्ध होती है, के आधार पर यथा उपयुक्त समीक्षा/में संशोधन किया जाता है। तुलनपत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा, अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया गया है।

- छ. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा वर्ष जिनके लिए उपचित हो गई हैं परंतु
- जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या
 - पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई है, (अर्थात् इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई है कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनआर), से संबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमाकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमाकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/ परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं निधि लेखांकन सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आईएमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में प्रत्येक योजना की दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर शामिल किया गया है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करती है।

न्यासी परिचालन :

म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस का निर्धारण संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई विशिष्ट दरों पर किया गया है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर लागू की गई है (अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहाँ कहीं लागू हो, को छोड़कर), तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप एक्सेप्टेंस फीस का निर्धारण ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या के निष्पादन, जो भी पहले हो, पर किया गया है। कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार ग्राहकों के साथ हुए ट्रस्टीशिप संविदाओं/ करारों के अनुसार निर्धारित/प्रोद्भूत किए गए हैं।

आधारिक संरचना और सुविधा प्रबंधन :

जब कभी भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, परियोजना प्रबंधन, सुविधा प्रबंधन और रखरखाव संविदाओं से प्राप्त आय को संविदा की अवधि के दौरान यथानुपात आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2. निवेश:

सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन को "निपटान तिथि" (सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है।

2.1 वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एच टी एम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (ए एफ एस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एच एफ टी)



2.2 वर्गीकरण का आधार:

- i. निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, को "परिपक्वता तक धारित(एच टी एम)" रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ii. निवेश जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांततः पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, को "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iii. निवेश जिन्हें उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तत्पश्चात विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप श्रेणियों में रखा गया है।

2.3 मूल्यांकन:

क. बैंकिंग व्यवसाय :

- i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:
 - (क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।
 - (ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एस टी टी) आदि को उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।
 - (ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।
 - (घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारत और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार एवं 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के लिए फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।
- ii. प्रतिभूतियों को एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरण, अंतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार किया जाता है और ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यहास, यदि कोई हो तो उस हेतु पूर्णतया प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यहास के लिए प्रावधान किया गया है।
- iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।
- iv. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी: क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्षक के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। अस्थाई से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की

पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यन आईसीएआई के एएस 23 के अनुसार निर्धारित इक्विटी लागत पर किया गया है।

- v. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ: एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (ii) (अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) (iii) (शेयर) (iv) (बांड एवं ऋणपत्र) (v) (अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम) और (vi) अन्य के सिर्फ निवल मूल्यहास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यहास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही-मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात अपरिवर्तित रहा है।
- vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियाँ (वित्तीय आस्तियाँ) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य को नॉन एस एल आर के लिए लागू दिशा निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आर्बिट्रित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।
- vii. देशीय कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अनर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशीय कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:
 - क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।
 - ख) इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।
 - ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।
 - घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।
 - ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

viii. **रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:**

क) रेपो/रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है। तथापि एकमुश्त विक्रय/क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है एवं इस तरह के अंतरणों को रेपो/रिवर्स रेपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार लेना) एवं रिवर्स रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची-7 (बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

ख) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ क्रय/विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/अर्जित किया गया ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

ix. बाजार पुनः खरीद और रिवर्स पुनः खरीद लेनदेनों के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन आरबीआई के साथ किए गए लेनदेनों को आरबीआई के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार उधार लेने और ऋण देने संबंधी लेनदेनों के रूप में लेखे में लिया गया है।

ख. बीमा व्यवसाय :

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में, निवेश बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2016, कंपनी की निवेश नीति और समय-समय पर आईआरडीए द्वारा यथा निर्गमित विभिन्न अन्य परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) **गैर-संबद्ध बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :-**

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर परिशोधन के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई (बीएसई) पर बाजार बंद होने के समय उद्धृत आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है।

- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन यथा उल्लिखित इक्विटी शेयरों की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।
- आईआरडीए द्वारा यथा निर्दिष्ट "इक्विटी" के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-1 (बेसल III अनुपालक) बेमीयादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलनपत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।
- वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध एनएवी के आधार पर किया जाता है।

शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसी धारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियां "आय और अन्य आरक्षितियां (अनुसूची 2)" में और "बीमा व्यवसाय में पॉलिसी धारकों से संबंधित देयताएं (अनुसूची 5)" क्रमशः तुलनपत्र में लिए गए हैं।

(ii) **संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :-**

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है सिवा भारत सरकार के स्क्रिप्स के जिनका मूल्यांकन निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रिसिल बॉन्ड वैल्युअर के आधार पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों की अपरिशोधित और औसत लागत को प्रतिभूतियों की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन से होने वाले अवसूल लाभ या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्ध न किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धृत मूल्य पर किया गया है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन इक्विटी शेयरों की मूल्यन नीति के अनुसार किया जाता है, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।



- ◆ आईआरडीए द्वारा यथा निर्दिष्ट “इक्विटी” के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-1 (बेसल-3 अनुपालक) बेमीयादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- ◆ म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।
- ◆ इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

- i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है
- ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता “असंगत” (“आउट ऑफ ऑर्डर”) रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमा राशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;
- iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;
- iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

- i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है
- ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।
- iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की जानकारी हो गई है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

- अवमानक आस्तियाँ :
- i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
 - ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
 - iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों , जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध है, से सम्बंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20%

संदिग्ध आस्तियाँ

- प्रतिभूत भाग
- i. एक वर्ष तक - 25%
 - ii. एक से तीन वर्ष तक - 40%
 - iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग 100%
- हानिप्रद आस्तियाँ : 100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हो, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुनर्संरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य का एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के टअन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्यड शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार देय मूलराशि या ब्याज से संबंधित एनपीए की हुई वसूलियों का समायोजन (संबंधित ऋणी को संस्वीकृत अतिरिक्त/नई ऋण सुविधाओं में से नहीं) निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है:

- क. प्रभार
- ख. वसूल नहीं हुआ ब्याज/ब्याज
- ग. मूल राशि

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

- 6.1** बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निर्भादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निर्भादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मद्दों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है।
- 6.2** बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गईं हों।
- 6.3** उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई हैं। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से ठुच्चत खाता कुल प्राप्य में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरीवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरीवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गया हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एम टी एम को भी लाभ और हानि खाते से ठुच्चत खाता सकारात्मक एम टी एम में प्रतिवर्तित किया जाता है।
- 6.4** संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

- 6.5** सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यहास और परिशोधन:

- 7.1** अचल आस्तियों का संचित मूल्यहास / परिशोधन से कम लागत पर अंकन किया गया है।
- 7.2** लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई व्यवसाय शुल्क शामिल हैं। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय / व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।
- 7.3** इन देशी परिचालनों के संबंध में मूल्यहास की दरें और मूल्यहास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यहास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधे कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधे कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधे कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन/क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	सीधे कटौती पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधे कटौती पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधे कटौती पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियाँ	सीधे कटौती पद्धति	आस्ति अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। परिसर - 60 वर्ष वहन - 5 वर्ष सुरक्षित जमा - 20 वर्ष फर्नीचर व फिक्सचर - 10 वर्ष



- 7.4 वर्ष के दौरान देशीय परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यहास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।
- 7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।
- 7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।
- 7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूँजी-वसूली) एवं मूल्यहास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।
- 7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- 7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर ही विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहित की गई संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। उसके बाद पुनर्मूल्यांकन नहीं की गई संपत्तियों का मूल्यांकन प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाता है।
- 7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ एवं हानि विवरण में लिए बिना पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।
- 7.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यहास पुनर्मूल्यांकन के समय यथा मूल्यांकित आस्ति के शेष उपयोगी जीवन के अनुसार किया जाता है।

8. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेन - देन

- विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन - देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (तत्काल/वायदा) दरों का प्रयोग तुलन पत्र की तिथि को कर दी गई है तथा परिणामी लाभ/हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर दर पर परिवर्तित कर दिया गया है।
- विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।
- विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।
- व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।
- मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरे उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।
- मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

- असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।
- निवल निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्धृत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षितियों में किया गया है।
- विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

- विदेशी मुद्रा लेन - देन को लेन - देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशियों के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।
- समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर दर पर रूपांतरित किया गया है।
- अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रेणित विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार है। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

ग. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान या मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि या 10 लाख रुपए की अधिकतम राशि होती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

घ. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है। बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है एवं बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ङ. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रेणित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है एवं नये कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं है। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% की राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे एवं इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबन्धित कर्मचारी की पंजीकरण



प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा. बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

- क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा -रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।
- ख) अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमाकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बंधित देशों के स्थानीय विधियों / विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया गया है।

12. आय पर कर:

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आकार अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबन्धित है, ऐसा कराते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबन्धित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट है। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष के कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रोन्नित हानि के बीच के अवधिगत विभेद के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं को कर दर और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जिसे तुलन-पत्र के दिन या उसके बाद अधिनियमन किया गया हो। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/होना निश्चित है।

समेकित वित्तीय विवरण में आय कर भुगतान मूल कंपनी और इसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के अलग वित्तीय विवरणों में उनके लागू नियमों के अनुसार दिखाई गई कर भुगतान की कुल राशियां हैं।

13. प्रति शेयर आय:

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर 'मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयर धारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरंत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी. कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियां:

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन का परिणाम के फलस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ के समाविष्ट पर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है ;

- पिछले परिणाम से उद्भूत किसी संभावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा
 - किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-
- क) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा
- ख) दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों को दिये जाने वाले रिवाइर्ड पॉइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं एवं ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होते हैं। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस की आय करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक खुदरा ग्राहकों को भी सर्राफा बेचता है। बैंक सोना जमा लेता है एवं उधार भी देता है, जिसे जमा/अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमाओं, धातु ऋण अग्रिमों और अंतिम स्वर्ण शेषों का मूल्यांकन तुलनपत्र की तिथि को उपलब्ध बाजार दर के आधार पर किया गया है।

16. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन को अनुमोदन प्रदान किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई उद्देश्य नहीं है।

17. शेयर जारी करने का व्यय:

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाये गए हैं।

अनुसूची 18 (समेकित) लेखा-टिप्पणियाँ

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 समेकित विवरण तैयार करते समय निम्नांकित 32 अनुषंगियाँ, 9 संयुक्त उद्यम और 20 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है, जिसमें 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्मिलित हैं:

क) अनुषंगियाँ

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	समूह का हिस्सा (%)		
		निगमन-देश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	75.07	75.07
2)	स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद	भारत	100.00	100.00
3)	स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर	भारत	90.00	90.00
4)	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला	भारत	100.00	100.00
5)	स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर	भारत	79.09	79.09
6)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
7)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
8)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	100.00	100.00
9)	एसबीआई कैप वेंचर्स लि.	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	100.00	100.00
11)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यू.के.	100.00	100.00
12)	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	71.58	71.58
13)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	86.18	86.18
14)	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	भारत	100.00	-
15)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
16)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
17)	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	भारत	92.60	92.60
18)	एसबीआई काडर्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि. @	भारत	60.00	60.00
19)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. @	भारत	74.00	74.00
20)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. @	भारत	70.10	74.00
21)	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि. @	भारत	65.00	65.00



क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%)	
			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
22)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. @	भारत	63.00	63.00
23)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि. @	मॉरीशस	63.00	63.00
24)	कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को@	रूस	60.00	60.00
25)	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	100.00	100.00
26)	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	100.00	100.00
27)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	यूएसए	100.00	100.00
28)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटेड	ब्राजिल	100.00	100.00
29)	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	96.60	96.60
30)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.00	99.00
31)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.00	55.10
32)	नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	55.00	-

@ ऐसी कंपनियों जो शेयरधारक करार के अनुसार संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयां हैं। फिर भी ये वित्तीय विवरणों का समेकन से संबंधित एएस21 के अनुसार समेकित की गई हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की इन कंपनियों में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है।

ख) संयुक्त उद्यम :

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन - देश	समूह का हिस्सा (%)	
			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सीएज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	49.00	49.00
2)	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	भारत	40.00	40.00
3)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	45.00	45.00
4)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	भारत	45.00	45.00
5)	मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	सिंगापुर	45.00	45.00
6)	मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	बेरमुडा	45.00	45.00
7)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
8)	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	50.00	50.00
9)	जियो पेमेंट्स बैंक लि.	भारत	30.00	-

ग) सहयोगी

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन - देश	समूह का हिस्सा (%)	
			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2.	अरुणांचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
3.	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4.	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5.	लंगपी देहांती रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
6.	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7.	मेघालय रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	समूह का हिस्सा (%)		
		पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
8.	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
9.	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	35.00	35.00
10.	पूर्वांचल बैंक	भारत	35.00	35.00
11.	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12.	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14.	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15.	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	26.27	26.27
16.	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
17.	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	31.50	31.50
18.	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
19.	दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत	24.42	24.42
20.	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00

क. एसबीआई इनफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 17 जून 2016 को एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में निगमित किया गया। अगस्त 2016 मास के दौरान एसबीआई ने ₹10 करोड़ पूंजी के रूप में लगाए।

ख. जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 10 नवंबर 2016 से संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया जिसमें एसबीआई और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड संयुक्त भागीदार हैं और क्रमशः 30% और 70% के हितधारक हैं। 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान उक्त संयुक्त उद्यम में एसबीआई ने पूंजी के रूप में ₹39.60 करोड़ का निवेश किया।

ग. दिसंबर 2016 के माह में, भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (एसबीआई की एक सहयोगी संस्था) में अपने 3.90% हिट को बेच दिया जिसके बाद एसबीआई का हिट 74.00 प्रतिशत से घटकर 70.10% रह गया है।

घ. फरवरी 2017 के माह में, नेपाल एसबीआई बैंक लि., जो भारतीय स्टेट बैंक की एक विदेशी अनुषंगी है, ने अपने अनभिदत्त हिस्से से 67,767.87 अतिरिक्त शेयर आधे से कम के शेयरधारक को जारी किए और एसबीआई का हिट 55.10% से घटकर 55.00% हो गया।

ङ. नेपाल एसबीआई बैंक लि. (जो भारतीय स्टेट बैंक की एक विदेशी अनुषंगी है) ने नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि. के नाम में एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी निगमित की है और उसमें एनपीआर 10 करोड़ लगाए। चूंकि एसबीआई का नेपाल एसबीआई बैंक लि. में 55% की हितधारिता है, इसलिए इसे नेपाल एसबीआई मर्चेण्ट बैंकिंग लि. के समेकन के लिए शामिल किया गया है।

च. एसबीआई फाउंडेशन, (एक अलाभकारी कंपनी) ने 26 जून 2015 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(2) के अंतर्गत एसबीआई की एक अनुषंगी के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है जिससे

कि समूह के सीएसआर कार्यकलापों पर अलग से ध्यान दिया जा सके। चूंकि यह एक अलाभकारी कंपनी है, इसलिए समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय समेकन हेतु एसबीआई फाउंडेशन पर विचार नहीं किया गया है।

छ. एसबीआई होम फाइनेंस लि. जो एक सहयोगी संस्था है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का हिट 25.05% है, परिसमापन के अधीन है, इसलिए लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में इस पर विचार नहीं किया गया है।

1.2 समूह के वित्त वर्ष 2016-17 के समेकित वित्तीय विवरणों में एक अनुषंगी (एसबीआई कनाडा) बैंक और एक सहयोगी (बैंक ऑफ भूटान लि.) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनके परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं।

2. शेयर पूंजी

2.1 वर्ष के दौरान, एसबीआई ने भारत सरकार से ₹5,681 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5,393 करोड़) की आवेदन राशि प्राप्त की है जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹5,659.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5,373.34 करोड़) शामिल है जो भारत सरकार को आबंटित प्रति ₹1 के 21,07,27,400 (पिछले वर्ष 19,65,59,390) इक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के तहत प्राप्त हुई है। इक्विटी शेयरों का आबंटन 20 जनवरी 2017 को किया गया।

2.2 शेयर जारी करने से संबंधित खर्च ₹6.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.66 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते में नामे किए गए।



3. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

3.1 कर्मचारी - हितलाभ

3.1.1 नियत हितलाभ योजनाएं

3.1.1.1 कर्मचारी पेंशन योजनाएं और ग्रेच्युटी योजनाएं

निम्नतालिका में लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित की गई है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	73,164.38	64,529.56	9,898.24	9,543.10
वर्तमान सेवा लागत	1,285.52	1,360.54	287.33	256.26
ब्याज लागत	5,834.23	5,276.63	766.59	778.43
पिछली सेवा लागत (निहित हित लाभ)	1,200.00	-	0.01	0.03
बीमांकिक हानियाँ/(लाभ)	8,106.01	6,909.53	263.87	652.16
प्रदत्त हितलाभ	(3,360.17)	(2,665.72)	(1,286.52)	(1,331.74)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,359.84)	(2,246.16)	-	-
31 मार्च 2017 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	83,870.13	73,164.38	9,929.52	9,898.24
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2016 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	66,813.97	61,886.14	9,249.72	9,362.94
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,522.97	5,341.46	755.56	798.31
नियोक्ताओं द्वारा अंशदान	7,817.68	2,322.17	876.22	383.63
कर्मचारी द्वारा अपेक्षित अंशदान	3.09	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(3,360.17)	(2,665.72)	(1,286.52)	(1,331.74)
योजना आस्ति बीमांकिक लाभ/(हानियाँ)	2,505.66	(70.08)	268.79	36.58
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	79,303.20	66,813.97	9,863.77	9,249.72
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2017 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	83,870.13	73,164.38	9,929.52	9,898.24
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	79,303.20	66,813.97	9,863.77	9,249.72
कमी/(अधिशेष)	4,566.93	6,350.41	65.75	648.52
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	4,566.93	6,350.41	65.75	648.52
तुलनपत्र में ली गई राशि				
देयताएँ	83,870.13	73,164.38	9,929.52	9,898.24
आस्तियाँ	79,303.20	66,813.97	9,863.77	9,249.72
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	4,566.93	6,350.41	65.75	648.52
शामिल नहीं की गई पिछली सेवा लागत (निहित) अंतिम शेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	4,566.93	6,350.41	65.75	648.52
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1,285.52	1,360.54	287.33	256.26
ब्याज लागत	5,834.23	5,276.63	766.59	778.43
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(5,522.97)	(5,341.46)	(755.56)	(798.31)
कर्मचारी द्वारा अपेक्षित अंशदान	(3.09)	-	-	-
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	-	-	-	-
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (निहित हितलाभ)	1,200.00	-	0.01	0.03

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के दौरान शामिल की गई निवल बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	5,600.35	6,979.61	(4.92)	615.58
नियत हितलाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' में शामिल की गई है.	8,394.04	8,275.32	293.45	851.99
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	5,522.97	5,341.46	755.56	798.31
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	2,505.66	(70.08)	268.79	36.58
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	8,028.63	5,271.38	1,024.35	834.89
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	6,350.41	2,643.42	648.52	180.16
लाभ एवं हानि खाते में लिया गया व्यय	8,394.04	8,275.32	293.45	851.99
एसबीआई द्वारा सीधे भुगतान किया गया	(2,359.84)	(2,246.16)	-	-
नियोक्त का अंशदान	(7,817.68)	(2,322.17)	(876.22)	(383.63)
पिछली सेवा लागत	-	शून्य	-	शून्य
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	4,566.93	6,350.41	65.75	648.52

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	28.43%	21.19%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	27.23%	22.31%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	35.38%	22.85%
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	2.38%	27.77%
अन्य	6.58%	5.88%
योग	100.00%	100.00%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बढ़ा दर	7.45% to 7.51%	8.00% to 8.10%	7.27% to 7.27%	7.86% to 8.10%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.00% to 8.00%	8.00% to 9.00%	7.00% to 8.00%	7.86% to 9.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, जिसका बीमांकिक मूल्यांकन घटकों में किया गया है, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार के अनुमान अत्यंत दीर्घ अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव / सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि अत्यंत दीर्घ अवधि के दौरान - सतत उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है जिस पर लेखा-परीक्षकों ने भरोसा किया है।



3.1.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय स्टेट बैंक भविष्य निधि न्यास में ब्याज कमी के संबंध में बीमांकिक मूल्यन किया गया है। निर्धारक पद्धति के अनुसार “शून्य” देयता है, इसलिए वित्त वर्ष 2016-17 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

एसबीआई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व	25,159.70	22,498.51
वर्तमान सेवा लागत	811.36	1,632.22
ब्याज लागत	2,177.60	2,026.72
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,031.10	1,983.67
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	-	0.01
प्रदत्त हितलाभ	(3,257.80)	(2,981.43)
31 मार्च 2017 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	25,921.96	25,159.70
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2016 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	25,985.32	23,197.82
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,177.60	2,026.72
अंशदान	1,842.46	3,615.89
प्रदत्त हितलाभ	(3,257.80)	(2,981.43)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानियाँ)	167.65	126.32
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	26,915.23	25,985.32
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2017 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	25,921.96	25,159.70
31 मार्च 2017 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	26,915.23	25,985.32
कमी/(अधिशेष)	(993.27)	(825.62)
तुलनपत्र में नहीं ली गई निवल आस्तित्व	993.27	825.62
लाभ एवं हानि खाते में नहीं ली गई निवल आस्तित्व		
वर्तमान सेवा लागत	811.36	1632.22

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ब्याज लागत	2,177.60	2,026.72
योजना - आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,177.60)	(2,026.72)
प्रतिवर्तित ब्याज कमी	-	-
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत को अनुसूची 16 “कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान” में शामिल किया गया है.	811.36	1,632.22
तुलनपत्र में ली गई प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता/(आस्तित्व) का समाधान		
1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक निवल देयताएँ	-	-
उपरोक्त अनुसार व्यय	811.36	1,632.22
नियोक्ता का अंशदान	(811.36)	(1,632.22)
तुलन पत्र में ली गई निवल देयता/(आस्तित्व)	-	-

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	40.56%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	21.16%
ऋण प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमाराशियाँ	33.35%
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र बांड	--
बीमाकर्ता प्रबंध अधीन निधियाँ	4.93%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	7.86%
निश्चित प्रतिलाभ	8.80%	8.75%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08)	IALM (2006-08)
	ULTIMATE	ULTIMATE

भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि की देयता पर गारंटीकृत प्रतिफल लागू होता है जो निम्न दोनों में से किसी में से भी घटाया नहीं जाएगा।

- क) औसत मानक दर से डेढ़ प्रतिशत अधिक (एक चौथाई प्रतिशत ब्याज में से बढ़ाकर या घटाकर समायोजित किया गया है) जो पिछले वर्ष (पिछले 31 मार्च को समाप्त हो रहे) बारह महीनों के लिए निर्धारित नई जमाराशियों हेतु बैंक द्वारा उद्धृत किए गए हैं; या
- ख) तीन प्रतिशत प्रति वर्ष, कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के अधीन।

(₹ करोड़ में)

3.1.2 नियत अंशदान योजनाएँ

3.1.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह द्वारा (एसीबीआई को छोड़कर) भविष्य निधि योजना के खर्च के रूप में ₹ 38.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 36.98 करोड़) की राशि दर्शाई गई है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

3.1.2.2 नियत अंशदायी पेंशन योजना

भारतीय स्टेट बैंक के दिनांक 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए और देशीय बैंकिंग अनुषंगियों के दिनांक 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियत अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इस योजना का प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट के पास है। नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेखाकार अधिकरण नियुक्त किया गया है। वर्ष के दौरान, इस योजना में ₹ 328.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 266.32 करोड़) का अंशदान किया गया।

3.1.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ (अनिधिक दायित्व)

3.1.3.1 संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार एसबीआई की संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थिति दर्शायी गई है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
हित लाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	4,375.49	3,756.50
चालू सेवा लागत	212.74	230.94
ब्याज लागत	343.91	308.41
बीमांकक हानियां (लाभ)	397.82	590.64
प्रदत्त लाभ	(575.86)	(511.00)
31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार अभिनिर्धारित निवल लागत	4,754.10	4,375.49

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
लाभ एवं हानि खाते में अभिनिर्धारित निवल लागत		
चालू सेवा लागत	212.74	230.94
ब्याज लागत	343.91	308.41
बीमांकक हानियां (लाभ)	397.82	590.64
हित लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 - 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' में शामिल	954.47	1,129.99
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	4,375.49	3,756.50
यथा उपर्युक्त व्यय	954.47	1,129.99
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(575.86)	(511.00)
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित निवल देयता / (आस्ति)	4,754.10	4,375.49

प्रमुख बीमांकक प्राक्कलन

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	7.86%
वेतन वृद्धि	2.00%	2.00%
पलायन दर	5.00%	5.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश) (एसबीआई को छोड़कर)

सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण सहित अर्जित अवकाश (नकदीकरण) के संबंध में समूह (एसबीआई को छोड़कर) द्वारा ₹116.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹167.78 करोड़) की राशि का प्रावधान किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

3.1.3.2 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ

अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के संबंध में समूह द्वारा ₹ (-)20.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹21.35 करोड़) की राशि का प्रावधान किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का ब्योरा



(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/ उपयोग)	19.23	25.85
2	रुग्ण अवकाश	(53.14)	(1.43)
3	रजत जयंती अवार्ड	11.13	3.11
4	अधिवर्षिता पर पुनर्निपटान व्यय	1.32	2.74
5	रुग्ण अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	0.94	(8.92)
योग		(20.52)	21.35

3.1.4 ऊपर सूची में दिए गए कर्मचारी हितलाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के हैं। विदेश स्थित कारोबार से जुड़े कर्मचारियों को उपर्युक्त योजना में शामिल नहीं किया गया है।

3.2 खंड सूचना

3.2.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया गया।

- कोष
- कारपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल-खंडों के आंकड़ों की निम्नवत गणना की गई है:

- क) कोष:** कोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। कोष खंड की आय मूलतः व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ/हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है।
- ख) कारपोरेट/थोक बैंकिंग:** कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग: खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएं आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

घ) बीमा व्यवसाय: बीमा व्यवसाय खण्ड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के परिणाम शामिल हैं।

ङ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय: ऐसे खण्ड जो उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत प्राथमिक खण्ड के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें इस प्राथमिक खण्ड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस खण्ड में समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

ख) गौण (भौगोलिक खंड):

क) देशीय परिचालन के अंतर्गत - भारत में परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम कार्यालय आते हैं।

ख) विदेशी परिचालन के अंतर्गत - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ आती हैं।

ग) अंतर-खंडीय अंतरणों का कीमत-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कारपोरेट/थोक बैंकिंग और कोष खंड को खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त होती हैं। बाजार से संबंधित निधि अंतरण कीमत निर्धारण (एमआरएफटीपी) अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निधीयन केंद्र नाम से एक अलग इकाई सृजित की गई है। निधीयन केंद्र इकाई उन निधियों की अनुमानिक खरीदारी करती है जो व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाराशियों या उधारों के रूप में जुटाई जाती हैं और यह आरिस्त-सूजन में संलग्न व्यवसाय इकाइयों को निधियों की आनुमानिक बिक्री भी करती है।

घ) आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/थोक और रिटेल बैंकिंग परिचालन खंड अथवा कोष परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आबंटित किए गए हैं।

समग्र उद्यम से संबंधित ऐसी आय और व्यय जिन्हें किसी खंड को आबंटित करने का तार्किक आधार नहीं है, उन्हें अनाबंटित व्यय के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

3.2.2 खंडवार सूचना

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय) खंड

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खण्ड	कोष	कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय	78,525.43 (61,912.83)	83,694.12 (89,134.11)	1,06,413.35 (99,550.50)	28,047.72 (21,460.12)	6,174.73 (4,869.88)	3,02,855.35 (2,76,927.44)
अनाबंटित आय						2,419.27 (1,800.62)
घटाएँ : अंतर खंड आय						6,634.17 (5,266.93)
कुल आय						2,98,640.45 (2,73,461.13)
परिणाम	14,559.33 (9,071.69)	(-)29,133.47 (-11,271.53)	15,156.76 (20,936.37)	1,308.71 (932.55)	1,717.58 (1,375.21)	3,608.91 (21,044.29)
अनाबंटित आय (+) / व्यय (-) निवल						(-)2,664.08 (-2,867.51)
परिचालन लाभ (पीबीटी)						944.83 (18,176.78)
कर						1,335.50 (5,433.50)
असाधारण लाभ/हानि						(-) (-)
निवल लाभ - सहयोगियों और अल्पांश हित में लाभ में हिस्सेदारी के पूर्व						(-)390.67 (12,743.28)
जोड़े : सहयोगियों में लाभ में हिस्सेदारी						293.28 (275.82)
घटाएँ : अल्पांश हित						(-)338.62 (794.51)
निवल लाभ समूह के लिए						241.23 (12,224.59)
अन्य सूचना :						
खंड आस्तियाँ	10,07,725.87 (7,53,779.59)	11,51,526.43 (11,31,334.93)	11,33,220.08 (10,54,672.01)	1,06,318.18 (87,073.44)	18,110.16 (17,298.70)	34,16,900.72 (30,44,158.67)
अनाबंटित आस्तियाँ						28,220.84 (29,324.48)
कुल आस्तियाँ						34,45,121.56 (30,73,483.15)
खंड देयताएँ	7,09,453.02 (4,61,937.22)	11,03,341.85 (10,74,172.76)	12,14,492.46 (11,82,374.63)	99,646.13 (81,602.86)	12,525.34 (12,473.12)	31,39,458.80 (28,12,560.59)
अनाबंटित देयताएँ						88,470.61 (80,330.19)
कुल देयताएँ						32,27,929.41 (28,92,890.78)



भाग ख: द्वितीयक (भौगोलिक) खण्ड

(₹ करोड़ में)

	देशीय परिचालन	विदेशी परिचालन	योग
आय	2,86,663.05 (2,60,555.43)	11,977.40 (12,905.70)	2,98,640.45 (2,73,461.13)
निवल लाभ	(-) 2,871.79 (8,172.53)	3,113.02 (4,052.06)	241.23 (12,224.59)
आस्तियाँ	30,59,467.86 (27,21,888.90)	3,85,653.70 (3,51,594.25)	34,45,121.56 (30,73,483.15)
देयताएँ	28,46,368.69 (25,45,266.12)	381,560.72 (3,47,624.66)	32,27,929.41 (28,92,890.78)

(i) आय/व्यय पूरे वर्ष हेतु है। आस्तियों /देयताओं का विवरण दिनांक 31 मार्च 2017 का है।

(ii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

3.3 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण :

3.3.1 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

क) संयुक्त उद्यम :

- सीएज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड
- जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
- एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
- एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
- मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
- मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
- ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
- ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

ख) सहयोगी

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
- अरुणांचल प्रदेश रूरल बैंक
- छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
- इलाकाई देहाती बैंक
- लंगपी देहांती रूरल बैंक

- मध्यांचल ग्रामीण बैंक
- मेघालय रूरल बैंक
- मिजोरम रूरल बैंक
- नागालैंड रूरल बैंक
- पूर्वांचल बैंक
- सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- उत्कल ग्रामीण बैंक
- उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
- वनांचल ग्रामीण बैंक
- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
- तेलंगाना ग्रामीण बैंक
- कावेरी ग्रामीण बैंक
- मालवा ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

- दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
- बैंक ऑफ भूटान लि.
- एसबीआई होम फाइनेंस लि. (परिसमापनाधीन)

ग) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

- श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष
- श्री वी. जी. कन्नन, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) (31.07.2016 तक)
- श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं अनुषंगियां) (09.08.2016 से)
- श्री पी. के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम)
- श्री रजनीश कुमार, प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)
- श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

3.3.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेनदेन किए गए :

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के रूप में संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेन का प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

3.3.3 लेनदेन और शेष राशियाँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
वर्ष 2016-17 के दौरान लेनदेन			
प्राप्त ब्याज	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
प्रदत्त ब्याज	0.18	-	0.18
	(1.86)	(-)	(1.86)
लाभांश के रूप में अर्जित आय	33.83	-	33.83
	(27.32)	(-)	(27.32)
अन्य आय	0.30	-	0.30
	(3.46)	(-)	(3.46)
अन्य व्यय	11.54	-	11.54
	(5.70)	(-)	(5.70)
प्रबंधन संविदा	462.06	1.39	463.46
	(399.08)	(1.58)	(400.66)
31 मार्च 2017 को बकाया देय राशियाँ			
जमा	15.21	-	15.21
	(39.26)	(-)	(39.26)
अन्य देयताएं	47.99	-	47.99
	(42.23)	(-)	(42.23)
प्राप्य राशियाँ			
बैंकों में शेष	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
निवेश	81.15	-	81.15
	(41.55)	(-)	(41.55)
अग्रिम	0.41	-	0.41
	(0.33)	(-)	(0.33)
अन्य आस्तियां	0.07	-	0.07
	(0.13)	(-)	(0.13)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशियाँ			
उधार राशियाँ	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
जमा	29.48	-	29.48
	(52.32)	(-)	(52.32)
अन्य देयताएँ	55.33	-	55.33
	(74.90)	(-)	(74.90)
बैंकों में शेष	-	-	-
	(2.12)	(-)	(2.12)
अग्रिम	0.42	-	0.42
	(0.37)	(-)	(0.37)
निवेश	81.15	-	81.15
	(41.55)	(-)	(41.55)
अन्य आस्तियाँ	0.07	-	0.07
	(0.13)	(-)	(0.13)
गैर-निधि वचनबद्धताएँ	-	-	-
	(-)	(-)	(-)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए आंकड़ों की दृष्टि से प्रकटन योग्य लेनदेन नहीं हैं।

3.4 पट्टे:

3.4.1 वित्तीय पट्टे

01 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	4.87	4.79
1 से 5 वर्ष तक	9.35	3.29
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	14.22	8.08
देय ब्याज लागत		
1 वर्ष से कम	0.97	0.63
1 से 5 वर्ष तक	1.36	0.39
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	2.33	1.02
देय न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान राशि		
1 वर्ष से कम	3.90	4.16
1 से 5 वर्ष तक	7.99	2.90
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	11.89	7.06

3.4.2 परिचालन पट्टा

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो समूह इकाइयों के विकल्प के अनुसार नवीकरण योग्य हैं।

रद्द नहीं होने वाले परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	307.04	335.87
1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	1,189.15	1,285.14
5 वर्ष से अधिक	310.99	341.41
कुल	1,807.18	1,962.42

इस वर्ष लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि ₹ 2,615.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,181.50 करोड़) है।

3.5 प्रति शेयर उपाजन:

बैंक ने लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर उपाजन' के अनुसार प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल लाभ अल्पांश को छोड़कर बकाया ईक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर 'मूल आय' की गणना की गई है।



विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए	776,27,77,042	746,57,30,920
वर्ष के आरंभ में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	21,07,27,400	29,70,46,122
वर्ष के दौरान जारी ईक्विटी शेयरों की संख्या	797,35,04,442	776,27,77,042
वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	780,37,67,851	766,55,68,627
मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	780,37,67,851	766,55,68,627
समूह के लिए निवल लाभ (अल्पांश के अलावा) (₹ करोड़ में)	241.23	12,224.59
मूल आय प्रति शेयर (₹)	0.31	15.95
कम की गई प्रति शेयर आय (₹)	0.31	15.95
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	1.00	1.00

3.6 आय पर करों का लेखाकरण

- वर्ष के दौरान, आस्थगित कर के कारण ₹3507.06 करोड़ लाभ और हानि खाते में जमा किए गए थे (पिछले वर्ष ₹83.18 करोड़ नामे किए गए थे)।
- प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्ति और देयता का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के कारण दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	2,769.18	2,092.14
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान आरबीआई के विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार विनिर्दिष्ट पुनर्संचित मानक आस्तियों/मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान/अतिरिक्त प्रावधान	2,845.49	2,136.25
संचित हानियों पर	5,281.99	57.40
अन्य आस्तियाँ/वीआरएस/अन्य देयता के लिए प्रावधान	724.65	238.29
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	3.89	5.18
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	128.93	1,214.43
एसबीआई के विदेश स्थित कार्यालयों के कारण आस्थगित कर आस्तियाँ	427.91	472.52
विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती	-	262.27
अन्य	455.01	405.67
योग	12,637.05	6,884.15

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	277.04	236.11
प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं	5,045.06	3,863.93
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	4,645.01	4,043.24
विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती	563.28	-
एसबीआई के विदेश स्थित कार्यालयों के कारण आस्थगित कर देयताएं	2.19	1.90
अन्य	543.14	508.19
योग	11,075.72	8,653.37
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ (देयताएँ)	1,561.33	(1,769.22)

3.7 आस्तियों की अपसामान्यता:

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की अपसामान्यता" लागू हो।

3.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

- लाभ एवं हानि खाते में लिए गए प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) कराधान के लिए प्रावधान		
- वर्तमान कर	4,842.56	5,350.36
- आस्थगित कर	(3,507.06)	83.18
- अन्य कर	-	(0.04)
ख) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	57,155.07	38,024.06
ग) पुनर्संचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(1,238.32)	(2,912.87)
घ) मानक आस्तियों पर प्रावधान	2,191.63	2,284.22
ड) विनिधानों में मूल्यहास के लिए प्रावधान	1,721.96	320.96
च) अन्य प्रावधान	1,460.54	213.45
योग	62,626.38	43,363.32

(कोष्ठक के आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं।)

- अस्थिर प्रावधान:

₹ करोड़ में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अथशेष	193.76	222.05
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ग) वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	-	28.29
घ) अंतिम शेष	193.76	193.76

आकस्मिक देयताओं लेखा मानक 29 का ब्योरा :

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष हैं। समूह को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाहों पर पड़ेगा। यह समूह बकाया अपीलों के संबंध में विभिन्न कर मामलों के लिए पक्षकार हैं।
2	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों/वेंचर फंड से संबंधित देयता	इस मद में आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों की देयता के संबंध में प्रदत्त नहीं की गई राशि प्रस्तुत की गई है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड के लिए आहरित नहीं की गई प्रतिबद्धताओं की राशि शामिल है।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। वायदा विनिमय संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनिमयों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनिमय की प्रतिबद्धताएँ स्थिर विनिमय एवं अस्थिर ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ हैं।
4	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपने वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलाप के अंतर्गत समूह अपने ग्राहकों की ओर से, प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है, तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह अपने निजी खाते से और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से करेंसी ऑप्शन, वायदा दर करार, करेंसी स्वैप्स और ब्याज दर स्वैप्स करता है। करेंसी स्वैप्स की प्रतिबद्धताएँ पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के सामने दूसरी मुद्रा की ब्याज/मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया जाता है, ऐसी विशिष्ट राशियाँ होती हैं जिनका संविदाओं के ब्याज घटक के आकलन हेतु बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन्हें पूंजी खाते के संबंध में निष्पादित किए जाने वाले संविदाओं की अनुमानित राशि में भी शामिल किया जाता है और इन्हें सहयोगी एवं अनुषंगी की ओर से एसबीआई द्वारा जारी व्यवस्था पत्र, जमाकर्ता शिक्षा योजना के अंतर्गत एसबीआई की देयता और जागरूकता निधि के अंतर्गत एसबीआई की देयताओं और अन्य विविध आकस्मिक देयताओं के प्रावधान की गई राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट के निर्णय/न्यायालय के बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यताएँ, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने जैसी भी स्थिति हो, के दायित्व पर आधारित हैं।

◆ आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव :

विवरण	₹ करोड़ में	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पिछला वर्ष	718.21	1,077.91
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	438.30	240.83
ग) वर्ष के दौरान आहरण में कमी	7.47	286.02
घ) वर्ष के दौरान प्रतिवर्तित अनुपयोजित राशि	127.66	314.51
ड) अंतिम शेष	1021.38	718.21



4. अंतर कार्यालय खाता शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
5. वर्ष के दौरान, देशीय बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा पूरे एसबीआई समूह में सामान्य ऋणों एवं अग्रिमों में निहित कमजोरियों के आधार पर विवेकपूर्ण समुचित प्रावधान करने की नीति अपनाई गई। इस कारण सकल एनपीए में ₹21,938.48 करोड़ की वृद्धि और ₹13,532.67 करोड़ के वृद्धिशील प्रावधान (मानक आस्ति प्रावधान ₹765.96 करोड़ शामिल है) किए गए हैं।
6. **पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री**
वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को एसबीआई और इसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों की आस्तियों की की गई बिक्री के कारण आई कमी की राशि ₹84.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1669.24 करोड़) और 31 मार्च 2016 की अपरिशोधित राशि ₹2281.20 करोड़ को चालू वर्ष में पूर्णतया परिशोधित की गई है।
7. **प्रतिचक्रिय बफर प्रावधान (सीसीपीबी)**
भारतीय रिजर्व बैंक ने “अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रिय प्रावधानीकरण बफर” पर दिनांक 30 मार्च 2015 के अपने परिपत्र क्रमांक डीबीआर.सं.बीपी.बीसी 79/21.04.048/2014-15 के माध्यम से बैंकों को 31 दिसंबर 2014 तक उनके द्वारा धारित 50 प्रतिशत प्रतिचक्रिय प्रावधानीकरण बफर अनर्जक आस्तियों (सीसीपीबी) के लिए व्यवहार में लाने की अनुमति दी है जिससे कि बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सके। वर्ष के दौरान एसबीआई और इसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों द्वारा अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया है।
8. **खाद्यान्न क्रेडिट**
भारतीय रिजर्व बैंक अनुदेशों के अनुसार, हितधारकों की अनुमति से एसबीआई और इसकी देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने एक राज्य सरकार के खाद्यान्न ऋणों की बकाया राशि के संबंध में ₹1067.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 715.98 करोड़) का प्रावधान किया है।

9. बैंक की संपत्तियों का पुनर्मूल्यन :

- क) वर्ष के दौरान एसबीआई और इसकी 4 देशीय बैंकिंग अनुषंगियों ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन किया। पुनर्मूल्यन सरप्लस पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा किया गया था।
- ख) 31 मार्च 2017 को पुनर्मूल्यन रिजर्व का अंतिम शेष (जनरल रिजर्व में ट्रांसफर की गई राशि घटाकर) ₹35,593.88 करोड़ है।

10. देशीय बैंकिंग अनुषंगियों और भारतीय महिला बैंक लि. का अधिग्रहण :

भारत सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 की उप धारा (2) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पांच देशीय बैंकिंग अनुषंगियों यथा - स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक लिमिटेड (बीएमबीएल) के अधिग्रहण के लिए (इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से अंतरणकर्ता बैंक कहा गया है) दिनांक 22 फरवरी 2017 और दिनांक 20 मार्च 2017 के उनके आदेशों के अनुसार अधिग्रहण किया गया है। भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अधिग्रहण की ये योजनाएं 1 अप्रैल 2017 (इसके पश्चात प्रभावी तिथि कहा गया है) से प्रभावी हो गई है।

अंतरणकर्ता बैंकों का उपक्रम जिसमें सभी व्यवसाय, परिसंपत्तियां, देयताएं, रिजर्व और सरप्लस, वर्तमान या आकस्मिक तथा सभी अन्य अधिकार और हित जो प्रभावी तिथि के ठीक पहले अंतरणकर्ता बैंकों के स्वामित्व, कब्जे या अधिकार में थे, अंतरित हो जाएंगे एवं प्रभावी तिथि को और से एसबीआई में निहित होंगे।

इस संबंध में आवश्यक लेखा समायोजन प्रभावी तिथि को किए गए हैं।

11. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के संबंध में, आईआरडीए ने बीमा कंपनी अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के अंतर्गत आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/228/10/2012 दिनांक 5 अक्टूबर 2012 के अनुसार मास्टर पॉलिसीधारकों को प्रदत्त की गई प्रशासनिक प्रभार राशि ₹84.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹84.32 करोड़) का संवितरण करने और आदेश

क्रमांक आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/विविध/083/03/2014 दिनांक 11 मार्च 2014 के अनुसार कॉरपोरेट एजेंटों को प्रदत्त किए गए कमीशन की आधिक्य राशि ₹275.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹275.29 करोड़) को क्रमशः सदस्यों या लाभार्थियों को वापस करने के निदेश जारी किए हैं। इस कंपनी ने उक्त निदेशों/आदेशों के विरुद्ध अपील प्राधिकारी (अर्थात् वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) और प्रतिभूत अपील प्राधिकरण (एसएटी) के पास अपील दायर की है। चूंकि अंतिम आदेश बकाया है, इसलिए उक्त राशियों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

12. लाइफ और जनरल बीमा अनुषंगियों के विनिधानों को बैंकों द्वारा अनुपालन की गई लेखाकरण नीतियों के अनुसार इनको फिर से शामिल न करके आईआरडीए (विनिवेश विनियमन) 2016 के अनुसार लेखों में दिखाए गए हैं। 31 मार्च 2017 को बीमा कंपनियों के विनिधान कुल विनिधान का लगभग 9.35% (पिछले वर्ष 11.03%) रहे।
13. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी क्रमांक बीपी.बीसी. 42/21.01.02/ 2007-08 के अनुसार, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों (यदि कोई हो) को देयता माना गया है और उन पर भुगतान किए जाने वाले कूपन को ब्याज माना गया है।

14. वर्तमान आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचनाओं को, जो समेकित वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सही एवं उचित नहीं है और जो महत्वपूर्ण भी नहीं है, यहां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया है, जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक परिभाषा के अनुसार तैयार किए गए हैं।
15. जहाँ आवश्यक था वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन/पुनः वर्गीकरण किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष वर्गीकरण के अनुसार तालमेल बैठा सके। भारतीय रिजर्व बैंक/लेखांकन मानदंडों के दिशा-निर्देशों के अनुसार जहाँ पहली बार आंकड़ों का प्रकटीकरण किया गया है, वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(अनुपालन एवं जोखिम)

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक
(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

चेरीयन के. बेबी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 16043
फर्म पंजी सं.: 004532 S

कोलकाता
दिनांक : 19 मई 2017



भारतीय स्टेट बैंक

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
कर-पूर्व निवल लाभ	1576,73,82	17658,09,16
समायोजन:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	2914,68,43	2252,20,53
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)	43,81,46	21,05,23
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)	(1587,01,92)	(11,85,66)
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (निवल)	-	151,67,43
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	55916,75,12	35111,18,68
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2191,62,66	2284,21,68
निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	1721,95,84	320,96,40
अन्य प्रावधान	1460,54,04	213,44,87
सहयोगियों के लाभ में हिस्सा	(293,28,42)	(275,81,61)
सहयोगियों के लाभांश	(3,85,50)	(7,52,34)
पूँजी लिखतों पर संदत्त ब्याज	5296,02,56	4797,86,72
उप योग	69237,98,09	62515,51,09
समायोजन:		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	345953,09,75	200896,77,56
पूँजीगत लिखतों को छोड़कर उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)	(22743,77,32)	110597,56,39
अनुषंगी एवं सहयोगियों में निवेश को छोड़कर विनिधानों में (वृद्धि)/कमी	(221333,86,62)	(135350,58,44)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(82542,67,86)	(213160,74,55)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	10789,34,61	37786,51,08
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(20576,17,56)	(38436,00,12)
गैर-एकीकृत परिचालनों में निवेशों के निपटान पर एफसीटीआर में कमी	-	(873,92,35)
उप योग	78783,93,09	23975,10,66
प्रदत्त कर	(1377,93,39)	(9498,42,83)
परिचालन कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध निवल नकदी (प्रवाह)	(क) 77405,99,70	14476,67,83
विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि)/कमी	(1,09,40)	87,67,64
अनुषंगी एवं सहयोगियों से प्राप्त लाभांश	1587,01,92	11,85,66
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	3,85,50	7,52,34
समेकन पर साख में (वृद्धि)/कमी	(4423,70,61)	(3775,61,16)
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी	(ख) 1,80,36	-
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह	(2832,12,23)	(3668,55,52)
ईक्विटी शेयर पूँजी निर्गम से प्राप्त राशि शेयर प्रीमियम सहित	5674,82,91	5384,49,57
पूँजीगत लिखतों में (वृद्धि)/कमी	(2289,95,25)	6138,35,95
पूँजी लिखतों पर ब्याज	(5296,02,56)	(4797,86,72)

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
संदत लाभांश उस पर कर सहित	(2337,46,38)	(3058,65,86)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा संदत लाभांश कर	(161,10,37)	(88,16,60)
अल्पांश हित में (वृद्धि)/कमी	213,24,14	770,28,69
वित्तीय कार्यकलाप से/(में प्रयुक्त) सृजित निवल नकदी (ग)	(4196,47,51)	4348,45,03
रूपांतरण आरक्षित पर विनिमय उतार-चढ़ाव का प्रभाव (घ)	(1739,70,98)	921,84,41
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)	68637,68,98	16078,41,75
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	204559,46,55	188481,04,80
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	273197,15,53	204559,46,55
नकदी और नकदी समतुल्य	31.03.2017	31.03.2016
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां	161018,61,07	160424,56,91
बैंकों में जमाराशियां और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन राशि)	112178,54,46	44134,89,64
योग	273197,15,53	204559,46,55

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वर्मा एण्ड वर्मा**
सनदी लेखाकार

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(सहयोगी एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(अनुपालन एवं जोखिम)

श्री रजनीश कुमार
प्रबंध निदेशक
(राष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री बी. श्रीराम
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग समूह)

चेरीयन के. बेबी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 16043
फर्म पंजी सं.: 004532 S

कोलकाता
दिनांक : 19 मई 2017



स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक बोर्ड
भारतीय स्टेट बैंक
कॉरपोरेट केन्द्र
स्टेट बैंक भवन, मुंबई

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (इस समूह) की 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा-परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन वर्ग की जिम्मेदारी

2. इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन जिम्मेदारी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-21 - “समेकित वित्तीय विवरणटट, लेखा मानक-23 - “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश का लेखाटट और लेखा-मानक-27 - “संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टटट और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारत में स्वीकार्य सामान्यतः अन्य लेखा सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुसार हैं और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन की इस जिम्मेदारियों में एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं जो सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं और विषय-वस्तु संबंधी गलत विवरणों से मुक्त हैं जो चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण आ गए हों। हमें सूचित किया गया है कि इन जोखिमों का निर्धारण करने के लिए, समूह की अलग-अलग इकाइयों ने ऐसे आंतरिक नियंत्रण कार्यान्वित किए हैं जो ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं जिससे कि समूह की सभी गतिविधियों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो।

लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी लेखा-परीक्षा पर आधारित अभिमत देने की है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें एवं अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। जाँच के लिए चुनी गई पद्धतियाँ लेखा-परीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित होती हैं। इन जोखिम मूल्यांकनों का निर्धारण करते समय लेखा-परीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेते हैं ताकि इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा पद्धति की उचित प्रस्तुति की जा सके, लेकिन इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रणों के प्रभावशीलता के बारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखासाक्ष्य हमारे लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों, प्रबंधन द्वारा यथा प्रस्तुत एक अनुषंगी और कतिपय सहयोगियों के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचना पर हमारे द्वारा विचार किए जाने पर, संलग्न समेकित वित्तीय विवरण सही एवं उचित हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्यतः लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं;

- (क) 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन-पत्र,
- (ख) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ एवं हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में; और
- (ग) इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।

अन्य मामले

7. इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं :

- (क) हमारे सहित 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों ने बैंक के लेखा-परीक्षित खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ₹27,05,787 करोड़ की कुल आस्तियाँ, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹210,979 करोड़ का कुल राजस्व, और ₹4,504 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह प्रकट करते हैं;
- (ख) अन्य लेखा-परीक्षकों ने 31 (इकतीस) अनुषंगियों, 9 (नौ) संयुक्त उद्यमों और 19 (उन्नीस) सहयोगियों के लेखा-परीक्षित खातों की लेखा-परीक्षा की है, जो 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ₹7,62,739 करोड़ की कुल आस्तियों में समूह का अंश, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹90,993

करोड़ के कुल राजस्व में समूह का अंश, ₹65,231 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह में समूह का अंश, और सहयोगियों से ₹274 करोड़ के लाभ में समूह का अंश प्रकट करते हैं:

- (ग) 1 (एक) अनुषंगी और 1 (एक) सहयोगियों के अलेखा-परीक्षित खाते 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ₹4,726 करोड़ की कुल आस्तियां, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹165 करोड़ का कुल राजस्व, ₹130 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह और सहयोगियों से ₹19 करोड़ के लाभ में समूह का अंश प्रकट करते हैं।

ये वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं। जहाँ तक इनका ऐसी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और अनुषंगियों के कार्यों से संबंध है, उसके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और उपर्युक्त संदर्भित अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

8. इस समूह की एक अनुषंगी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लेखा-परीक्षकों ने रिपोर्ट दी है कि ; चालू जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयताओं के बीमाकिक मूल्यांकन की जिम्मेदारी इस कंपनी के नियुक्त बीमांकक ("नियुक्त बीमांकक") की है। चालू जीवन बीमा पॉलिसियों और ऐसी पॉलिसियों के संबंध में, जिनका प्रीमियम बंद हो गया है परंतु देयता 31 मार्च 2017 तक बनी हुई है, इनकी देयताओं का बीमाकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है और हमारा

अभिमत है कि ऐसे मूल्यांकन का पूर्वानुमान प्राधिकारी की सहमति से भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआई / "प्राधिकरण") और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानदंडों पर आधारित है। इस कंपनी के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा अभिमत चालू जीवन बीमा पॉलिसियों और ऐसी पॉलिसियों के संबंध में, जिनका प्रीमियम बंद हो गया है परंतु देयता बनी हुई है, देयताओं का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त बीमांकक द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र पर आधारित है।

इन मामलों के संदर्भ में हमारे विचार सापेक्ष नहीं हैं।

कृते वर्मा एण्ड वर्मा

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. : 004532S

चेरीयन के. बेबी

भागीदार

सदस्यता क्र. 16043

कोलकाता

दिनांक : 19 मई 2017